दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम

सेल्ज परिपत्र व निर्देश-2014

(1 जनवरी, 2014 से 31 दिसम्बर, 2014 तक)

दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम

विद्युत सदन, विद्युत नगर, हिसार (हरियाणा)

ई-मेल dhbvn@gmail.com

वैबसाईट : www.dhbvn.org.in

आमुख

हरियाणा सरकार की नीतियों व आदेशों के अनुरूप व हरियाणा बिजली विनियामक आयोग (एच.ई.आर.सी.) द्वारा जारी दिशा-निर्देशों की अनुपालना करते हुए दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम द्वारा समय-समय पर जारी सेल्ज परिपत्रों व निर्देशों का हिंदी अनुवाद मात्र अनुवाद ही नहीं अपितु आम जनता/उपभोक्ताओं को निगम की योजनाओं का पूर्ण-रूपेण लाभ पहुंचाने व निगम के उपभोक्ताओं को बेहतर गुणवत्ता वाली बिजली आपूर्ति के नियमों व विनियमों से परिचित कराना है।

इस पुस्तिका में निहित सेल्ज परिपत्र व निर्देश, जो मूल रूप से अंग्रेजी भाषा में तैयार किए जाते हैं तथा निगम के सर्कल/मंडल और उपमंडल कार्यालयों में कार्यान्वित करने के लिए प्रेषित किए जाते हैं। क्षेत्रीय कार्यालयों में कार्यरत निगम के कर्मचारी उक्त सेल्ज परिपत्र/निर्देशों को हिंदी भाषा में भली-भांति समझकर उसमें निहित योजनाओं का कार्यान्वयन ठीक प्रकार से कर सके। यही इसके हिंदी अनुवाद का मात्र उद्देश्य है।

इन सेल्ज परिपत्र व निर्देशों की हिंदी अनुवादित कंप्यूटरीकृत प्रति निगम की वैबसाईट (**www.dhbvn.org.in**) पर पहले ही उपलब्ध करवा दी गई है। मुझे खुशी है कि इन सेल्ज परिपत्रों व निर्देशों को सरल भाषा में हिंदी अनुवाद कर कर्मचारियों को सहज समझ आने योग्य बनाया है। इस अनुवाद का लक्ष्य कर्मचारियों को शिक्षित व सचेत करना है।

इन सेल्ज परिपत्र व निर्देशों का सरल भाषा में हिंदी अनुवाद कर श्री डी.पी.ढुल, चीफ कज़्यूनिकेशनज ऑफिसर (सेवानिवृत), श्री रवि दास ठकराल, चीफ कज़्यूनिकेशनज ऑफिसर, श्री दलजीत सिंह, श्री अभिषेक कुमार, हिंदी अनुवादक, श्री सत्यवान, सहायक लाईनमैन और श्री जितेन्द्र कौशिक, डाटा एंट्री ऑप्रेटर ने प्रशंसनीय कार्य किया है।

प्रस्तुत पुस्तिका में वर्ष 2014 के (1 जनवरी, 2014 से 31 दिसज़्बर, 2014 तक) सभी सेल्ज परिपत्रों व निर्देशों को समाविष्ट किया गया है और प्रयास किया गया है कि प्रकाशन त्रुटि रहित हो, फिर भी अगर इसमें कोई कमी अथवा त्रुटि पाई जाए तो कृपया इस ओर ध्यान आकृष्ट करने का कष्ट करें ताकि उसका परिमार्जन किया जा सके।

अरूण कुमार

(अरूण कुमार वर्मा)
प्रबन्ध निदेशक,
दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम, हिसार।

विषय–सूची

			पृष्ठ संज़्या
1.	सेल्ज परिपत्र संज़्या – 1 से 48/2014	----	1–76
2.	सेल्ज निर्देश संज़्या – 1 से 21/2014	----	77–98

दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम

सेल्ज परिपत्र संज़्या डी-1/2014

प्रेषक,

मुज़्य अभियंता /वाणिज्यिक,
दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम,
हिसार।

सेवा में,

द.ह.बि.वि.नि. के सभी मुज़्य अभियंता/अधीक्षक अभियंता/कार्यकारी अभियंता/उपमंडल अधिकारी /ऑप्रेशन, उप-कार्यालय प्रभारी जे.ई.-।.

यादि क्रमांक-चेन-1/एस.ई./सी-आर-16/लूज/45/2010/वोल्यूम-1/एफ-164
दिनांक :-2/01/2014

विषय :- **हरियाणा में वितरण लाईसैंसधारियों यानि दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम और उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम द्वारा बिजली की आपूर्ति के लिए वित्तीय वर्ष 2013-14 हेतु टैरिफ सूची।**

कृपया सेल्ज परिपत्र संज़्या डी-29/2013 दिनांक 25/06/2013 का संदर्भ देखें, जिसके तहत आयोग द्वारा अनुमोदित अनुसार वित्तीय वर्ष 2013-14 के लिए बिजली आपूर्ति की दर अनुसूची जारी की गई थी।

अब, जनता में रोष के दृष्टिगत मामले पर विचार किया गया है, घरेलू श्रेणी, टैरिफ संशोधित किया गया है और 01/01/2014 के बाद जारी किए गए बिलों पर 01/01/2014 से लागू है।

घरेलू आपूर्ति (डी.एस.)

वर्तमान टैरिफ		**संशोधित टैरिफ**	
श्रेणी-।(प्रति माह 100 यूनिट तक कुल खपत)		**श्रेणी-।(प्रति माह 800 यूनिट तक कुल खपत)**	
0-40 यूनिट प्रतिमाह	298 पैसे प्रति/ के.डब्ल्यू.एच.	0-40 यूनिट प्रतिमाह	298 पैसे प्रति/ के.डब्ल्यू.एच.
41-100 यूनिट प्रतिमाह	475 पैसे प्रति /के.डब्ल्यू.एच.	41-100 यूनिट प्रतिमाह	475 पैसे प्रति/ के.डब्ल्यू.एच.
श्रेणी-।।(800 यूनिट प्रतिमाह तक और 100 यूनिट प्रतिमाह से ज्यादा कुल खपत)		101-250 यूनिट प्रतिमाह	490 पैसे प्रति /के.डब्ल्यू.एच.
0-250 यूनिट प्रतिमाह	490 पैसे प्रति /के.डब्ल्यू.एच.	251-500 यूनिट प्रतिमाह	560 पैसे प्रति /के.डब्ल्यू.एच.
251-500 यूनिट प्रतिमाह	560 पैसे प्रति /के.डब्ल्यू.एच.	501-800 यूनिट प्रतिमाह	598 पैसे प्रति /के.डब्ल्यू.एच.
501-800 यूनिट प्रतिमाह	598 पैसे प्रति /के.डब्ल्यू.एच.		
श्रेणी-।।।(800 यूनिट प्रतिमाह प्रतिमाह से ज्यादा कुल खपत)		**श्रेणी-।।(800 यूनिट प्रतिमाह प्रतिमाह से ज्यादा कुल खपत)**	
कुल खपत	598 पैसे प्रति /के.डब्ल्यू.एच. या एक उपभोक्ता, जो अपनी लागत पर के.वी.ए.एच. अपनाता है, के मामले में 538 पैसे प्रति /के.वी.ए.एच. यानि 0.90 विद्युत कारक द्वारा प्रति के.डब्ल्यू.एच. गुणा लागू टैरिफ।	कुल खपत	598 पैसे प्रति /के.डब्ल्यू.एच. या एक उपभोक्ता, जो अपनी लागत पर के.वी.ए.एच. अपनाता है, के मामले में 538 पैसे प्रति /के.वी.ए.एच. यानि 0.90 विद्युत कारक द्वारा प्रति के.डब्ल्यू.एच. गुणा लागू टैरिफ।

टिप्पणी :-

800 यूनिट प्रति माह से ज्यादा खपत होने के मामले में, स्लैब लाभ स्वीकार्य नहीं होगा और कुल खपत के लिए 598 पैसे प्रति के.डब्ल्यू.एच. टैरिफ लागू होगा।

ईंधन अधिभार समायोजन (एफ.एस.ए.)

समय-समय पर संशोधित हरियाणा बिजली विनियामक आयोग (बहुवर्षीय टैरिफ ढांचे के तहत वितरण व जुदरा आपूर्ति और उत्पादन, पारेषण और बिलिंग के लिए टैरिफ निर्धारण के लिए नियम और शर्त) विनियम, 2012 (एच.ई.आर.सी.एम.वाई.टी.विनियम, 2012)।

न्यूनतम मासिक प्रभार (एम.एम.सी.)

मासिक न्यूतनम प्रभार (सेवा शुल्कों सहित) 2 किलोवॉट तक इसके भाग से जुड़े लोड का या प्रति किलोवॉट 100 रूपये और प्रतिमाह 2 किलोवॉट से ज्यादा जुड़े लोड के लिए उसके भाग का या प्रति किलोवॉट 60 रूपये होगा (उदाहरण : तीन किलोवॉट कनैक्टिड लोड के लिए एम.एम.सी. 100X2+1X16 यानि 260 रूपये प्रतिमाह होगा)।

भुगतान

त्रिमासिक बिलों के मामले में बिल विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर पूरी अदायगी नहीं की जाती है तो जब तक पूरी राशि का भुगतान नहीं होता है, तब तक बिल की अदेय राशि पर उसके भाग या दो महीने के प्रत्येक बिलिंग चक्र के लिए तीन प्रतिशत की दर पर अधिभार वसूला जाएगा।

सामान्य टिप्पणी :-

जहां बिजली शुल्क और नगरपालिका कर लागू है, वहां समय-समय पर अधिसूचित और राज्य सरकार द्वारा निर्धारित के.डब्ल्यू.एच. दर पर अतिरिक्त शुल्क लिया जाएगा।

सेल्ज परिपत्र संज़्या डी.-11/2013 व डी.29/2013 और सेल्ज नियमावली निर्देश संज़्या 5.2 उपरोक्त सीमा तक संशोधित हैं।

सतर्कता और सावधानी पूर्वक अनुपालन के लिए उपरोक्त निर्देश सभी सज़्बन्धित के संज्ञान में लाए जाएं।

अधीक्षण अभियंता/वाणिज्यिक,
कृते : मुज़्य अभियंता /वाणिज्यिक,
द.ह.बि.वि.नि., हिसार।

नोट :- उपरोक्त विषय का हिन्दी अनुवाद मात्र बिजली कर्मियों को सरल भाषा में समझाने हेतु है। अन्य किसी भी उद्देश्य के लिए हिन्दी में अनुवादित संस्करण मान्य नहीं होगा और अंग्रेजी व हिन्दी संस्करण के बीच विरोधाभास में अंग्रेजी संस्करण ही अविभावी होगा।

दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम

सेल्ज परिपत्र संज़्या डी -2/2014

प्रेषक,

मुज़्य अभियंता /वाणिज्यिक,
दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम,
हिसार।

सेवा में,

द.ह.बि.वि.नि. के सभी मुज़्य अभियंता/अधीक्षक अभियंता/कार्यकारी अभियंता/उपमंडल अधिकारी /ऑप्रेशन, उप-कार्यालय प्रभारी जे.ई.-।.

यादि क्रमांक-चेन-2/एस.ई./सी-आर-16/370/2005/एफ-25
दिनांक :- 10/01/2014

विषय :- **आर.डी.एस. (ग्रामीण घरेलू आपूर्ति) उपभोक्ताओं को विश्वसनीय बिजली आपूर्ति के साथ बकाया राशि का एकमुश्त निपटान।**

यह अवलोकित किया गया है कि बार-बार निर्देशों/अनुनय के बावजूद विभिन्न श्रेणियों के उपभोक्ताओं के विरूद्ध चूक राशि/बकाया जमा/बढ़ रहा है। चूक राशि/बकाया का मुज़्य भाग ग्रामीण घरेलू (आर.डी.एस.) उपभोक्ताओं के विरूद्ध बकाया है। इसलिए, हरियाणा सरकार द्वारा बकाया वसूली के लिए एक साधारण एकमुश्त समझौता योजना स्वीकृत की गई है।

तद्नुसार, सेल्ज परिपत्र संज़्या डी-50/2013 दिनांक 26/09/2013 व डी-54/2013 दिनांक 10/10/2013 जारी किए गए थे, जिसके द्वारा आर.डी.एस. (ग्रामीण घरेलू आपूर्ति) उपभोक्ताओं के लिए विश्वसनीय बिजली आपूर्ति के साथ चूक राशि का एकमुश्त निपटान शुरू किया गया था।

अब हरियाणा सरकार के दिनांक 02/01/2014 के निर्णय की अनुपालना में मामले पर पुन: विचार किया गया है और योजना को लागू करने के लिए मुज़्य विशेषताएं/दिशा-निर्देश अब निज़ानुसार है :-

1. योजना आर.डी.एस. (ग्रामीण घरेलू आपूर्ति) उपभोक्ताओं के लिए लागू होगी और गांव को एक इकाई के रूप में मानी जाएगी (आर.डी.एस. व्यक्तिगत उपभोक्ता के लिए लागू नहीं है)।

2. इस योजना के तहत आर.डी.एस. (ग्रामीण घरेलू आपूर्ति) कनैक्टिड और 31/08/2013 तक मौजूदा स्थाई डिस्कनैक्टिड दोषी उपभोक्ता शामिल होंगे।

3. 2005 की पूर्व माफी योजना के दृष्टिगत 17/06/2005 से पहले की अवधि से सज़्बन्धित बकाया राशि माफ की जाएगी।

4. योजना का लाभ केवल तभी दिया जाएगा, यदि कम से कम 50 प्रतिशत घर वैध बिजली कनैक्शन शामिल हैं और परिसरों के बाहर वास्तविक मीटरों को स्थानांतरित करते हैं। इन उपभोक्ताओं को एक अधोहस्ताक्षरित हस्ताक्षर के लिए भी कहा जाएगा कि वे पिल्लर बॉक्स स्थापना के लिए कोई आपत्ति नहीं करेंगे।

5. सज़्बन्धित कार्यकारी अभियंता (ऑप्रेशन) नोडल अधिकारी होगा, जो स्वयं इस तथ्य से संतुष्ट होगा कि 50 प्रतिशत घरों में वैध बिजली कनैक्शन के साथ परिसरों से बाहर वास्तविक मीटरों को स्थानांतरित करने का रास्ता अपना लिया है। तब केवल, वह एकमुश्त निपटान योजना के अंतर्गत गांव में समझौते को शामिल करने की अनुमति/स्वीकृति देगा।

6. माफ की जाने वाली/पूरी तरह से माफ की जा सकने वाली राशि, यदि उपभोक्ता पहले ही आगामी पांच बिलों का भुगतान करता है (एम.एम.सी. आधार या औसत पर वास्तविक बिलों के समायोजन के सज़्बन्ध में, जो भी अधिक है) तब कुल बकाया राशि एक बार में या पांच किश्तों में माफ की जाएगी यानि राशि की 20 प्रतिशत प्रत्येक वर्तमान बिल के भुगतान पर माफ किया जाएगा यानि पांच आगामी बिलों तक।

7. यदि कुछ अपरिहार्य कारणों से उपभोक्ता द्वारा एक बिलिंग चक्र के लिए वर्तमान बिल का भुगतान नहीं किया जाता है तो एक बार में संचयी दो वर्तमान बिलों के भुगतान सुविधा की भी अनुमति होगी। इसका तात्पर्य है कि योजना के संचालन की अवधि समय एक वर्ष होगी यानि पांच बिलिंग चक्र (दस महीने) और दो बिलिंग चक्र के लिए संचित बिलों की अनुमति है यदि एक बिलिंग चक्र के लिए कुछ कारणों से बिल का भुगतान नहीं होता है।

8. प्राथमिकता पर कुंडी कनैक्शन नियमित होने चाहिए, जब एकमुश्त निपटान योजना निष्पादित है और मौजूदा निर्देशानुसार कुछ मामलों में मीटरों को परिसरों से बाहर/पिल्लर बॉक्स में लगाया जाएगा।

9. इन गांवों में एल.वी.डी.एस. योजना लागू की जाएगी, जिसे पिल्लर बॉक्स स्थापित करके किया जा सकता है।

10. यह भी स्पष्ट किया जाता है कि एकमुश्त निपटान योजना अपनाने वाले उस गांव में सभी आर.डी.एस. उपभोक्ता, जो योजना लागू होने से पिछले एक वर्ष के लिए अपने बिलों का नियमित भुगतान किया है, बाद की लेखापरीक्षा के सम्बन्ध में पिछले द्विमासिक बिलों की राशि पर उस विशेष अवधि के लिए उनको दस प्रतिशत की दर पर एक बार की छूट दी जाएगी।

11. योजना अपनाने वाले सभी आर.डी.एस. दोषी उपभोक्ता 17/06/2005 के बाद बकाया दोषी राशि के दृष्टिगत उसके दोष की अवधि के लिए केवल 40 यूनिट प्रतिमाह की दर गणना करके भुगतान करना होगा और 2005 की पूर्व माफी योजना के अनुसार 17/06/2005 से पूर्व बकाया माफ माना जाएगा।

12. उदाहरण : राशि रूपये में वसूली जाएगी : (लोड किलोवॉट में ×40×महीनों की संख्या ×2.98)

बकाया अवधि	एक किलोवॉट लोड के लिए	दो किलोवॉट लोड के लिए
एक वर्ष अवधि	1×40×12×2.98 = 1430.4 रूपये	2×40×12×2.98 = 2860.8 रूपये
दो वर्ष अवधि	1×40×24×2.98 = 2860.8 रूपये	2×40×24×2.98 = 5721.6 रूपये

और इत्यादि . . . . . .

यह भी स्पष्ट किया जाता है कि लोड किलोवॉट में या उसके भाग में यानि 0.1 से 1 किलोवॉट बराबर 1 किलोवॉट, 1.1 से 2 किलोवॉट होगा और इत्यादि।

13. किसी मामले में उपभोक्ता छह किस्तों में एकमुश्त निपटान की बकाया राशि का भुगतान करना चाहता है तो उसे भुगतानकी अनुमति दे दी जाएगी, किन्तु राशि दोगुनी हो जाएगी।

14. घरेलू उपभोक्ताओं के लिए अलग से विविध शुल्क एवं भत्ते रजिस्टर बनाए जाएंगे। इस योजना के तहत सभी समायोजन विविध शुल्क एवं भत्ता रजिस्टरों के माध्यम से किए जाएंगे।

15. उपभोक्ताओं की संख्या, जिन्होंने योजना अपनाई है, से सम्बन्धित मासिक विवरण, पिछले एक साल के पूर्व नियमित भुगतान के लिए 10 प्रतिशत छूट और फीडर में परिसरों से बाहर मीटर स्थानांतरित करने के लिए अतिरिक्त 10 प्रतिशत 20 प्रतिशत छूट दी जाएगी, पिल्लर बॉक्स को नियमित संकलित किया जाना चाहिए और इस योजना की प्रगति की निगरानी के लिए कार्यकारी अभियंता/निगरानी, दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम, हिसार को सूचित करना चाहिए।

16. पूरे गांव के 50 प्रतिशत मीटरों को परिसरों के बाहर स्थानांतरित करने के सेल्ज निर्देश संख्या 14/2013 दिनांक 11/09/2013 के द्वारा पहले ही लाभ दे दिया है।

17. योजना 31/12/2014 तक लागू रहेगी।

योजना का व्यापक प्रचार किया जाएगा। यह भी प्रचारित किया जाएगा कि बकाया के निपटान के लिए ग्रामीण घरेलू आपूर्ति बकाया उपभोक्ताओं के लिए यह अंतिम अवसर होगा। शुरू की गई योजना एक निरन्तर घटना नहीं है।

सेल्ज परिपत्र डी–50/2013, डी–54/2013 और इस सम्बन्ध में सभी सम्बन्धित निर्देश का स्थान लेते हैं।

सतर्कता और सावधानी पूर्वक अनुपालन के लिए उपरोक्त निर्देश सभी सम्बन्धित के संज्ञान में लाए जाएं।

अधीक्षक अभियंता
कृते : मुख्य अभियंता /वाणिज्यिक,
द.ह.बि.वि.नि., हिसार।

नोट :- उपरोक्त विषय का हिन्दी अनुवाद मात्र बिजली कर्मियों को सरल भाषा में समझाने हेतु है। अन्य किसी भी उद्देश्य के लिए हिन्दी में अनुवादित संस्करण मान्य नहीं होगा और अंग्रेजी व हिन्दी संस्करण के बीच विरोधाभास में अंग्रेजी संस्करण ही अविभावी होगा।

दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम

सेल्ज परिपत्र संज़्या डी -3/2014

प्रेषक,

मुज़्य अभियंता /वाणिज्यिक,
दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम,
हिसार।

सेवा में,

द.ह.बि.वि.नि. के सभी मुज़्य अभियंता/अधीक्षक अभियंता/कार्यकारी अभियंता/उपमंडल अधिकारी /ऑप्रेशन, उप-कार्यालय प्रभारी जे.ई.-।.

यादि क्रमांक-चेन-3/एस.ई./सी-आर-16/37/2006/एस/सी/वोल्यूम-1
दिनांक :- 16/01/2014

विषय :- **ओपन एक्सेस विनियम (प्रथम संशोधन)-2013।**

हरियाणा बिजली विनियामक आयोग (एच.ई.आर.सी.) ने ओपन एक्सेस के सज़्बन्ध में दिनांक 03/12/2013 को विनियम (प्रथम संशोधन)-2013 (वितरण प्रणाली और अंतराज्य पारेषण के लिए ओपन एक्सेस और कनैक्टीविटी देने के लिए नियम व शर्तें) अधिसूचित की हैं। यह आयोग की वैबसाईट **www.herc.gov.in** पर भी उपलब्ध है।

सेल्ज परिपत्र संज़्या डी-3/2012 केवल इस सीमा तक संशोधित है।

सतर्कता और सावधानी पूर्वक अनुपालन के लिए उपरोक्त निर्देश सभी सज़्बन्धित के संज्ञान में लाए जाएं।

उपरोक्त अनुसार/दस्तावेज संलग्न

अधीक्षक अभियंता
कृते : मुज़्य अभियंता /वाणिज्यिक,
द.ह.बि.वि.नि., हिसार।

नोट :- उपरोक्त विषय का हिन्दी अनुवाद मात्र बिजली कर्मियों को सरल भाषा में समझाने हेतु है। अन्य किसी भी उद्देश्य के लिए हिन्दी में अनुवादित संस्करण मान्य नहीं होगा और अंग्रेजी व हिन्दी संस्करण के बीच विरोधाभास में अंग्रेजी संस्करण ही अविभावी होगा।

दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम

सेल्ज परिपत्र संज़्या डी-4/2014

प्रेषक,

मुज़्य अभियंता /वाणिज्यिक,
दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम,
हिसार।

सेवा में,

द.ह.बि.वि.नि. के सभी मुज़्य अभियंता/अधीक्षक अभियंता/कार्यकारी अभियंता/उपमंडल अधिकारी /ऑप्रेशन, उप-कार्यालय प्रभारी जे.ई.-I.

यादि क्रमांक-चेन-4/एस.ई./सी-आर-16/लूज/45/2010/वोल्यूम-1/एफ-164
दिनांक :-17/01/2014

विषय :- **हरियाणा में वितरण लाईसैंसधारियों यानि दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम और उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम द्वारा बिजली की आपूर्ति के लिए वित्तीय वर्ष 2013-14 हेतु टैरिफ सूची।**

कृपया सेल्ज परिपत्र संज़्या डी-1/2014 दिनांक 02/01/2014 का संदर्भ देखें, जिसके तहत 01/01/2014 से प्रभावी घरेलू श्रेणी उपभोक्ताओं के लिए लागू टैरिफ सूची जारी की गई थी।

अब पुन: मामले पर विचार किया गया है और घरेलू श्रेणी और कृषि श्रेणी को निज़ानुसार संशोधित किया गया है तथा यह टैरिफ 01/01/2014 के बाद जारी किए जाने वाले या जारी किए गए बिलों पर लागू है :-

घरेलू श्रेणी

श्रेणी	**ऊर्जा शुल्क (पैसे /के.डब्ल्यू.एच. या /के.वी.ए.एच.)**	**एफ.एस.ए.**
	श्रेणी-I, (प्रति माह 800 यूनिट तक कुल खपत)	
0-40 यूनिट प्रतिमाह	**270**	**43**
41-250 यूनिट प्रतिमाह	**450**	**72**
251-500 यूनिट प्रतिमाह	**525**	**85**
501-800 यूनिट प्रतिमाह	**598**	**127**
	श्रेणी-II (800 यूनिट प्रतिमाह प्रतिमाह से ज्यादा कुल खपत)	
प्रतिमाह 801 और ज्यादा यूनिट	598 पैसे प्रति /के.डब्ल्यू.एच. या एक उपभोक्ता, जो अपनी लागत पर के.वी.ए.एच. अपनाता है, के मामले में 538 पैसे प्रति /के.वी.ए.एच. यानि 0.90 विद्युत कारक द्वारा प्रति के.डब्ल्यू.एच. गुणा लागू टैरिफ।	**127**

टिप्पणी :-

पहले से मौजूदा प्रावधान अनुसार, 800 यूनिट प्रति माह से ज्यादा खपत होने के मामले में, स्लैब लाभ स्वीकार्य नहीं होगा और कुल खपत के लिए 598 पैसे प्रति के.डब्ल्यू.एच. टैरिफ लागू होगा।

अन्य सभी नियम व शर्तें यानि घरेलू आपूर्ति (डी.एस.)श्रेणी के लिए एम.एम.सी. वहीं रहेगा।

कृषि नलकूप आपूर्ति

मीटर वाली आपूर्ति	15 बी.एच.पी. तक	10 पैसे प्रति के.डब्ल्यू.एच.	प्रतिवर्ष 80 रूपये प्रति बी.एच.पी., एम.एम.सी.
	15 बी.एच.पी. से ऊपर	8 पैसे प्रति के.डब्ल्यू.एच.	
बिना मीटर वाली आपूर्ति	15 बी.एच.पी. तक	15 रूपये प्रति बी.एच.पी.	कुछ नहीं
	15 बी.एच.पी. से ऊपर	12 रूपये प्रति बी.एच.पी.	

सेल्ज परिपत्र संज़्या डी.-1/2014 व डी-13/2013 का स्थान लेता है और सेल्ज परिपत्र डी-11/2013, 29/2013 व 56/2013 उपरोक्त सीमा तक संशोधित हैं।

सतर्कता और सावधानी पूर्वक अनुपालन के लिए उपरोक्त निर्देश सभी सज़्बन्धित के संज्ञान में लाए जाएं।

अधीक्षण अभियंता/वाणिज्यिक,
कृते : मुज़्य अभियंता /वाणिज्यिक,
द.ह.बि.वि.नि., हिसार।

नोट :- उपरोक्त विषय का हिन्दी अनुवाद मात्र बिजली कर्मियों को सरल भाषा में समझाने हेतु है। अन्य किसी भी उद्देश्य के लिए हिन्दी में अनुवादित संस्करण मान्य नहीं होगा और अंग्रेजी व हिन्दी संस्करण के बीच विरोधाभास में अंग्रेजी संस्करण ही अविभावी होगा।

दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम

सेल्ज परिपत्र संज़्या डी-5/2014

प्रेषक,

मुज़्य अभियंता /वाणिज्यिक,
दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम,
हिसार।

सेवा में,

द.ह.बि.वि.नि. के सभी मुज़्य अभियंता/अधीक्षक अभियंता/कार्यकारी अभियंता/उपमंडल अधिकारी /ऑप्रेशन, उप-कार्यालय प्रभारी जे.ई.-।.

यादि क्रमांक-चेन-5/एस.ई./सी-आर-16/54/2014/एस/सी
दिनांक :-20/01/2014

विषय :- **नये कनैक्शन के लिए ऑनलाईन आवेदन भरना।**

अन्य श्रेणियों के उच्च मूल्य व औद्योगिक उपभोक्ताओं को समय पर शीघ्र कनैक्शन जारी करने के लिए समय-समय पर विभिन्न दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। पारदर्शी व साफ प्रक्रिया के तहत, दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम ने अपनी वैबसाईट पर एक नया वैब आधारति सॉज़्टवेयर एप्लीकेशन शुरू किया है जिसके लिए फील्ड में पहले ही प्रशिक्षण दिया जा चुका है। इस सज़्बन्ध में निज़्न दिशा-निर्देशों का अनुसरण किया जाना है :-

(1) ऑनलाईन प्रार्थना सुविधा सभी औद्योगिक (एच.टी./एल.टी.) कनैक्शनों और अन्य श्रेणियां जहां आवेदन किया गया लोड 20 किलोवॉट से ज्यादा है के लिए उपलब्ध है। इन श्रेणियों में प्राप्त किए गए सभी प्रार्थना पर केवल नए सॉज़्टवेयर के माध्यम से प्रक्रिया होनी है।

(2) 1 जनवरी, 2014 के बाद स्वयं प्राप्त किए गए सभी प्रार्थनाओं के लिए, इन्हें नए ऑनलाईन कनैक्शन प्रणाली में स्वयं प्रविष्टि की जानी चाहिए। यह एक निरंतर कार्य होना चाहिए। प्रविष्टि उसी दिन की जानी है।

(3) जब भी उपभोक्ता ऑनलाईन आवेदन करता है तो, यह प्रणाली में स्वत: उपलब्ध होता है और जब ज़ी उपभोक्ता उपमंडल में स्व्यं आवेदन जमा करवाने के लिए आता है तो, उसी दिन सज़्बन्धित उपमंडल कर्मचारी द्वारा इसकी ऑनलाईन प्रविष्टि की जानी चाहिए।

(4) उपमहाप्रबन्धक/आई.टी., दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम, हिसार के कार्यालय द्वारा सभी कार्यालयों को लॉगिन-आई.डी. व पासवर्ड भेज दिया जाएगा और यह अनुरोध किया जाता है कि पासवर्ड तुरंत बदल लिया जाए।

(5) सज़्बन्धित कार्यकारी अभियंता/ऑप्रेशन सुनिश्चित करेगा कि सभी प्रार्थनाओं की ऑनलाईन प्रविष्टि होती है और सज़्बन्धित अधीक्षण अभियंता/ऑप्रेशन अनुपालना के लिए उत्तरदायी होगा।

(6) कार्यान्वयन में किसी परेशानी के मामले में, तो इसे इस कार्यालय और उपमहाप्रबन्धक/आई.टी.,दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम, हिसार को सूचित किया जाए।

सतर्कता और सावधानी पूर्वक अनुपालन के लिए उपरोक्त निर्देश सभी सज़्बन्धित के संज्ञान में लाए जाएं।

मुज़्य अभियंता /वाणिज्यिक,
द.ह.बि.वि.नि., हिसार।

नोट :- उपरोक्त विषय का हिन्दी अनुवाद मात्र बिजली कर्मियों को सरल भाषा में समझाने हेतु है। अन्य किसी भी उद्देश्य के लिए हिन्दी में अनुवादित संस्करण मान्य नहीं होगा और अंग्रेजी व हिन्दी संस्करण के बीच विरोधाभास में अंग्रेजी संस्करण ही अविभावी होगा।

दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम

सेल्ज परिपत्र संज़्या डी-6/2014

प्रेषक,

मुज़्य अभियंता /वाणिज्यिक,
दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम,
हिसार।

सेवा में,

द.ह.बि.वि.नि. के सभी मुज़्य अभियंता/अधीक्षक अभियंता/कार्यकारी अभियंता/उपमंडल अधिकारी /ऑप्रेशन, उप-कार्यालय प्रभारी जे.ई.-।.

यादि क्रमांक-चेन-6/एस.ई./सी.-आर-16/49/2012/एफ-164
दिनांक :- 20/01/2014

विषय :- **उपभोक्ता शिकायतों के शीघ्र निवारण के लिए बिजली समितियों का गठन।**

प्रबन्ध के संज्ञान में आया है कि बिल ठीक करवाने, खराब मीटरों को बदलने, नए कनैक्शन जारी करने/लोड वृद्धि और निज़ वोल्टेज या बिजली सज़्बन्धी किसी अन्य समस्या सज़्बन्धी उपभोक्ता की ज्यादातर समस्याओं की फील्ड अधिकारियों द्वारा उचित सुनवाई नहीं की जा रही है और उपभोक्ता में इसका रोष है। उपभोक्ताओं को बेहतर सेवाएं देने की दिशा में अन्य शिकायत निवारण प्रणाली के अतिरिक्त, निगम द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि जनता की राय बनाकर सज़्बन्धित अधिकारियों द्वारा उपमंडल/मंडल और सर्कल स्तर पर 5-7 उपभोक्ताओं की एक समिति बनाई जाएगी। यह सुनिश्चित किया जाएगा कि समिति के सदस्यों के विरूद्ध कोई बकाया राशि/चोरी का मामला लंबित नहीं है।

समिति के सदस्य विभिन्न क्षेत्र से होने चाहिए ताकि प्रत्येक श्रेणी के उपभोक्ता का प्रतिनिधित्व हों। समिति उन उपभोक्ताओं की सुनवाई करेगी, जो अपनी शिकायतें उन्हें प्रस्तुत करेंगे और सुनिश्चित करें कि शिकायतों की यथासमय सुनवाई होती है और एक सप्ताह के भीतर निवारण होता है।

सज़्बन्धित उपमंडल अधिकारी नीचे दी गई सारणी अनुसार प्रात: 9:00 बजे से 12:00 बजे समिति की बैठकों का आयोजन करेगा :-

1. उपमंडल अधिकारी (ऑप्रेशन)- प्रत्येक सोमवार
2. कार्यकारी अभियंता (ऑप्रेशन)- दूसरा और तीसरा सोमवार
3. अधीक्षण अभियंता (ऑप्रेशन)- चौथा सोमवार

अधीक्षण अभियंता, ऑप्रेशन सुनिश्चित करेंगे कि निदेशक/परिचालन, दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम, हिसार के सूचनार्थ तीन दिनों के भीतर समितियां गठित की हैं और बैठकें अगले सोमवार यानि 20 जनवरी, 2014 के बाद आयोजित करनी हैं।

सेल्ज परिपत्र संज़्या डी-37/2012 को अधिक्रमित करती है। सतर्कता और सावधानीपूर्वक अनुपालन के लिए उपरोक्त निर्देश सभी सज़्बन्धित के संज्ञान में लाए जाएं।

मुज़्य अभियंता /वाणिज्यिक,
द.ह.बि.वि.नि., हिसार।

नोट :- उपरोक्त विषय का हिन्दी अनुवाद मात्र बिजली कर्मियों को सरल भाषा में समझाने हेतु है। अन्य किसी भी उद्देश्य के लिए हिन्दी में अनुवादित संस्करण मान्य नहीं होगा और अंग्रेजी व हिन्दी संस्करण के बीच विरोधाभास में अंग्रेजी संस्करण ही अविभावी होगा।

दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम

सेल्ज परिपत्र संज़्या डी-7/2014

प्रेषक,

मुज़्य अभियंता /वाणिज्यिक,
दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम,
हिसार।

सेवा में,

द.ह.बि.वि.नि. के सभी मुज़्य अभियंता/अधीक्षक अभियंता/कार्यकारी अभियंता/उपमंडल अधिकारी /ऑप्रेशन, उप-कार्यालय प्रभारी जे.ई.-।.

यादि क्रमांक-चेन-7/एस.ई./सी-आर-16/43/2010
दिनांक :- 20/01/2014

विषय :- **ऊर्जा की आपूर्ति के लिए टैरिफ सूची।**

हरियाणा बिजली विनियामक आयोग दिनांक 17/12/2013 की अनुपालन में, यह पुन: स्पष्ट किया जाता है कि एच.ई.आर.सी. आदेश दिनांक 30/03/2013 के पृष्ठ 124 पर तालिका 4.22 (क्रमांक संज़्या 12) के अन्तर्गत और पृष्ठ 119 पर तालिका 4.19 के अन्तर्गत दिए गए टैरिफ बल्क आपूर्ति (घरेलू) में यह प्रतीत होता है जैसे 801 यूनिट एक महीने में या प्रति ज़्लैट/रिहायशी इकाई (डी.यू.) के मामले में रूपये 80/के.डब्ल्यू तय शुल्क उद्धृत किया गया है, जबकि ऐसा नहीं है। 801 यूनिट या प्रति ज़्लैट डी.यू. से अधिक की कुल खपत के मामले में दर्ज की गई मांग की रूपये 80/के.डब्ल्यू. का तय शुल्क भी लागू है। नीचे दी गई तालिका 4.19 और तालिका 4.22 (क्रम संज़्या 12) के अन्तर्गत संशोधित बल्क आपूर्ति (घरेलू) टैरिफ के रूप में छापा जाना चाहिए था। तालिका 4.19 और तालिका 4.22 (क्रम संज़्या 12) तद्नुसार पढ़ी जाए।

यद्यपि यह सेल्ज परिपत्र संज़्या डी-29/2013 द्वारा पहले ही स्पष्ट किया जा चुका है।

सतर्कता और सावधानीपूर्वक अनुपालन के लिए उपरोक्त निर्देश सभी सज़्बन्धित के संज्ञान में लाए जाएं।

मुज़्य अभियंता /वाणिज्यिक,
द.ह.बि.वि.नि., हिसार।

नोट :- उपरोक्त विषय का हिन्दी अनुवाद मात्र बिजली कर्मियों को सरल भाषा में समझाने हेतु है। अन्य किसी भी उद्देश्य के लिए हिन्दी में अनुवादित संस्करण मान्य नहीं होगा और अंग्रेजी व हिन्दी संस्करण के बीच विरोधाभास में अंग्रेजी संस्करण ही अविभावी होगा।

दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम

सेल्ज परिपत्र संज़्या डी-8/2014

प्रेषक,

मुज़्य अभियंता /वाणिज़्यिक,
दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम,
हिसार।

सेवा में,

द.ह.बि.वि.नि. के सभी मुज़्य अभियंता/अधीक्षक अभियंता/कार्यकारी अभियंता/उपमंडल अधिकारी /ऑप्रेशन, उप-कार्यालय प्रभारी जे.ई.-।.

यादि क्रमांक-चेन-8/एस.ई./सी-आर-16/139/2004/वोल्यूम-1/एफ-1
दिनांक :- 20/01/2014

विषय :- बिजली के अनाधिकृत उपयोग के मामले निपटाने हेतु निर्देश।

बिजली अधिनियम-2003 की धारा-128 के तहत बिजली के अनाधिकृत उपयोग के लिए यूनिटों की मात्रा प्राक्कलन हेतु विधि रखने वाले सेल्ज परिपत्र संज़्या डी-43/2005 के खंड-।।। (ख) से सज़्बन्धित मामले की प्रबन्धन द्वारा समीक्षा की गई है और पूर्वोक्त खंड निज़ानुसार संशोधित करने का निर्णय लिया है :-

बिजली चोरी के अनाधिकृत उपयोग के लिए यूनिटों में मात्रा प्राक्कलन के लिए विधि :- प्रति माह खपत यूनिट की मात्रा (ए.पी. आपूर्ति को छोड़कर) का निज़ानुसार हल निकाला जाएगा :-

एल.टी. आपूर्ति के लिए :- के.डब्ल्यू×एल.एफ.×एच.×डी.

एच.टी.आपूर्ति के लिए :- एम.डी.×एल.एफ.×एच.×डी.

किलोवॉट (के.डब्ल्यू)	जांच/निरीक्षण के समय पाया गया वास्तविक कनैक्टिड लोड किलोवॉट में या स्वीकृत लोड या गत् 12 महीनों के दौरान अधिकतम दर्ज लोड जो भी अधिक हो। (यदि किसी मामले में चुज़्कीय क्षेत्र के कारण लोड सर्वेक्षण एम.डी.आई. अधिकतम मांग निदर्शक सूचित करने वाला में असामान्य वृद्धि सुनिश्चित करता है, तब चुज़्कीय प्रभाव के तहत रिकॉर्ड की गई असामान्य मांग पर विचार नहीं किया जाएगा। हालांकि ट्रांसफार्मर विशेष की अधिकतम क्षमता मानी जाए)।
एल.एफ.	लोड फैक्टर
एच (घंटा)	प्रतिदिन कार्य के घटों की संज़्या
डी (दिन)	प्रतिदिन महीनों के दिनों की संज़्या
एम.डी.(अधिकतम मांग)	किलोवॉट में अधिकतम मांग/इस उद्देश्य के लिए निज़ में से उच्चस्थ को अधिकतम मांग के रूप में लिया जाएगा :5 क) उपभोक्ता की स्वीकृत अनुबंधित मांग। ख) निरीक्षण के पूर्ववर्ती 12 महीनों के दौरान दर्ज उच्चतम अधिकतम मांग। टिप्पणी :- के.वी.ए. में मांग/लोड को मानक बिजली कारक (0.9) द्वारा किलोवॉट में बदला जाए।

उपरोक्त उद्धृत अनुसार यूनिटों की मात्रा की गणना के लिए लोड कारक, घंटों की संज़्या और दिनों की संज़्या निज़ उद्धृत अनुसार ली जाएगी।

उपभोक्ता की श्रेणी	**लोड कारक**	**प्रतिदिन कार्य के घंटों की संज़्या**		**प्रति महीने दिनों की संज़्या**
		ग्रामीण फीडर	**शहरी फीडर**	
1	**2**	**3**		**4**
घरेलू आपूर्ति	15 प्रतिशत	8	16	30
<u>गैर-घरेलू आपूर्ति</u> **सामान्य**	40 प्रतिशत	8	12	25

रेस्तरां, होटल तथा पैट्रोल पज़्प, सिनेमाघरों के लिए,	40 प्रतिशत	8	16	30
नर्सिंग होम तथा अस्पताल के साथ इंडोर नर्सिंग सुविधा, शॉपिंग मॉल के लिए।	40 प्रतिशत	12	20	30
<u>एल.टी. औद्योगिक आपूर्ति</u>				
20 किलोवॉट तक लोड होने पर	80 प्रतिशत	8	12	25
20 किलोवॉट से ऊपर लोड होने पर	80 प्रतिशत	8	16	25
बल्क आपूर्ति (एल.टी. पर)	60 प्रतिशत	12	20	30
बल्क आपूर्ति (एच.टी.पर)	60 प्रतिशत	12	20	30
पब्लिक लाईटिंग	100 प्रतिशत	10	10	30
<u>एच.टी.औद्योगिक आपूर्ति</u>	60 प्रतिशत	8	20	30
निरन्तर प्रकिया उद्योग समान्य उद्योग	60 प्रतिशत	8	12	25

(।) 20 किलोवॉट तक के लोड वाली बर्फ फैक्ट्री, बर्फ कैन्डी, कोल्ड स्टोरेज और प्लास्टिक उद्योग के मामले में शहरी फीडर पर कार्य घटों की संज़्या 20 घंटे प्रतिदिन मानी जाएगी।

(।।) उपरोक्त उद्देश्य के लिए ग्रामीण फीडर को ऐसा फीडर माना जाएगा, जहां प्रतिबंधित आधार पर ग्रामीण क्षेत्र में कृषि की मांग की पूर्ति के लिए आपूर्ति दी जा सकती है।

पूर्वोक्त सेल्ज परिपत्र केवल इस सीमा तक संशोधित है।

सतर्कता और सावधानीपूर्वक अनुपालन के लिए उपरोक्त निर्देश सभी सज़्बन्धित के संज्ञान में लाए जाएं।

मुज़्य अभियंता /वाणिज़्यिक,
द.ह.बि.वि.नि., हिसार।

नोट :- उपरोक्त विषय का हिन्दी अनुवाद मात्र बिजली कर्मियों को सरल भाषा में समझाने हेतु है। अन्य किसी भी उद्देश्य के लिए हिन्दी में अनुवादित संस्करण मान्य नहीं होगा और अंग्रेजी व हिन्दी संस्करण के बीच विरोधाभास में अंग्रेजी संस्करण ही अविभावी होगा।

दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम

सेल्ज परिपत्र संज़्या डी-9/2014

प्रेषक,

मुज़्य अभियंता /वाणिज्यिक,
दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम,
हिसार।

सेवा में,

द.ह.बि.वि.नि. के सभी मुज़्य अभियंता/अधीक्षक अभियंता/कार्यकारी अभियंता/उपमंडल अधिकारी /ऑप्रेशन, उप-कार्यालय प्रभारी जे.ई.-।.

यादि क्रमांक-चेन-9/जी.एम./कमर्शियल/आर-16/28/2004/एफ-11
दिनांक :-27/01/2014

विषय :- **हुडा/एच.एस.आई.आई.डी.सी./निजी कॉलोनाईजरों/एस.ई.जेड. द्वारा विकसित कॉलोनियां/ग्रुप हाऊसिंग सोसाईटियां/बहुमंजिला ईमारत में विद्युतीकरण योजना की स्वीकृति।**

कृपया सेल्ज परिपत्र संज़्या डी-49/2013 दिनांक 20/09/2013 देंखे जो लोड शर्तों में कुछ अस्पष्टता के कारण वापिस ले लिया गया था।

समय-समय पर लोड शर्तों के निर्धारण के लिए परिप्रेक्ष्य संक्षेप में निज़ानुसार है :-

पिछले कुछ वर्षो में, विशेषत: गत दो दशकों के दौरान स्टेक होल्डरों के बीच विचार-विमर्श के मूल क्षेत्र में लोड शर्तों को तय करने का निर्णय लिया गया है। लोड शर्तें मुज़्यत: अधिकतम लोड के लिए निर्धारित की जाती हैं, जो उस समय के किसी बिंदु पर वितरण और पारेषण प्रणाली पर अपेक्षित किया जाए और न्यूनतम क्षमता निर्धारित करने में वास्तव में मार्गदर्शक हो। पर्याप्त सीमा तक लोड शर्तों का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए निज़ दो मुद्दों को ध्यान में रखते हुए उपभोक्ताओं को अबाधित और गुणवत्ता वाली बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए बिजली के बुनियादी ढांचे के स्तर का निर्माण करना है :-

1. कनैक्टिड लोड, जो किसी परिसर, चाहे यह आवासीय, वाणिज्यिक, औद्योगिक या कोई अन्य श्रेणी का है तो इसकी बिजली आवश्यकताएं पूरी करने के उद्देश्य के लिए अपेक्षित स्थापना, और

2. मांग कारक (डी.एफ.) का अर्थ एतद् द्वारा अधिकतम मांग है, जो किसी परिसर पर उसके कुल कनैक्टिड लोड के विरूद्ध किसी भी समय बिंदु पर लाईसैंसधारी की पारेषण और वितरण प्रणाली पर किया जाए।

वर्ष 1993 के दौरान, उस समय बिजली के बुनियादी ढांचे की पर्याप्त क्षमता के निर्माण को सुनिश्चित करने के उद्देश्य के लिए कुछ प्रकार की लोड शर्तों की आवश्यकता हुई थी, लोड, जिसे विकासकों द्वारा घोषित किया जाता था और एच.एस.ई.बी. स्वीकार कर लेता था। अंतिम छोर पर कम ढेर सारी वोल्टेज और लगातार बिजली कट ब्रेक डाऊन सहित कुछ अपर्याप्त कारणों से उपभोक्ताओं के लिए समस्याएं शुरू हो गई थी। उस समय राज्य में ज्यादातर शहरी भूमि विकास का कार्य राज्य स्वामित्व वाली हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण (हुडा) और एच.एस.आई.आई.डी.सी. को सौंपा गया था। जबकि शहरी ज़ूमि विकास में निजी निर्माणकर्त्ताओं की भागेदारी सार्थक और उल्लेखनीय नहीं थी। शुरूआत में, बिजली बुनियादी ढ़ाचे का विकास पर्याप्त सीमा तक सुनिश्चित करने के लिए और राज्य में कुछ लोड शर्तों के निगमन के लिए दिनांक 01/10/1993 को अध्यक्ष, हरियाणा राज्य बिजली बोर्ड और मुज़्य प्रशासक, हुडा द्वारा एक संयुक्त बैठक बुलाई गई थी। बैठक के कार्यवृत मैमों संज़्या 370/ओ.एस.डी./सी. दिनांक 21/10/1993 द्वारा जारी किए गए थे। इस परिपत्र द्वारा, उस समय की पूरी पद्यति उपयोग और सामान्य लोड वृद्धि के आधार पर कनैक्टिड लोड मांग कारक और के लिए शर्तें आंकलित की गई थी। उदाहरण के लिए, दो मरला के लिए कनैक्टिड लोड दो किलोवॉट तय किया गया था, क्रमश: आगे दो कनाल प्लॉट के लिए 12 किलोवॉट तक बढ़ाया था। किन्तु 1995 के बाद और विशेषत: वर्ष 2000 के बाद, शहरी ज़ूमि विकास में वाणिज्यिक स्थापनाएं और अन्य बड़े कार्यालय तथा शॉपिंग मॉल, कुछ प्लॉटों की कॉलोनियां, बहुमंजिला ईमारत वाली हाऊसिंग काज़्लैक्स के बढ़ने के साथ शहर में कम समय में अप्रत्याशित वृद्धि हुई थी। लाईसैंसधारी के वितरण बुनियादी ढ़ाचे और मौजूदा बिजली पारेषण लाईन पर दबाव का यह एक मात्र कारण था। चूंकि ज्यादातर निर्माणकर्त्ता, जब अपनी परियोजनाओं का निष्पादन करते हैं तो अपनी सज़्बन्धित सज़्पदा में उपभोक्ताओं की बिजली आवश्यकताओं को पूरी करने के लिए उचित दृष्टिकोण प्रदर्शित नहीं करते थे, ऐसे क्षेत्रों के उपभोक्ताओं की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए बिजली प्रणाली ज्यादा से ज्यादा संकींण होनी शुरू हो गई थी और बिजली बिजली निगमों द्वारा निर्मित सब-स्टेशनों तथा बिजली लाईनें अपर्याप्त थे।

बदलते परिदृश्य को ध्यान में रखते हुए, हुडा तथा एच.एस.ई.बी. के बीच एक और बैठक 13/12/1997 को आयोजित की गई थी, जिसमें ग्रुप हाऊसिंग सोसाईटियां के लिए भी शर्तें बनाई गई थी और मैंमों संज्या चेन-41/डी.एस.टी.-38 दिनांक 29/12/1997 के तहत जारी की गई थी, इस परिवलन के तहत 900 वर्ग फीट तक के ज़्लैट के लिए कनैक्टिड लोड आठ किलोवॉट तय किया गया था और 900 वर्ग फीट से ज्यादा क्षेत्र वाले ज़्लैट के लिए 16 किलोवॉट तय किया गया था।

लगभग उसी समय, पूरे राज्य में बाजार उदारीकरण के कारण और प्रति व्यक्ति आय बढ़ने, लोगों की जीवन शैली में भी शुरू हुए परिवर्तन को दर्ज किया गया और तद्नुसार, लोगों की प्रतिदिन की आवश्यकता में अधिक से अधिक बिजली उपकरणों से इन कुछ वर्षो में नाटकीय रूप से बदलाव भी आया, जिससे बिजली का उपयोग पद्यति में भी बदलाव आया। राज्य के बहुत से हिस्सों में प्रतिवर्ष लगभग 10 प्रतिशत की दर से वृद्धि दर्ज की गई है और कुछ क्षेत्रों में जैसे एन.सी.आर. गुड़गांव में यह प्रतिवर्ष 15 प्रतिशत की दर से दर्ज की गई है। यह मौजूदा उन्नयन के साथ-साथ नये आधारभूत ढांचे की बिजली मांग वारंटिड निर्माण में वृद्धि दर की चेतावनी है। लेकिन मुज्य प्रश्न यह है कि ऐसे परिवर्धन और संशोधन की लागत किसे वहन करनी चाहिए? जहां तक कानूनी पहलू से सज़्बन्धित पूरा मामला, बिजली अधिनियम-2003 की धारा-2 (19) के साथ धारा-46 पढ़ने के साथ धारा-42 (1) पढ़े, जो वितरण प्रणाली के परिलक्षित भाग के लिए (केवल एक विशेष उपभोक्ता परिसर को लाभ देने के उद्देश्य के लिए निर्मित), यह राज्य में सभी उपभोक्ताओं की वित्तीय जिज़्मेदारी करके निगम के भाग पर अनुचित को पूरी तरह स्पष्ट करता है। उक्त योजना शहरी क्षेत्र अधिनियम, 1975 के साथ इसके अनुवर्ती संशोधनों और नियमों के हरियाणा विकास एवं नियमतीकरण के प्रावधानों में भी प्रदर्शित है, जो आदेश देता है कि निर्माता और विकासक अपनी स्वयं की लागत पर, जिसमें सब-स्टेशन, कनैक्टिंग लाईनें शामिल हैं। अपने छोर पर एक पर्याप्त बिजली आधारभूत ढांचे के निर्माण के लिए बाध्य है तथा अपने निवासियों या विकल्पों के लिए गुणवत्ता और विश्वसनीय बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए एक पर्याप्त अंतरिम आधारभूत ढांचा, ऐसे आधारभूत ढांचे की पारेषण या वितरण लाईसैंसधारी, जैसा भी मामला हो, के पास लागत जमा करवाएं।

बिजली अधिनियम, 2003 की धारा 46 आदेश देती है कि राज्य आयोग, विनियमों द्वारा, किसी वितरण लाईसैंसधारी को, धारा 43 के अनुसरण में बिजली आपूर्ति की अपेक्षा करने वाले व्यक्ति को आपूर्ति देने के उद्देश्य के लिए उपयोग की गई किसी विद्युत लाईन या विद्युत संयंत्र को उपलब्ध करवाने में युक्तियुक्त रूप से अवगत किन्हीं व्ययों को प्रभारित करने के लिए प्राधिकृत कर सकेगा।

बिजली अधिनियम, 2003 द्वारा प्रदत्त उपरोक्त वैधानिक ढांचे को ध्यान में रखते हुए, बिजली अधिनियम, 2003 की धारा 43, 46 व 47 के साथ धारा 181 की उपधारा 2 (द,ड) पढ़े में निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए हरियाणा बिजली विनियामक आयोग (एच.ई.आर.सी.) की इस सज़्बन्ध में लागू होने वाली सभी अन्य शक्तियों ''एच.ई.आर.सी. (प्रार्थना पर बिजली आपूर्ति के लिए शुल्क/आवश्यक प्रतिभूति के लिए बिजली व आपूर्ति देने में आने वाले खर्च की वसूली के लिए शक्तियां) विनियम 2005'', बनाए हैं, उपभोक्ता की अपनी स्वयं की लागत पर वितरण प्रणाली में वृद्धि के निष्पादन को अपनाने के मामले में पर्यवेक्षण शुल्क की वसूली या उपभोक्ता के कहने पर बिजली कार्य बिछाने के मामले, जिसमें वितरण लाईसैंसधारी द्वारा बिछाए गए आधारभूत ढांचे के खर्च की वसूली के लिए वितरण लाईसैंसधारी की शक्तियां बताता है। एच.ई.आर.सी. ने शहरी सज़्दाओं और ग्रुप सोसाइटियों के विद्युतीकरण से सज़्बन्धित कार्य के लिए विशेष प्रावधान बनाएं हैं, जो निज़ानुसार तैयार किए गए हैं :-

''**विनियम-4.9.2 :** शहरी सज़्दाओं और ग्रुप हाऊसिंग सोसाइटियों के विद्युतीकरण से सज़्बन्धित कार्य, ऐसी योजनाओं के लिए मानक लागत डाटा बुक के आधार पर तैयार किए गए , आकलनों और विद्युतीकरण योजना लाईसैंसधारी की स्वीकृति के बाद समितियां/कॉलोनाईजर/सज़्बन्धित विभाग द्वारा निष्पादित किया जाएगा और आवेदक विनियम 4.9.1 के अनुसार लाईसैंसधारी को पर्यवेक्षण शुल्क का भुगतान करेगा। प्रणाली के चालू होने के समय लाईसैंसधारी सुनिश्चित करेगा कि क्या स्वीकृत विद्युतीकरण योजना के अनुसार प्रणाली बिछाई गई है? ऐसे क्षेत्र में कनैक्शन के लिए आवेदन करने वाले उपभोक्ता, लाईसैंसधारी को सेवा कनैक्शन शुल्क का भुगतान नहीं करेंगे, जब तक उसका लोड संस्वीकृत योजना के प्राचल (पैरामीटर) के भीतर है।''

''**विनियम-4.10.1:** लाईसैंसधारी, वार्षिक आधार पर मिलान करेगा और एक अप्रैल को वर्ष की लागत डाटा पुस्तिका प्रकाशित करेगा, जिसमें शहरी सज़्दाओं को और ग्रुप हाऊसिंग सोसाइटियों के विद्युतीकरण के लिए लोड गणना हेतु शर्तों और आवेदक के लिए विस्तारित आपूर्ति के क्रम में वितरण प्रणाली के विस्तार के कार्य के लिए आंकलन तैयार करने के लिए आपेक्षित सभी आवश्यक सूचना शामिल होगी। मानक लागत डाटा पुस्तिका प्रकाशित होने पर एक वर्ष की अवधि के लिए वैध होगी यानि एक अप्रैल से आगामी वर्ष 31 मार्च तक।''

आगे, जैसा की ऊपर पहले उद्धृत है, उपरोक्त योजना, आधारभूत ढांचा विकास के मामले में जिसमें ग्रुप हाऊसिंग सोसाइटियां और प्लॉट वाली कॉलोनियां शामिल हैं, शहरी क्षेत्र अधिनियम, 1975 के साथ इसके अनुवर्ती संशोधनों व नियमों के हरियाणा विकास व नियमतीकरण के प्रावधानों के पूरक है। प्रचलन अनुसार, स्वामी या अनुवर्ती

खरीददार उसके द्वारा दावा यानि कॉलोनाईजर/निर्माणकर्त्ता, विशेष कॉलोनी के विकास के लिए लाईसैंसधारी हेतु निदेशक नगर एवं ग्राम योजनाकार को आवेदन करता है। ऐसा करने पर, वह शपथ-पत्र देता है कि वह कॉलोनी में होने वाले विकास कार्य से सम्बन्धित आवेदन दायर करने में सक्षम है। वह सभी सम्बन्धित पूरे विवरण न केवल आंतरिक बल्कि बाहरी विकास कार्य, जिसमें इसके सीमित विद्युत कार्य शामिल हैं को प्रकट करता है। बिजली कार्य फीडिंग स्रोत की उपलब्धता पर निर्मित होता है यानि लोड आवश्यकतानुसार प्रदत्त विद्युत प्रणाली और उपभोक्ता छोर फीडिंग के लिए सेवा लाईनों और एल.टी.लाईनें वितरक ट्रांसफार्मरों के लिए प्रदत्त आंतरित स्विच/वितरक सब-स्टेशन, पारेषण लाईनें, लोड आवश्यकतानुसार ग्रिड सब-स्टेशन का प्रावधान है।

प्लॉट/फ्लैट मालिकों से विकासक/कॉलोनाईजर द्वारा वसूली गई विकास कार्यों की लागत, जिसका 30 प्रतिशत शैड्यूल एक अलग खाते में बैंक में जमा करवाया गया है और डी.टी.सी.पी. की संतुष्टि के लिए विकासक/कॉलोनाईजर द्वारा किए जाने वाले आंतरिक विकास कार्यों के लिए बनाए रखना है। शेष 70 प्रतिशत उसके द्वारा भूमि की लागत पूरी करने और बाहरी विकास कार्यों के लिए रखा जाता है। सरकार या एक स्थानीय प्राधिकरण निकाय विकासकार्य शुरू करने के मामले में, सापेक्ष विकास शुल्क का भुगतान निर्माणकर्त्ता द्वारा किया जाता है।

अब जमीनी वास्तविकताओं पर वापिस आ रहे हैं, चूंकि हालात हाथ से बाहर हो गए थे और ऐसी विकसित सज़्तियों के निवासियों को अपने सम्बन्धित निर्माता/विकासक द्वारा विकसित किए गए अपर्याप्त बिजली आधारभूत ढांचे की चुभन महसूस शुरू हो गई थी तो, इन शर्तों का अनुसरण करने के लिए और अपने निवासियों की बिजली आवश्यकता को पूरा करने के लिए पर्याप्त बिजली आधारभूत ढ़ांचे का निर्माण करने के लिए निर्माता/विकासक को बुलाकर 2004 में वितरण निगमों ने संशोधित लोड शर्तों का निर्णय लिया। अध्ययन व रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए इस सम्बन्ध में निगम अधिकारियों की एक समिति बनाई गई थी। तद्नुसार, निजी कॉलोनाईजरों/विकासकों के साथ-साथ हुडा द्वारा विकसित क्षेत्रों का एक विस्तृत सर्वेक्षण किया गया था। समिति ने मैंमो संज़्या 7/डी.आर.जी.-30 दिनांक 05/07/2004 द्वारा अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी और सेल्ज परिपत्र संज़्या डी-31/2004 दिनांक 16/09/2004 के द्वारा संशोधित लोड शर्तें परिचालित की गई थी। इस संशोधन में में 220 वर्ग मीटर तक के क्षेत्र वाले प्लॉट के लिए कनैक्टिड लोड 16 किलोवॉट तय किया गया था, जो 650 वर्ग मीटर से ऊपर के पैमाईश वाले प्लॉट के लिए 40 किलोवॉट क्रमश: आगे बढ़ाया था। ये लोड शर्तें आगे 2006 में युक्तिसंगत की गई थी और निर्देश संज़्या 8/2006/पी.डी.एवं सी. दिनांक 17/07/2006 के तहत परिचालित की गई थी।

जमीनी हकीकत सामने आने के साथ और अपनी सम्बन्धित संपत्तियों में बिजली आधारभूत ढांचे के निर्माण पर बड़े निवेश के डर से, अधिकतर निजी निर्माणकर्त्ता/विकासकर्त्ताओं/कॉलोनाईजरों ने एक बहाना या ऐसी लोड शर्तों की विश्वसनीयता पर आपत्तियां उठानी शुरू कर दी थी। जबकि अन्य हुडा व एच.एस.आई.आई.डी.सी. द्वारा इन शर्तों की समीक्षा और संशोधन करने के लिए मांग की गई। अंत में 2006 से प्रभावी इन लोड शर्तों को लागू करने का मुद्दा हरियाणा सरकार के पास पहुंच गया। विभिन्न स्तर पर बहुत सी विवेचना के बाद और निवासियों द्वारा कठिनाई का सामना करने के दृष्टिगत, ये लोड शर्तें उचित और लागू करने योग्य पाई गई। हालांकि, 2006 में परिचालित लोड शर्तों के आधार पर ऐसी अपर्याप्तता पर लागत की भरपाई कौन वहन करेगा के मुद्दे पर, 26/07/2007 को बिजली विभाग, हुडा और नगर एवं ग्राम आयोजना के बीच एक बैठक आयोजित की गई थी, जिसमें मुद्दे निज़्नानुसार निर्णित किए गए थे।

''क) सैक्टर, जो 01/10/1986 तक जारी किए गए थे, जहां तत्कालीन हरियाणा राज्य बिजली बोर्ड द्वारा आंतरिक विद्युतीकरण किया गया है, वहां सम्बन्धित बिजली निगम इन क्षेत्रों में आधारभूत ढांचे के उन्नयन की लागत वहन करेगा। वैकल्पिक रूप से, यदि प्राधिकारी से मिली टिप्पणियों के दृष्टिगत, हुडा और बिजली निगम लोड कारक में 0.25 से 0.40 तक वृद्धि होने के कारण आपेक्षित अतिरिक्त ट्रांसफार्मर के लिए 25:75 के अनुपात में लागत सांझी करेंगे।

ख) सैक्टरों के लिए, जो 01/10/1986 के बाद जारी किए गए थे, जहां प्लॉट की कीमत में अंतरिम आधारभूत ढांचे की लागत दर्ज कर ली गई है, वहां लोड कारक में 0.25 से 0.4 तक वृद्धि होने के कारण आपेक्षित अतिरिक्त ट्रांसफार्मर के खाते पर अतिरिक्त लागत प्राधिकारी द्वारा निर्णित अनुसार 75:25 के अनुपात में बिजली निगम और हुडा द्वारा वहन की जाएगी।''

हरियाणा सरकार के स्तर पर इस बैठक के बाद, 22/07/2010 को अन्य बैठक आयोजित की गई थी, जिसमें सभी विकासकर्त्ताओं/कॉलोनाईजर के लिए 75:25 (हुडा के मामले में) का सूत्र लागू करने का निर्णय लिया गया था। यह निर्णय सेल्ज परिपत्र संज़्या डी-15/2010 दिनांक 14/12/2010 के द्वारा परिचालित किया गया था।

किन्तु, इस सम्बन्ध में हरियाणा बिजली विनियामक आयोग के समक्ष कुछ निर्माणकर्त्ताओं/विकासकर्त्ताओं द्वारा प्रतिबद्धता और सरकारी आदेशों के बावजूद, अधिकतर निर्माणकर्त्ताओं/विकासकर्त्ताओं ने एक पर्याप्त बिजली आधारभूत ढांचे का अब तक भी निर्माण नहीं किया गया है। गुड़गांव की मैसर्ज शीतल इंटरनेशनल के मामले में, 2009 के हरियाणा बिजली विनियामक आयोग के आदेश और हरियाणा सरकार के इस तरह के निर्देशों का हवाला देते हुए, इन वर्षो में

वितरण लाईसैंसधारी सामान्यत: समितियों की ओर तथा उनके सम्बन्धित क्षेत्र विशेष में निवासियों की ओर उनके कर्त्तव्य पूरा करने और उनके साहस प्रदर्शन के लिए इन निर्माणकर्त्ताओं/विकासकर्त्ताओं को आगे आने की आशा की गई। परंतु यह अब तक भी नहीं हुआ है और परिणाम यह है कि ज्यादातर सब-स्टेशन ओवर लोडिड हो गए हैं, ज्यादातर फीडिंग लाईनें ओवरलोडिड हो गई हैं, उपभोक्ताओं को लगातार बिजली कट और ब्रेक डाऊन तथा निम्न वोल्टेज का सामना करना पड़ रहा है तथा कहीं भी इन क्षेत्रों में नये कनैक्शन जारी करने के लिए लाईसैंसधारी के लिए लगभग असम्भव सा हो गया है। आज भी इन विकासकर्त्ताओं/निर्माणकर्त्ताओं के हिस्से उदासीनता की बदकिस्मती है, यहां तक की जब हरियाणा में 600 मेगावाट से ज्यादा बिजली अतिरिक्त थी, तो लाईसैंसधारी निगम न तो नये कनैक्शन जारी करने योग्य है औन न ही अपने उपभोक्ताओं को अधिक बिजली उपलब्ध करवाते हैं।

2006 में परिचालित इन लोड शर्तों की निर्देश संख्या 9/2011 दिनांक 09/05/2011 के तहत मुख्य अभियंता/योजना एवं डिजाईन, दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम, हिसार द्वारा निर्देशों के माध्यम से फिर से पुष्टि की गई है। इन निर्देशों के माध्यम से, विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं, जबकि हुडा/एच.एस.आई.आई.डी.सी./कॉलोनाईजर लाईसैंसधारी/एस.ई.जेड. द्वारा विकसित किए जा रहे नए सैक्टरों के क्षेत्रों में बल्क और अन्य प्लॉट वाली कॉलोनियां/सैक्टर/ग्रुप हाऊसिंग सोसाइटियों के विद्युतीकरण की योजना का अनुसरण किया जाना है।

वितरण निगमों, एच.एस.आई.डी.सी. और हुडा के बीच इन लोड शर्तों पर समय-समय पर आयोजित विचार-विमर्श के बाद,, यद्यपि लोड शर्तों के कनैक्टिड लोड के भाग पर एक सामान्य समझौता किया गया है, यहां उपभोक्ताओं की विभिन्न श्रेणियों के लिए मांग कारक की समीक्षा और संशोधन के लिए मांग की गई है।

अब हुडा, एच.एस.आई.आई.डी.सी. व बिजली निगमों के लंबित मुद्दों से सम्बन्धित प्रधान सचिव (बिजली) की अध्यक्षता में 13/12/2013 (प्रतिलिपि संलग्न) को आयोजित बैठक में मामले की पुन: समीक्षा की गई है और निर्णय लिया गया कि लोड शर्तें व अन्य कारक नीचे दिए गए अनुसार जनवरी, 2006 से पूर्वव्यापी लागू होंगे :-

क) <u>हुडा/निजी कॉलोनाईजरों द्वारा विकसित आवासीय सैक्टरों/कॉलोनियों के प्लॉटों के लिए बिजली लोड शर्तें</u>

प्लॉटों का आकार/श्रेणी	**क-वर्ग**	**ख-वर्ग**	**ग-वर्ग**
	लोड	**लोड**	**लोड**
2 मरला	6 किलोवॉट	4 किलोवॉट	2 किलोवॉट
4 मरला	10 किलोवॉट	6 किलोवॉट	6 किलोवॉट
6 मरला	12 किलोवॉट	8 किलोवॉट	6 किलोवॉट
8 मरला	16 किलोवॉट	10 किलोवॉट	8 किलोवॉट
10 मरला	20 किलोवॉट	15 किलोवॉट	12 किलोवॉट
14 मरला	25 किलोवॉट	20 किलोवॉट	15 किलोवॉट
1 कनाल	30 किलोवॉट	20 किलोवॉट	20 किलोवॉट
2 कनाल	40 किलोवॉट	30 किलोवॉट	25 किलोवॉट

इन लोड शर्तो के लिए शहरों को निम्नानुसार श्रेणीबद्ध किया है :

वर्ग क : गुड़गांव, सोनीपत, फरीदाबाद, मानेसर, पंचकूला, अंबाला, पानीपत, करनाल, रोहतक।

वर्ग ख : यमुनानगर, जगाधरी, सिरसा, फतेहाबाद, हिसार, बहादुरगढ़, पलवल, रेवाड़ी, कैथल, कुरूक्षेत्र।

वर्ग ग: जींद, भिवानी, नारनौल, झज्जर, नरवाना, हांसी और उपरोक्त क व ख वर्ग के अलावा हुडा/निजी कॉलोनाईजर/विकासक द्वारा विकसित किए जा रहे अन्य छोटे शहर व नगर।

ख) <u>ग्रुप हाऊसिंग सोसाइटियों के फ्लैटों के लिए लोड शर्तें</u>

क्रमांक संख्या	**ढके क्षेत्र वाले फ्लैट**	**कनैक्टिड लोड (किलोवॉट)**
1.	900 वर्ग फीट तक	8
2.	900 से 1600 वर्ग फीट	16

3.	1601 से 2500 वर्ग फीट	20
4.	2500 से ऊपर वर्ग फीट	24

ग) <u>शॉपिंग सैंटर (वाणिज्यिक) के लिए लोड शर्तें</u>

क्रमांक संज्या	**विवरण**	**कनैक्टिड लोड**
1.	क्योसक	2 किलोवॉट प्रत्येक
2.	बूथ	4 किलोवॉट प्रत्येक
3.	डी.एस.एस. (दो मंजिला दुकान)	प्रति मंजिल 6 किलोवॉट
4.	शोरूम/एस.सी.ओ./एस.सी.एफ.	प्रति मंजिल प्रति बारजा 12 किलोवॉट

घ) <u>औद्योगिक प्लॉटों के लिए लोड शर्तें</u>

क्रमांक संज्या	**प्लॉट का आकार**	**क्षेत्र वर्ग मीटर/(एकड़)**	**लोड (किलोवॉट)**
1.	12.5×25	312.50	30
2.	15×30	450 (0.125)	40
3.	22.5×40.7	915.75 (0.25)	50
4.	22.5×45	1,012.50 (0.25)	60
5.	30×60	1800 (0.50)	75
6.	37.6×72.5	2,726.00 (0.75)	100
7.	45×90	4050 (1.00)	200
8.	61×73	4453 (1.00)	200
9		8000 (2.00)	500
10.		20000 (5.0)	1000
11.		40000 (10.0)	4000
12.		40000 से 60000 (10.0 से 15.0)	5000

<u>ड) आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग (ई.डब्ल्यू.एस.) के लिए लोड शर्तें</u>

आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग (ई.डब्ल्यू.एस.) के मामले में, 350 वर्ग फीट तक ढके हुए ज़्लैट के लिए कनैक्टिड लोड न्यूनतम तीन किलोवॉट या विकासकर्त्ता के विद्युतीकरण योजना के अनुसार, जो भी ज्यादा है, किया जाएगा।

नोट :-

1.) आवेदित लोड के लिए आवासीय प्लॉटों के लिए 0.40 का मांग कारक और समूह हाऊसिंग समितियों के लिए 0.5 लागू होगा, जिसके लिए आधारभूत ढ़ांचा क्षमता हुडा/एच.एस.आई.आई.डी.सी./निजी कॉलोनाईजर/विकासकों/एस.ई.जेड. आदि द्वारा विकसित की जानी है।

2.) शॉपिंग सैंटर (वाणिज्यिक) के लिए मांग कारक 0.5 होगा। किसी मामले में वाणिज्यिक लोड उपरोक्त श्रेणियों में शामिल नहीं होता है, तो 0.6 मांग कारक के साथ एफ.ए.आर. क्षेत्र का प्रति 100 वर्ग मीटर 21 किलोवॉट लोड माना जाएगा।

3.) उपभोक्ताओं की ऐसी श्रेणी के मामले में उपरोक्त किसी भी श्रेणियों के अन्तर्गत शामिल नहीं होने पर मांग कारक 0.5 के रूप में लिया जाएगा।

4.) विद्युतीकरण योजना में सामान्य/सार्वजनिक निगमों के लिए मांग कारक 0.5 के रूप में लिया जाएगा।

5.) औद्योगिक लोड शर्तों के लिए मांग कारक **0.625** के रूप में लिया जाएगा।

6.) जब हुडा/एच.एस.आई.आई.डी.सी./निजी कॉलोनाईजरों/विकासकों/एस.ई.जेड आदि द्वारा विकसित किए जाने वाली वितरण प्रणाली की क्षमता में परिवर्तन करना हो, तब वितरण ट्रांसफार्मर/ट्रांसफार्मरों की अधिकतम लोडिंग पर अधिकतम सीमा 80 प्रतिशत होगी। बाजार में उपलब्ध सभी आकार के वितरक ट्रांसफार्मर के अनुरूप लोड किया जा सकता है, किन्तु आई.एस.आई. चिन्हित चार-स्टार रेटिड होना चाहिए।

7.) 33 के.वी. वोल्टेज स्तर पर कनैक्शन पांच एम.वी.ए. से ऊपर 25 एम.वी.ए. तक, जहां भी सम्भव है, की अनुमति होगी।

8.) इन लोड शर्तों को ई.डी.सी. शुल्कों के अद्यतनीकरण के साथ समन्वयित प्रत्येक तीन वर्षो में संशोधित/अद्यतित किया जाएगा।

9.) हुडा द्वारा वसूली गई पी.डी.सी.राशि जब भी प्राप्त होती है तो वितरण एवं पारेषण आधारभूत ढांचे के निर्माण के लिए निगम और हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड को स्थानांतरित की जाएगी और सब-स्टेशन के स्थल के लिए अब तक प्राप्त की गई ए.टी.सी. को तुरंत एक महीने के भीतर निगमों को हस्तांतरित किया जााएगा।

10.) बिजली निगमों और विकासक के बीच सांझा लागत व्यवस्था निम्नानुसार होगी :-

- 1986 से पहले जारी सैक्टरों के लिए : बिजली निगम 75 प्रतिशत, विकासक 25 प्रतिशत।
- 2006 से पहले और 1986 के बाद जारी सैक्टरों के लिए : बिजली निगम 25 प्रतिशत, विकासक 75 प्रतिशत।
- 2006 के बाद जारी सैक्टरों के लिए : विकासक 100 प्रतिशत।

पी.एण्ड डी. निर्देश 9/2011, दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम योजना नियमावली, एस.एम.आई.संख्या 5.22 एवं सभी सम्बन्धित निर्देश इस सीमा तक संशोधित हैं।

सतर्कता और सावधानी पूर्वक अनुपालन के लिए उपरोक्त निर्देश सभी सम्बन्धित के संज्ञान में लाए जाएं।

उपरोक्त अनुसार/दस्तावेज संलग्न

अधीक्षक अभियंता,
कृते : मुख्य अभियंता /वाणिज्यिक,
द.ह.बि.वि.नि., हिसार।

नोट :- उपरोक्त विषय का हिन्दी अनुवाद मात्र बिजली कर्मियों को सरल भाषा में समझाने हेतु है। अन्य किसी भी उद्देश्य के लिए हिन्दी में अनुवादित संस्करण मान्य नहीं होगा और अंग्रेजी व हिन्दी संस्करण के बीच विरोधाभास में अंग्रेजी संस्करण ही अविभावी होगा।

दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम

सेल्ज परिपत्र संज़्या डी -10/2014

प्रेषक,

मुज़्य अभियंता /वाणिज्यिक,
दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम,
हिसार।

सेवा में,

द.ह.बि.वि.नि. के सभी मुज़्य अभियंता/अधीक्षक अभियंता/कार्यकारी अभियंता/उपमंडल अधिकारी /ऑप्रेशन, उप-कार्यालय प्रभारी जे.ई.- I.

यादि क्रमांक-चेन-10/जी.एम./कमर्शियल/आर-16/370/2005/एफ-25
दिनांक :- 31/01/2014

विषय :- पिल्लर बॉक्स योजना का कार्यान्वयन।

हरियाणा सरकार ने दिनांक 26/09/2013 को एकमुश्त भुगतान योजना अनुमोदित की, समय-समय पर संशोधित और दिनांक 10/01/2014 को सेल्ज परिपत्र संज़्या डी-02/2014 के तहत जारी किया।

हरियाणा सरकार के दिनांक 02/01/2014 के निर्णय की अनुपालना में अब, **मामले की पुनः समीक्षा की गई और निर्णय लिया गया कि वितरण निगमों की ''पिल्लर बॉक्स योजना'' स्वैच्छिक आधार पर है और वह गांव, जो ''पिल्लर बॉक्स योजना'' अपनाने को तैयार हैं। केवल वहीं इस योजना में शामिल होंगे। योजना को अपनाने के लिए कोई दबाव नहीं दिया जाएगा।**

यह प्रणली केवल उन गांवों और क्षेत्रों में कार्यान्वित की जानी चाहिए, जहां के निवासी नई सुरक्षित और विश्वसनीय प्रणाली के निर्माण के लिए निगमों को अनुरोध करने के लिए स्वैच्छा से आगे आते हैं। ''पिल्लर बॉक्स योजना'' अपना रहे क्षेत्रों को बिजली वितरण निगम द्वारा 24 घंटे बिजली आपूर्ति दी जाएगी।

लोगों को यह स्पष्ट किया जाना चाहिए कि ''पिल्लर बॉक्स योजना'' बिछाने पर किया गया कुल खर्च निगमों द्वारा वहन किया जाएगा।''पिल्लर बॉक्स योजना'' अपनाने वाले उपभोक्ताओं को बिल में 20 प्रतिशत तक की एक छूट दी जाएगी। प्रणाली की क्षमता के अनुसार संवर्धन और पूरी प्रणाली का नवीनीकरण किया जाएगा, इससे ट्रिपिंग और ब्रेक डाऊन नहीं होगा तथा कम वोल्टेज की समस्या का भी समाधान हो जाएगा।

इस सज़्बन्ध में निज़लिखित निर्देशों का अनुसरण किया जाए :-

1. 20 प्रतिशत छूट का लाभ केवल आर.डी.एस. उपभोक्ताओं के लिए लागू है।
2. जहां गांवों में पिल्लर बॉक्स योजना पहले से लागू की जा चुकी है, उन्हें कार्य पूरा होने की तिथि के दिन से ही 10 प्रतिशत छूट दी जाएगी और एक वर्ष की कुल अवधि के बाद 20 प्रतिशत की छूट दी जाएगी।
3. इस छूट की अनुमति केवल उन उपभोक्ताओं को हैं, जो पिल्लर बॉक्स की स्थापना के बाद नियमित रूप से अपने बिजली के बिल का भुगतान कर रहे हैं जैसे यदि एक उपभोक्ता जनवरी, 2014 के महीने के बिल का भुगतान करता है तो उसे छूट फरवरी, 2014 के महीने में दी जाएगी इत्यादि।
4. घरेलू उपभोक्ताओं के लिए अलग विविध शुल्क और भत्ता रजिस्टरों का रख-रखाव किया जाएगा। इस योजना के तहत सभी समायोजनों को विविध शुल्क और भत्ता रजिस्टरों के माध्यम से बनाया जाएगा।
5. उपभोक्ताओं की संज़्या से सज़्बन्धित मासिक वक्तव्य, जो योजना को अपना लेते हैं, फीडर पिल्लर बॉक्स में परिसरों से बाहर मीटर स्थानांतरित करने के लिए 10/20 प्रतिशत छूट दी जाएगी, इसकी नियमित अनुपालना और कार्यकारी अभियंता/निगरानी,द.ह.बि.वि.निगम, हिसार के कार्यालय को इस योजना को बढ़ाने के लिए निगरानी हेतु सूचित किया जाना चाहिए। योजना का व्यापक प्रचार करना होगा।

पूर्वोक्त सेल्ज परिपत्र केवल इस सीमा तक संशोधित है।

सतर्कता और सावधानी पूर्वक अनुपालन के लिए उपरोक्त निर्देश सभी सज़्बन्धित के संज्ञान में लाए जाएं।

मुज़्य अभियंता /वाणिज्यिक,
द.ह.बि.वि.नि., हिसार।

नोट :- उपरोक्त विषय का हिन्दी अनुवाद मात्र बिजली कर्मियों को सरल भाषा में समझाने हेतु है। अन्य किसी भी उद्देश्य के लिए हिन्दी में अनुवादित संस्करण मान्य नहीं होगा और अंग्रेजी व हिन्दी संस्करण के बीच विरोधाभास में अंग्रेजी संस्करण ही अविभावी होगा।

दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम

सेल्ज परिपत्र संज़्या डी -11/2014

प्रेषक,

मुज़्य अभियंता /वाणिज्यिक,
दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम,
हिसार।

सेवा में,

द.ह.बि.वि.नि. के सभी मुज़्य अभियंता/अधीक्षक अभियंता/कार्यकारी अभियंता/उपमंडल अधिकारी /ऑप्रेशन, उप-कार्यालय प्रभारी जे.ई.-।.

यादि क्रमांक-चेन-16/जी.एम./कमर्शियल/आर-16/346/2005/एफ-27

दिनांक :- 31/01/2014

विषय :- आवासीय कॉलोनियों का नियोक्ता के आवासीय परिसर-सह-कार्यालय, ग्रुप हाऊसिंग सोसाईटियों और विकासकर्त्ताओं के आवासीय परिसर-सह-व्यवसायिक के लिए एकल बिन्दु आपूर्ति विनियम।

कृपया हरियाणा बिजली विनियामक आयोग की अधिसूचना दिनांक 09/01/2013 की अनुपालन में जारी सेल्ज परिपत्र संज़्या डी-04/2013 दिनांक 19/01/2013 देंखे, जिसके तहत एकल बिंदु आपूर्ति के लिए विवरणात्मक दिशा-निर्देश जारी किए थे। अब यह निर्णय लिया गया है कि सभी पावर कॉलोनियों (20 घंटे से ज्यादा होना) 01/04/2014 से लागू एकल बिंदु मीटरिंग पर बिल जारी किए जाएं।

विनियम के कार्यान्वयन के लिए प्रक्रिया निज़लिखित है :-

1. एकल बिंदु पर बिजली की आपूर्ति के कार्यान्वयन के लिए प्रक्रिया 15 फरवरी तक पूरी की जाए।
2. नामित अधिकारियों के नाम पांच फरवरी तक एक्सईन/मॉनिटरिंग, दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम, हिसार के कार्यालय को सूचित किया जाए।
3. नोडल अधिकारी 15 फरवरी तक कॉलोनी का नक्शा प्रारूप-। संलग्न करेगा और सज़्बन्धित उपमंडल अधिकारी/परिचालन को सौंपेगा।
4. सहायक कार्यकारी अभियंता/परिचालन नोडल अधिकारी द्वारा भेजी गई सूची के अनुसार एक अलग मीटर खाना तैयार करेगा।
5. फरवरी/मार्च के महीने में आमतौर पर बिल जारी किए जाएंगे और फरवरी/मार्च, 2014 के बिलों की अंतिम रीडिंग भी नोडल अधिकारी को भेजी जाएगी और वह मीटर रीडिंग आगामी बिलों के लिए आई.आर. के रूप में मीटर के खानों में दर्ज की जाएगी।
6. उन कॉलोनियों में सभी मीटरों को फरवरी/मार्च के महीने में उसी दिन पढ़ा जाएगा और एकल बिंदु मीटर की रीडिंग एक साथ ही दर्ज की जाएगी।
7. एक अप्रैल को, एक बिंदु मीटर और सभी मीटरों की रीडिंग एक साथ ली जाएगी।
8. एक अप्रैल की रीडिंग के आधार पर, एकल बिंदु आपूर्ति के बिल और उपभोक्ताओं को सात अप्रैल तक जारी कर दिए जाएंगे और दस अप्रैल तक वितरित कर दिए जाएंगे।
9. सभी निवासियों को अपने बिल 17 अप्रैल तक नोडल अधिकारी को जमा करवाने हैं और नोडल अधिकारी 25 अप्रैल तक उपमंडल अधिकारी (परिचालन) को एकल बिंदु बिल जमा करवाएगा।

के लिए प्रारज़्भ में उपमंडल अधिकारी (परिचालन) सेवाएं प्रदान करेगा :-

1. नोडल अधिकारी द्वारा प्रस्तुत सर्वेक्षण के अनुसार मीटर खाना तैयार करना।
2. नोडल अधिकारी द्वारा प्रस्तुत रीडिंग पर बिल तैयार करना।
3. वितरण ट्रांसफार्मर और एल.टी. प्रणाली का रख-रखाव।
4. नोडल अधिकारी की मीटर की लागत जमा करवाने पर किसी दोषपूर्ण मीटर को बदला जाएगा।
5. नोडल अधिकारी के अनुरोध पर शुद्धता/छेड़छाड़ या मांपाकन/सीलिंग के लिए निजी मीटरों की जांच की सुविधा।

सतर्कता और सावधानी पूर्वक अनुपालन के लिए उपरोक्त निर्देश सभी सज़्बन्धित के संज्ञान में लाए जाएं।

मुज़्य अभियंता /वाणिज्यिक,
द.ह.बि.वि.नि., हिसार।

नोट :- उपरोक्त विषय का हिन्दी अनुवाद मात्र बिजली कर्मियों को सरल भाषा में समझाने हेतु है। अन्य किसी भी उद्देश्य के लिए हिन्दी में अनुवादित संस्करण मान्य नहीं होगा और अंग्रेजी व हिन्दी संस्करण के बीच विरोधाभास में अंग्रेजी संस्करण ही अविभावी होगा।

प्रारूप-।

सब-डिवीजन का नाम

कॉलोनी का नाम :-

क्रमांक संज्या	मकान नज़्बर	निवासी व्यक्ति का नाम	पद	खाता संज्या

दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम

सेल्ज परिपत्र संज़्या डी -12/2014

प्रेषक,

मुज़्य अभियंता /वाणिज्यिक,
दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम,
हिसार।

सेवा में,

द.ह.बि.वि.नि. के सभी मुज़्य अभियंता/अधीक्षक अभियंता/कार्यकारी अभियंता/उपमंडल अधिकारी /ऑप्रेशन, उप-कार्यालय प्रभारी जे.ई.-।.

यादि क्रमांक-चेन-12/एस.ई./सी-आर-16/279/2005/एफ-9
दिनांक :- 12/02/2014

विषय :- **बिजली आपूर्ति संहिता-विनियम संज़्या 29/2014।**

दिनांक 08/01/2014 की अधिसूचना की अनुपालना के लिए विनियम संज़्या हरियाणा बिजली विनियामक आयोग (एच.ई.आर.सी.)/29/2014 की प्रति कृपया संलग्न है। एच.ई.आर.सी. की अधिसूचना आयोग की वैबसाईट **www.herc.gov.in** पर भी उपलब्ध है।

सभी सज़्बन्धित निर्देश कृपया इस सीमा तक संशोधित हैं।
सतर्कता और सावधानी पूर्वक अनुपालन के लिए उपरोक्त निर्देश सभी सज़्बन्धित के संज्ञान में लाए जाएं।

उपरोक्त अनुसार/दस्तावेज संलग्न

अधीक्षक अभियंता
कृते : मुज़्य अभियंता /वाणिज्यिक,
द.ह.बि.वि.नि., हिसार।

नोट :- उपरोक्त विषय का हिन्दी अनुवाद मात्र बिजली कर्मियों को सरल भाषा में समझाने हेतु है। अन्य किसी भी उद्देश्य के लिए हिन्दी में अनुवादित संस्करण मान्य नहीं होगा और अंग्रेजी व हिन्दी संस्करण के बीच विरोधाभास में अंग्रेजी संस्करण ही अविभावी होगा।

दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम

सेल्ज परिपत्र संज़्या डी -13/2014

प्रेषक,

मुज़्य अभियंता /वाणिज्यिक,
दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम,
हिसार।

सेवा में,

द.ह.बि.वि.नि. के सभी मुज़्य अभियंता/अधीक्षक अभियंता/कार्यकारी अभियंता/उपमंडल अधिकारी /ऑप्रेशन, उप-कार्यालय प्रभारी जे.ई.-।.

यादि क्रमांक-चेन-13/एस.ई./सी-आर-16/139/2004/वोल्यूम-।
दिनांक :- 12/02/2014

विषय :- **भारतीय बिजली अधिनियम-2003 की धारा 135 के तहत दर्ज मामलों के लिए अपील दायर करने का प्रावधान।**

वर्तमान में भारतीय बिजली अधिनियम-2003 की धारा 135 के तहत दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम में अपील दायर करने से सज़्बन्धित कोई प्रावधान नहीं है। गत् विधानसभा सत्र में माननीय बिजली मंत्री ने चोरी के मामलों में फील्ड स्टॉफ द्वारा बिजली के दुरूपयोग/अनियमिताओं की जांच के लिए अपीलीय प्राधिकरण का सृजन करने की घोषणा की थी। तद्नुसार, प्रस्ताव उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम को भेजा गया, मुज़्यमंत्री, हरियाणा सरकार ने दिनांक 18/11/2013 को निज़्लिखित अनुमोदन किया :-

1) उपभोक्ता को अपने आंकलन शुल्क की समीक्षा के लिए 72 घंटे पूर्व आवेदन की अनुमति दी जा सकती हे। (उपभोक्ता को आंकलित राशि और समझौता शुल्क जमा करवाने के लिए अवसर), जिसमें आंकलन आदेश स्वगत कथन की व्यवस्था, बात की पुष्टि, संशोधन यदि वह सही समझता है, के आदेश पारित करने के बाद सज़्बन्धित सर्कलों के अधीक्षक अभियंता/परिचालन (समीक्षा अधिकारी) द्वारा निर्णय करना होगा। समीक्षा प्राधिकारी चोरी के मामलों में निज़् स्तरीय स्टॉफ उपमंडल अधिकारी/कनिष्ठ अभियंता की बिजली के दुरूपयोग/अनियमिताओं की जांच करेगा व लोड की गणना, दिशा-निर्देशों का आवेदन आदि सही प्रकार से आरज़्भ करना सुनिश्चित करेगा।

2) बशर्ते कि कोई व्यक्ति आंकलनआदेश के विरूद्ध समीक्षा के लिए अनुरोध करता है, जबकि आंकलित जुर्माने का 50 प्रतिशत जमा करवाने पर समीक्षा आवेदन दायर करना होगा। परंतु उसकी आपूर्ति अंतिम निर्णय तक बहाल नहीं की जाएगी। समीक्षा आवेदन पर समीक्षा करने वाले अधिकारी द्वारा 15 दिनों के भीतर निर्णय लेना होगा। यदि अपीलीय अधिकारी अपील पर निर्णय लेने में 15 दिनों से ज्यादा का समय लेता है, कारणों के लिए रोप्य होगा, उसके विरूद्ध केवल कार्यवाही ही नहीं की जाएगी, उपभोक्ता को पुन: कनैक्शन दे दिया जाएगा ताकि समीक्षा पर अंतिम निर्णय हो। समीक्षा पर निर्णय के बाद, यदि उपभोक्ता 72 घंटे के भीतर भुगतान करने में विफल होता है तो उसका कनैक्शन पुन: काट दिया जाएगा।

दिनांक 08/01/2014 को विनियम संज़्या एच.ई.आर.सी./29/2014 के तहत अधिसूचित बिजली आपूर्ति संहिता में निहित धारा-135 के अंतर्गत बिजली की चोरी के लिए दूसरे नियम व शर्तें इसी प्रकार रहेगी।

सतर्कता और सावधानी पूर्वक अनुपालन के लिए उपरोक्त निर्देश सभी सज़्बन्धित के संज्ञान में लाए जाएं।

अधीक्षक अभियंता
कृते : मुज़्य अभियंता /वाणिज्यिक,
द.ह.बि.वि.नि., हिसार।

नोट :- उपरोक्त विषय का हिन्दी अनुवाद मात्र बिजली कर्मियों को सरल भाषा में समझाने हेतु है। अन्य किसी भी उद्देश्य के लिए हिन्दी में अनुवादित संस्करण मान्य नहीं होगा और अंग्रेजी व हिन्दी संस्करण के बीच विरोधाभास में अंग्रेजी संस्करण ही अविभावी होगा।

दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम

सेल्ज परिपत्र संज़्या डी-14/2014

प्रेषक,

मुज़्य अभियंता /वाणिज्यिक,
दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम,
हिसार।

सेवा में,

द.ह.बि.वि.नि. के सभी मुज़्य अभियंता/अधीक्षक अभियंता/कार्यकारी अभियंता/उपमंडल अधिकारी /ऑप्रेशन, उप-कार्यालय प्रभारी जे.ई.-।.

यादि क्रमांक-चेन-14/एस.ई./सी-आर-16/757/एफ-33
दिनांक :-20/02/2014

विषय :- **बिलिंग एजेंसियों द्वारा उपभोक्ता की बिलिंग।**

यह प्रबन्धन के संज्ञान में आया है कि बिलिंग एजेंसियों और मीटर रीडिंग एजेंसियों से ज्यादा फील्ड अधिकारियों के नियंत्रण की कमी के कारण उपभोक्ताओं की बड़ी संज़्या में गलत/भारी बिल जारी किए जा रहे हैं। इन कारणों से उपभोक्ताओं को बड़ी असुविधा होती है और वे बिलों को ठीक करवाने के लिए यहां-वहां चक्कर लगाते हैं।

योग्य प्रबन्ध निदेशक, उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम/दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम की अध्यक्षता में दिनांक 06/02/2014 को हुई बैठक में मामले की पुन: समीक्षा की गई, जिसमें फील्ड कार्यालयों से कुछ अधिकारियों हरियाणा एक्स सर्विस लीग और बिलिंग एजेंसियों ने भाग लिया और यह निर्णय लिया था कि

1. हरियाणा एक्स सर्विस लीग/कोई दूसरी रीडिंग एजेंसी सज़्बन्धित उपमंडल अधिकारी/परिचालन को प्रतिदिन के आधार पर शहरी क्षेत्रों की रीडिंग प्रस्तुत करेंगे।

2. उपमंडल अधिकारी/परिचालन सभी उपभोक्ताओं के कोड सहित यानि (बी,डी,जी,एल,एन,एस) और रीडिंग एजेंसियों द्वारा प्रतिदिन क्रम रहित (बिना सोचे समझे) प्रस्तुत की गई पांच प्रतिशत रीडिंग की जांच करेगा।

3. रीडिंग एजेंसी को प्रत्येक माह की 15 और 30/31 तारीख तक समूह की पूरी रीडिंग भी प्रस्तुत करनी होगी, जिसमें विफल होने पर दोष के प्रत्येक दिन के लिए प्रति समूह पांच हजार रूपये का जुर्माना लगाया जाएगा।

4. उपमंडल अधिकारी/परिचालन पुन: जांच करेगा और सभी उपभोक्ताओं को कोड सहित स्पष्ट और बिलिंग एजेंसी यानि (30/31 से 5 और 15 से 20 तारीख के बीच) को भेजने से पूर्व चार दिनों के समय के भीतर पूरे समूहों के ग्रामीण क्षेत्र में पांच प्रतिशत उपभोक्ताओं की रीडिंग और मीटर रीडिंग शीट के अंतिम पेज पर एक प्रमाण-पत्र दर्ज करेगा कि सभी कोड और रीडिंग के पांच प्रतिशत की जांच कर ली गई है।

5. यदि जांच के दौरान, रीडिंग का कोई संचयीकरण पाया जाता है तो स्थल पर ही एल.एल.-। भरी जानी चाहिए और एच.ई.एस.एल./रीडिंग एजेंसी को व्यक्तिगत तौर पर बताया जाए और रीडिंग के संचयीकरण का रीडिंग एजेंसी को विवरण/स्पष्ट किया जाए।

6. संचित रीडिंग की आंकलित राशि का 50 प्रतिशत जुर्माना वसूला जाएगा और एच.ई.एस.एल./रीडिंग एजेंसी के बिलों से कटौती की जाएगी।

7. इसके अतिरिक्त, उस व्यक्ति के विरूद्ध एफ.आई.आर.भी दर्ज करवानी होगी, जो गलत रीडिंग लेता है।

8. बिलिंग डाटा की पावती के बाद बिलों के अंतिम मुद्रण की प्रक्रिया से पूर्व, बिलिंग एजेंसियां जांच सूचियां बनाएंगी और सज़्बन्धित उपमंडल अधिकारी/परिचालन को निज़्नलिखित भेजेंगी :-

   क. विभिन्न परामर्शो (71 से 75) की जांच सूची।

   ख. मास्टर फाईल की जांच सूची

   ग. नकारात्मक बिलों सहित अनुचित रीडिंग की रिर्पाट और 50 प्रतिशत से कम खपत के लिए और पिछले बिल की

खपत का 300 प्रतिशत से ज्यादा और 50 प्रतिशत से कम तथा उसी अवधि के लिए पिछले वर्षो की खपत का 100 प्रतिशत से अधिक का भी बनाया जाए। इस सूची में प्रत्येक उपभोक्ता प्रत्येक जांच करना, यह उपमंडल अधिकारी का कर्तव्य है और बिलों के मुद्रण और वितरण करने से पूर्व आवश्यकतानुसार उचित कार्रवाई करें।

घ. आई.एम.एस.कोड बिल (उपमंडल अधिकारी/परिचालन द्वारा यह सुनिश्चित करना होगा कि आई.एन. और एस. कोड पर कोई बिल जारी नहीं किया है)।

ड. स्टबस की जांच सूची

उपमंडल अधिकारी/परिचालन चार दिनों के भीतर सूचियों को सत्यापित करेगा और बिलों को अंतिम रूप से तैयार करने के लिए बिलिंग एजेंसी को प्रस्तुत करेगा।

विवरण	**अनुसूची**
बिलिंग एजेंसी द्वारा रीडिंग और दूसरे डाटा की पावती	प्रत्येक महीने की 5 और 20 तारीख
बिलिंग एजेंसी द्वारा जांच सूची बनाना	12/27 तारीख
सब-डिवीजन और पुन: प्रस्तुतीकरण द्वारा जांच सूची की जांच करना	बिलिंग एजेंसी को 16/31 तारीख नवीनतम चार दिनों के भीतर
बिलों और बही खातों को बनाना	आमतौर पर 20/5 तारीख

9. जबकि जांच सूची के माध्यम से जाने पर, यदि बिलिंग एजेंसी की ओर से डाटा प्रविष्टि में कोई व्यवधान बिलिंग चक्र में कुल प्रविष्टियों का 0.2 प्रतिशत से ज्यादा पाया जाता है तो बिलिंग एजेंसी से 500 रूपये प्रति गलत छिद्रण (पंचिग) का जुर्माना वसूला जाएगा।

सेल्ज परिपत्र संज्या डी-46/2013 का स्थान लेगा।

'यह सेल्ज निर्देश आयोग द्वारा जारी टैरिफ आदेश के किसी भाग का (प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष) उल्लघंन नहीं करता है।'

सतर्कता और सावधानी पूर्वक अनुपालन के लिए उपरोक्त निर्देश सभी सज्बन्धित के संज्ञान में लाए जाएं।

मुज्य अभियंता /वाणिज्यिक,
द.ह.बि.वि.नि., हिसार।

नोट :- उपरोक्त विषय का हिन्दी अनुवाद मात्र बिजली कर्मियों को सरल भाषा में समझाने हेतु है। अन्य किसी भी उद्देश्य के लिए हिन्दी में अनुवादित संस्करण मान्य नहीं होगा और अंग्रेजी व हिन्दी संस्करण के बीच विरोधाभास में अंग्रेजी संस्करण ही अविभावी होगा।

दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम

सेल्ज परिपत्र संज़्या डी -15/2014

प्रेषक,

मुज़्य अभियंता /वाणिज्यिक,
दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम,
हिसार।

सेवा में,

द.ह.बि.वि.नि. के सभी मुज़्य अभियंता/अधीक्षक अभियंता/कार्यकारी अभियंता/उपमंडल अधिकारी /ऑप्रेशन, उप-कार्यालय प्रभारी जे.ई.-।.

यादि क्रमांक-चेन-12/एस.ई./सी-आर-16/279/2005/एफ-9
दिनांक :- 21/02/2014

विषय :- बिजली आपूर्ति संहिता-विनियम संज़्या 29/2014।

कृपया सेल्ज परिपत्र संज़्या डी-12/2014 दिनांक 12/02/2014 देंखे, जिसके तहत बिजली आपूर्ति संहिता पर विनियम संज़्या हरियाणा बिजली विनियामक आयोग (एच.ई.आर.सी.)/29/2014 की अनुपालना के लिए फील्ड में जारी किया था।

मामले की पुन: समीक्षा की गई और प्रबन्ध द्वारा निर्णय लिया गया कि आगामी आदेश तक सेल्ज परिपत्र संज़्या-डी-12/2014 आस्थगित रखा जाए।

सतर्कता और सावधानी पूर्वक अनुपालन के लिए उपरोक्त निर्देश सभी सज़्बन्धित के संज्ञान में लाए जाएं।

अधीक्षक अभियंता
कृते : मुज़्य अभियंता /वाणिज्यिक,
द.ह.बि.वि.नि., हिसार।

नोट :- उपरोक्त विषय का हिन्दी अनुवाद मात्र बिजली कर्मियों को सरल भाषा में समझाने हेतु है। अन्य किसी भी उद्देश्य के लिए हिन्दी में अनुवादित संस्करण मान्य नहीं होगा और अंग्रेजी व हिन्दी संस्करण के बीच विरोधाभास में अंग्रेजी संस्करण ही अविभावी होगा।

दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम

सेल्ज परिपत्र संज़्या डी-16/2014

प्रेषक,

मुज़्य अभियंता /वाणिज्यिक,
दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम,
हिसार।

सेवा में,

द.ह.बि.वि.नि. के सभी मुज़्य अभियंता/अधीक्षक अभियंता/कार्यकारी अभियंता/उपमंडल अधिकारी /ऑप्रेशन, उप-कार्यालय प्रभारी.

यादि क्रमांक-चेन-16/एस.ई./सी-आर-16/232/05/एफ-149
दिनांक :- 3/04/2014

विषयः- **निजी कोलोनाइजरों/लाईसेंसी/एस.ई.जेड द्वारा विकसित बहुमंजिला इमारतों/कालोनियों के लिए लोड की स्वीकृति और विद्युतीकरण योजना का अनुमोदन ।**

कृपया निजी विकासक (डिवैलपर) से बैंक गारंटी जमा कराने बारे सेल्ज परिपत्र संज़्या डी-9/2013 और डी-23/2013 को देखें।

निजी विकासक/बिल्डर से लोड या विद्युतीकरण योजना के अनुमोदन से पूर्व बैंक गारंटी जमा करवाने के सज़्बन्ध में प्रबन्धन द्वारा समीक्षा की गई है और निज़् निर्णय लिया गया है:-

निजी विकासकों द्वारा सोसायटियों/कालोनियों/इमारतों की विद्युतीकरण योजना के अनुमोदन या बल्क घरेलू/बल्क गैर-घरेलू/वाणिज्यिक श्रेणी के तहत लोड मामले स्वीकृत करवाने हेतु आवेदन करते समय सज़्बन्धित अधीक्षक अभियंता/परिचालन अंतिम लोड के लिए विकसित किए जाने वाले विद्युतीय आधारभूत ढ़ांचे के लिए सामग्री के बिल के 1.5 गुणा के बराबर बैंक गारंटी स्वीकृत करना सुनिश्चित करेगा।

सेल्ज परिपत्र संज़्या डी-9/2013 केवल इस सीमा तक संशोधित है।

उपरोक्त निर्देश, सतर्कता और सावधानीपूर्वक अनुपालना के लिए, सभी सज़्बन्धित के संज्ञान में लाए जाएं।

मुज़्य अभियंता /वाणिज्यिक,
द.ह.बि.वि.नि., हिसार।

नोट :- उपरोक्त विषय का हिन्दी अनुवाद मात्र बिजली कर्मियों को सरल भाषा में समझाने हेतु है। अन्य किसी भी उद्देश्य के लिए हिन्दी में अनुवादित संस्करण मान्य नहीं होगा और अंग्रेजी व हिन्दी संस्करण के बीच विरोधाभास में अंग्रेजी संस्करण ही अविभावी होगा।

दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम

सेल्ज परिपत्र संज़्या डी -17/2014

प्रेषक,

मुज़्य अभियंता /वाणिज्यिक,
दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम,
हिसार।

सेवा में,

द.ह.बि.वि.नि. के सभी मुज़्य अभियंता/अधीक्षक अभियंता/कार्यकारी अभियंता/उपमंडल अधिकारी /ऑप्रेशन, उप-कार्यालय प्रभारी जे.ई.- I.

यादि क्रमांक-चेन- 17/एस.ई./सी-आर-16/279/2005/एफ-9
दिनांक :-18/04/2014

विषय :- **बिजली आपूर्ति संहिता-विनियम संज़्या 29/2014.**

सेल्ज परिपत्र संज़्या डी-12/2014 दिनांक 12/02/2014 जिसके द्वारा फील्ड कार्यालयों में बिजली आपूर्ति संहिता विनियम संज़्या 29/2014 अनुपालन हेतू जारी किया था के संदर्भ में। किन्तु, उक्त परिपत्र को सेल्ज परिपत्र संज़्या डी-15/2014 दिनांक 21/02/2014 के द्वारा प्रास्थगित कर दिया गया था।

अब, जैसा कि प्रबन्धन ने निर्णय लिया है, सेल्ज परिपत्र संज़्या डी-12/2014 दिनांक 12/02/2014 को पुन: लागू किया गया है। तदनुसार विनियम संज़्या एच.ई.आर.सी. 29/2014 दिनांक 8/01/2014 अनुपालना के लिए पुन: संलग्न किया जाता है। एच.ई.आर.सी. अधिसूचना आयोग की वैबसाईट www.herc.gov.in पर भी उपलब्ध है।

उपरोक्त निर्देशों की सतर्कता और सावधानी पूर्वक अनुपालन के लिए सभी सज़्बन्धित के संज्ञान में लाए जाएं।

मुज़्य अभियंता /वाणिज्यिक,
द.ह.बि.वि.नि., हिसार।

नोट :- उपरोक्त विषय का हिन्दी अनुवाद मात्र बिजली कर्मियों को सरल भाषा में समझाने हेतु है। अन्य किसी भी उद्देश्य के लिए हिन्दी में अनुवादित संस्करण मान्य नहीं होगा और अंग्रेजी व हिन्दी संस्करण के बीच विरोधाभास में अंग्रेजी संस्करण ही अविभावी होगा।

दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम

सेल्ज परिपत्र संज़्या डी -18/2014

प्रेषक,

मुज़्य अभियंता /वाणिज्यिक,
दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम,
हिसार।

सेवा में,

द.ह.बि.वि.नि. के सभी मुज़्य अभियंता/अधीक्षक अभियंता/कार्यकारी अभियंता/उपमंडल अधिकारी /ऑप्रेशन, उप-कार्यालय प्रभारी जे.ई.-।.

यादि क्रमांक-चेन- 18/एस.ई./कमर्शियल/आर-16/413/एफ.-12 दिनांक :-18/04/2014

विषय :- एक ही परिसर में एक से अधिक कनैक्शन देना।

इसके दृष्टिगत कि उपभोक्ताओ को कानून दरकिनार करने और लोड को कम दिखाने, इसके परिणामस्वरूप राजस्व हानि होती है, की अनुमति न देने के दृष्टिगत पूर्व हरियाणा राज्य बिजली बोर्ड ने सेल्ज परिपत्र संज़्या 21/84 दिनांक 03/10/1984 जारी किया था। एक ही परिसर में एक से अधिक औद्योगिक कनैक्शन जारी न करने और एक ही परिसर में सभी वर्तमानिक औद्योगिक कनैक्शनों को तय अवधि के भीतर इकट्ठा करने के लिए पहले बोर्ड द्वारा सेल्ज परिपत्र संज़्या 24/84 के तहत बाद में निर्देश जारी किए गए थे। जिनमें सज़्बन्धित विभाग द्वारा निज़्नलिखित प्रमाण-पत्रों की प्रस्तुतीकरण पर लोड इकट्ठा करने में छूट दी गई थी।

1. उद्योग विभाग से स्वतंत्र पहचान होने का प्रमाण-पत्र ।
2. बिक्रीकर विभाग से स्वतंत्र पहचान होने का प्रमाण-पत्र ।
3. आयकर विभाग से स्वतंत्र पहचान होने का प्रमाण-पत्र ।

उपरोक्त निर्देशों को एस.सी. संज़्या 27/89 और 10/93 के तहत पुन: जारी किया गया था।

2. निगम द्वारा मामले की आगे समीक्षा की गई और एस.सी. संज़्या डी-21/2002 और डी-27/02 के तहत जारी निर्देशों में परिसर का अर्थ/परिभाषा स्पष्ट की कि 'एक स्वामित्व (एकल या संयुक्त) के अंतर्गत समाविष्ट निर्माण की एक इकाई' और यह परामर्श दिया गया कि नये कनैक्शन जारी करते समय उपरोक्त परिभाषा को ध्यान में रखना चाहिए। आगे यह स्पष्ट किया गया कि जहां कोई उपभोक्ता आपूर्ति की अलग श्रेणी (घरेलू और गैर घरेलू) के कनैक्शन (एक कनैक्शन एक श्रेणी के लिए) एक ही परिसर में मांगता है, तो ऐसे कनैक्शनों की अनुमति दी जाएगी आगे यह स्पष्ट किया गया था कि बहुमंजिला निर्माणों/ ग्रुप हाऊसिंग सोसायटियों में प्रत्येक ज़्लैट के लिए अलग कनैक्शन की अनुमति है।

3. मामले की आगे समीक्षा की गई और निगम ने निर्णय लिया और एस.सी.संज़्या 33/2006 जारी किया गया कि एक ही तरह की दर श्रेणी के अंतर्गत दो या अधिक कनैक्शनों को संयुक्त या एकल स्वामित्व के अंतर्गत समाविष्ट एक ही प्रकार के परिसर में जारी किया जाएगा, बशर्ते कि उपभोक्ता को नए सहित पुराना मीटर भी परिसर से बाहर मुज़्य प्रवेश द्वार पर /बिजली के खंभे पर वाटरप्रुफ मीटर बॉक्स में स्थापित करवाना होगा।

4. आगे एस.सी.संज़्या डी-57/2007 के तहत निर्देश जारी किए गए थे कि आगे मामले की समीक्षा की गई है और यह निर्णय लिया गया है कि परिसर के स्वामित्व और दूसरी औपचारिकताएं जैसे किराए पर रहने का प्रमाण और एक शपथ-पत्र, जो पब्लिक नोटरी द्वारा यथावत् प्रमाणित हो तथा जिसमें घोषणा की गई हो कि वह पारिवारिक समझौते के कारण अलग/स्वतंत्र इकाई है, की जांच पड़ताल के बाद केवल घरेलू कनैक्शन के मामले में दो या अधिक कनैक्शनों की अनुमति दी जाएगी।

5. विभिन्न क्वार्टरों से विरोध पत्रों की प्राप्ति पर और विभिन्न बैठकों में उठाए गए मामलों में आधुनिक निर्माण और इमारत अवधारणा को देखते हुए निगम को पहले निर्णय पर पुर्नविचार करने की आवश्यकता बताई जाने पर, मामले का विस्तार में परीक्षण किया और यह अवलोकित किया गया कि इन निर्देशों की मुज़्य विचार अवधारणा थी/है कि उपभोक्ताओं को कानून को धोखा देने और लोड को कम दिखाए जाने के द्वारा राजस्व हानि न होने दी जाए। चूंकि विशेषत: दो भाग दरें और वोल्टेज स्तर ऊर्जा शुल्क शुरू होने के कारण लोड विभाजन के माध्यम से राजस्व हानि की सज़्भावना समाप्त हो जाती है। तद्नुसार यह निर्णय लिया गया कि :-

1. लागू निर्देशों के अुनसार घरेलू श्रेणी में एक ही परिसर में एक से अधिक कनैक्शन जारी करने की अनुमति दी जाएगी।

2. गैर-घरेलू श्रेणी में (कुल 20 किलोवाट लोड तक के लिए) एक ही परिसर में एक से अधिक कनैक्शन जारी करने की अनुमति भी घरेलू श्रेणी के लिए लागू निबंधन व शर्तों पर दी जाएगी।

3. औद्योगिक श्रेणी और गैर-घरेलू आपूर्ति श्रेणी (20 किलोवाट से अधिक कुल लोड के लिए) के अंतर्गत एक ही परिसर में एक से ज्यादा कनैक्शन जारी करने की अनुमति सञ्बन्धित विभाग/प्राधिकरण से स्वतंत्र पहचान-पत्र प्रस्तुत करने पर निञ्न निबंधन और शर्तों पर दी जाएगी :-

    1. एक ही अनुमोदित योजना/एक भू-भाग के भीतर भौतिक रूप से गैर संन्निहित परिसरों में और ऐसे परिसरों में आपूर्ति की अंतर मिश्रण की सञ्भावना न हो।

    2. ऐसे परिसर में, जो एक ही भू-भाग /अनुमोदित योजना के तहत है यदि किसी का आवेदित/स्वीकृत लोड 50 किलोवाट को पार करता है तो कनैक्शन केवल एच.टी.आपूर्ति श्रेणी के तहत जारी किया जाएगा/ अतिरिक्त कनैक्शन जारी करने से पहले एच.टी. श्रेणी में बदल दिया जाएगा।

    3. ऐसे परिसर में जो, एक ही भू-भाग में /अनुमोदित योजना के तहत है यदि किसी का आवेदित/स्वीकृत लोड पांच एम.वी.ए. को पार करता है तो पूरा लोड 33 के.वी. स्तर पर जारी किया जाएगा/अतिरिक्त कनैक्शन जारी करने से पहले बदल दिया जाएगा और यदि यह 25 एम.वी.ए. से पार हो जाता है तो पूरा लोड 66 के.वी. स्तर पर जारी किया जाएगा/अतिरिक्त कनैक्शन जारी करने से पहले बदल दिया जाएगा। किन्तु 33 के.वी. या 66 के.वी. स्तर पर जारी करने या आपूर्ति बदलना 33 के.वी./66 के.वी. आपूर्ति स्रोत की उपलब्धता/व्यवहार्यता की शर्त पर होगा। 33 के.वी./66 के.वी. स्रोत उपलब्ध न होने के मामले में उसी एक भू-भाग में अतिरिक्त कनैक्शन जारी करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

    4. ऐसे परिसर में, जो एक ही भू-भाग/अनुमोदित योजना के तहत है, में जहां किसी का कुल आवेदित/स्वीकृत लोड 33 के.वी. या 66 के.वी. सब-स्टेशन के निर्माण की जरूरत उत्पन्न करता है तो सब-स्टेशन मालिक द्वारा उसकी स्वयं की लागत पर निर्मित किया जाएगा।

    5. शेष श्रेणियों के अंतर्गत एक ही परिसर में एक से अधिक कनैक्शन जारी करना स्वीकार्य नहीं होगा।

    'यह सेल्ज परिपत्र हरियाण विद्युत विनियामक आयोग द्वारा जारी दर आदेश के किसी भाग का (प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष) उल्लघंन नहीं करता है)'

उपरोक्त निर्देशों की सतर्कता और सावधानी पूर्वक अनुपालन के लिए सभी सञ्बन्धित के संज्ञान में लाए जाएं।

मुञ्य अभियंता /वाणिज्यिक,
द.ह.बि.वि.नि., हिसार।

नोट :- उपरोक्त विषय का हिन्दी अनुवाद मात्र बिजली कर्मियों को सरल भाषा में समझाने हेतु है। अन्य किसी भी उद्देश्य के लिए हिन्दी में अनुवादित संस्करण मान्य नहीं होगा और अंग्रेजी व हिन्दी संस्करण के बीच विरोधाभास में अंग्रेजी संस्करण ही अविभावी होगा।

दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम

सेल्ज परिपत्र संज़्या डी -19/2014

प्रेषक,

मुज़्य अभियंता /वाणिज्यिक,
दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम,
हिसार।

सेवा में,

द.ह.बि.वि.नि. के सभी मुज़्य अभियंता/अधीक्षक अभियंता/कार्यकारी अभियंता/उपमंडल अधिकारी /ऑप्रेशन, उप-कार्यालय प्रभारी जे.ई.-।.

यादि क्रमांक-चेन- 19/एस.ई./कमर्शियल/आर-16/376/2005/एफ-7
दिनांक :-18/04/2014

विषय :- एल.टी.-सी.टी. संचालित स्टेटिक बिजली मीटर लगाना।

मौजूदा निर्देशानुसार, आरा मिल, बर्फ कारखानों, आईस केंडीज, आईसक्रीम इकाईयां, प्लास्टिक आईटम, रबड़ आईटम, इन्सुलेटिंग स्लीवज, तेल एक्सपैलर, इलैक्ट्रोप्लेटिंग, पाऊडर कोटिंग, हीट ट्रीटमेंट और नगर पालिकाओं, जनस्वास्थ्य, सरकारी अस्पतालों एवं पांच किलोवाट से अधिक लोड वाले स्ट्रीट लाईट और मोबाईल टावर वाले सभी मौजूदा और सज़्भावित औद्योगिक कनैक्शनों के लिए एल.टी.-सी.टी. संचालित स्टेटिक बिजली मीटर लगाए जाएंगे।

मामले की समीक्षा की गई है और यह निर्णय लिया गया है कि नगर पालिकाओं, जनस्वास्थ्य, सरकारी अस्पतालों, मोबाईल टावर और स्ट्रीट लाईट कनैक्शन के मामले में जहां लोड दस किलोवाट से अधिक है वहां एल.टी.-सी.टी. मीटर लगाए जाएंगे तथा पांच किलोवाट से दस किलोवाट लोड पर तीन फेज व्होल करंट मीटर लगाए जाएंगे।

एस.सी. संज़्या डी-74/2013 केवल इस सीमा तक संशोधित है।

उपरोक्त निर्देशों की सतर्कता और सावधानी पूर्वक अनुपालन के लिए सभी सज़्बन्धित के संज्ञान में लाए जाएं।

मुज़्य अभियंता /वाणिज्यिक,
द.ह.बि.वि.नि., हिसार।

नोट :- उपरोक्त विषय का हिन्दी अनुवाद मात्र बिजली कर्मियों को सरल भाषा में समझाने हेतु है। अन्य किसी भी उद्देश्य के लिए हिन्दी में अनुवादित संस्करण मान्य नहीं होगा और अंग्रेजी व हिन्दी संस्करण के बीच विरोधाभास में अंग्रेजी संस्करण ही अविभावी होगा।

दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम

सेल्ज परिपत्र संज़्या डी -20/2014

प्रेषक,

मुज़्य अभियंता /वाणिज्यिक,
दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम,
हिसार।

सेवा में,

द.ह.बि.वि.नि. के सभी मुज़्य अभियंता/अधीक्षक अभियंता/कार्यकारी अभियंता/उपमंडल अधिकारी /ऑप्रेशन, उप-कार्यालय प्रभारी जे.ई.-I.

पत्र क्रमांक-चेन-20/एस.ई./कमर्शियल/आर-16/48/2006/एस/सी/एफ-22
दिनांक :-21/04/2014

विषय :- कार्यो का स्वयं निष्पादन-प्रार्थना पर बिजली आपूर्ति शुल्क के लिए एच.ई.आर.सी. विनियम।

सेल्ज निर्देश संज़्या 10/2013 दिनांक 17/06/2013 के संदर्भ में, जिसमें स्वयं निष्पादन योजना के तहत नलकूप (ए.पी.) कनैक्शन जारी करने के लिए दिशा-निर्देश जारी किए गए थे। आवेदक स्वयं निष्पादन योजना को अपनाता है तो दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम के स्टॉक निर्गमन दर और वितरक ट्रांसफार्मर की लागत के अतिरिक्त निगम भंडार से ए.सी.एस.आर. और ट्रांसफार्मर प्राप्त करने के लिए प्राक्कलन लागत का 1.5 प्रतिशत पर्यवेक्षण शुल्क जमा करवाना होगा।

अन्य श्रेणियों जैसे एन.डी.एस./औद्योगिक/बल्क के आवेदकों द्वारा लागत (स्वयं निष्पादन योजना के तहत) जमा करवाने पर ए.सी.एस.आर. और 200 के.वी.ए. तक के वितरक ट्रांसफार्मर प्रदान करने से सज़्बन्धित मामले पर विचार-विमर्श किया गया और प्रबन्धन द्वारा अनुमोदित कर दिया गया। **इसप्रकार स्वयं निष्पादन योजना के तहत नलकूप (ए.पी.) कनैक्शनों की तरह ए.सी.एस.आर. और ट्रांसफार्मर उपलब्ध करवाने की योजना सभी श्रेणियों के लिए लागू होगी।**

'यह सेल्ज परिपत्र आयोग द्वारा जारी किए गए टैरिफ आदेश के किसी भाग का उल्लंघन (प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से) नहीं करता है।'

उपरोक्त निर्देशों की सतर्कता और सावधानी पूर्वक अनुपालन के लिए सभी सज़्बन्धित के संज्ञान में लाए जाएं।

मुज़्य अभियंता /वाणिज्यिक,
द.ह.बि.वि.नि., हिसार।

नोट :- उपरोक्त विषय का हिन्दी अनुवाद मात्र बिजली कर्मियों को सरल भाषा में समझाने हेतु है। अन्य किसी भी उद्देश्य के लिए हिन्दी में अनुवादित संस्करण मान्य नहीं होगा और अंग्रेजी व हिन्दी संस्करण के बीच विरोधाभास में अंग्रेजी संस्करण ही अविभावी होगा।

दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम

सेल्ज परिपत्र संज़्या डी -21/2014

प्रेषक,

मुज़्य अभियंता /वाणिज्यिक,
दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम,
हिसार।

सेवा में,

द.ह.बि.वि.नि. के सभी मुज़्य अभियंता/अधीक्षक अभियंता/कार्यकारी अभियंता/उपमंडल अधिकारी /ऑप्रेशन, उप-कार्यालय प्रभारी जे.ई.- I.

पत्र क्रमांक-चेन-21/एस.ई./कमर्शियल/आर-16/48/2006/एस/सी/एफ-22
दिनांक :-21/04/2014

विषय :- चोरी के मामले में स्व वित्तीय /एच.वी.डी.एस. के तहत स्थापित किए गए वितरक ट्रांसफार्मर बदलना।

सेल्ज परिपत्र संज़्या डी-18/2013 दिनांक 14/05/2013 के द्वारा जिससे, ए.पी.एस.सी.एम., जी.ओ.एच. की अध्यक्षता में दिनांक 8/04/2013 को हुई बैठक के मिनट्स के दृष्टिगत प्रबन्धन ने निर्णय लिया कि जून 2012 से पहले जो ट्रांसफार्मर चोरी हुए थे को, किसानों द्वारा लागत का 10 प्रतिशत जमा करवाने के बाद बदल दिया जाएगा और जून-2012 के बाद जो ट्रांसफार्मर चोरी हुए थे को, ट्रांसफार्मर की लागत का 20 प्रतिशत जमा करवाने पर बदल दिया जाएगा तथा सेल्ज परिपत्र संज़्या डी-17/2010 दिनांक 23/12/2010 के द्वारा, कि एफ.आई.आर.दर्ज हो जाने और ट्रांसफार्मर की लागत का 20 प्रतिशत जमा हो जाने की पुष्टि होने के बाद ट्रांसफार्मर को बदलने की स्वीकृति के लिए मुज़्य अभियंता (ऑप्रेशन) को अधिकृत किया था के संदर्भ में। यह भी स्पष्ट किया गया था कि इस तथ्य के बावजूद कि ट्रांसफार्मर चाहे टर्नकी/विभागीय/स्वयं निष्पादन के माध्यम से स्थापित किया गया है, ट्रांसफार्मर चोरी के मामले में, उपभोक्ता द्वारा 20 प्रतिशत लागत वहन की जानी है।

अब, मामले की समीक्षा की गई है और निर्णय लिया गया है कि एफ.आई.आर. दर्ज हो गई है और ट्रांसफार्मर की लागत का 20 प्रतिशत जमा हो गया है की पुष्टि होने के बाद ट्रांसफार्मर को बदलने के लिए मुज़्य अभियंता (ऑप्रेशन) की बजाय सज़्बन्धित अधीक्षण अभियंता (ऑप्रेशन) स्वीकृति देगा।

सेल्ज परिपत्र संज़्या डी-17/2010 एवं डी-18/2013 का स्थान लेती है।

'यह सेल्ज परिपत्र आयोग द्वारा जारी किए गए टैरिफ आदेश के किसी भाग का उल्लंघन (प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से) नहीं करता है।'

उपरोक्त निर्देशों की सतर्कता और सावधानी पूर्वक अनुपालन के लिए सभी सज़्बन्धित के संज्ञान में लाए जाएं।

मुज़्य अभियंता /वाणिज्यिक,
द.ह.बि.वि.नि., हिसार।

नोट :- उपरोक्त विषय का हिन्दी अनुवाद मात्र बिजली कर्मियों को सरल भाषा में समझाने हेतु है। अन्य किसी भी उद्देश्य के लिए हिन्दी में अनुवादित संस्करण मान्य नहीं होगा और अंग्रेजी व हिन्दी संस्करण के बीच विरोधाभास में अंग्रेजी संस्करण ही अविभावी होगा।

दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम

सेल्ज परिपत्र संज़्या डी -22/2014

प्रेषक,

मुज़्य अभियंता /वाणिज्यिक,
दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम,
हिसार।

सेवा में,

द.ह.बि.वि.नि. के सभी मुज़्य अभियंता/अधीक्षक अभियंता/कार्यकारी अभियंता/उपमंडल अधिकारी /ऑप्रेशन, उप-कार्यालय प्रभारी जे.ई.-।.

पत्र क्रमांक-चेन-22/एस.ई./कमर्शियल/आर-16/887/एफ-24
दिनांक :-6/05/2014

विषय :- एच.टी और एल.टी. सी.टी. कनैक्शन जारी करना।

सेल्ज परिपत्र संज़्या डी-37/2004 दिनांक 24/02/2004 जिसके द्वारा, आवेदकों को एच.टी. और एल.टी. सी.टी. नये कनैक्शन जारी करने के लिए एम.एण्ड पी. स्टॉफ द्वारा जांच करनी जरूरी थी के संदर्भ में।

ताकि एल.टी. सी.टी. और एच.टी. कनैक्शन शीघ्रता से जारी किए जा सके, मामले की समीक्षा की गई और निर्णय लिया गया कि :-

आगे से ऐसे सभी कनैक्शन मुज़्य विद्युत निरीक्षक (जहां भी आवश्यक हो) से मंजूरी मिलने के बाद ऑप्रेशन विंग द्वारा जारी किए जाएंगे। सील लगाने से पहले सज़्बन्धित उपमंडल अधिकारी/ऑप्रेशन सी.एम.आर.आई. से मीटर डाटा डाऊनलोड करेगा। कनैक्शन जारी करने के बाद, इसका विवरण उसी दिन ईमेल के माध्यम से अधीक्षक अभियंता/एम.एण्ड पी. और सज़्बन्धित कार्यकारी अभियंता/एम.एण्ड पी. को भेजा जाएगा, जो कनैक्शन की यथाशीघ्र किन्तु हर हाल में सूचना की तारीख से एक सप्ताह के भीतर, कनैक्शन की जांच और सील करवाएंगे।

पूर्वोक्त सेल्ज परिपत्र केवल इस सीमा तक संशोधित है।

उपरोक्त निर्देशों की सतर्कता और सावधानी पूर्वक अनुपालन के लिए सभी सज़्बन्धित के संज्ञान में लाए जाएं।

मुज़्य अभियंता /वाणिज्यिक,
द.ह.बि.वि.नि., हिसार।

नोट :- उपरोक्त विषय का हिन्दी अनुवाद मात्र बिजली कर्मियों को सरल भाषा में समझाने हेतु है। अन्य किसी भी उद्देश्य के लिए हिन्दी में अनुवादित संस्करण मान्य नहीं होगा और अंग्रेजी व हिन्दी संस्करण के बीच विरोधाभास में अंग्रेजी संस्करण ही अविभावी होगा।

दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम

सेल्ज परिपत्र संज़्या डी -23/2014

प्रेषक,

मुज़्य अभियंता /वाणिज्यिक,
दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम,
हिसार।

सेवा में,

द.ह.बि.वि.नि. के सभी मुज़्य अभियंता/अधीक्षक अभियंता/कार्यकारी अभियंता/उपमंडल अधिकारी /ऑप्रेशन, उप-कार्यालय प्रभारी जे.ई.-I.

पत्र क्रमांक-चेन-23/एस.ई/कमर्शियल/आर-16/48/2006/एस/सी/एफ-22
दिनांक :-9/05/2014

विषय :- कार्यों का स्वयं निष्पादन-प्रार्थना पर बिजली आपूर्ति शुल्क के लिए एच.ई.आर.सी. विनियम।

सेल्ज निर्देश संज़्या 10/2013 दिनांक 17/06/2013 के संदर्भ में, जिसमें स्वयं निष्पादन योजना के तहत नलकूप (ए.पी.) कनैक्शन जारी करने के लिए दिशा-निर्देश जारी किए गए थे। आवेदक स्वयं निष्पादन योजना को अपनाता है तो दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम के स्टॉक निर्गमन दर और वितरक ट्रांसफार्मर की लागत के अतिरिक्त निगम भंडार से ए.सी.एस.आर. और ट्रांसफार्मर प्राप्त करने के लिए प्राक्कलन लागत का 1.5 प्रतिशत पर्यवेक्षण शुल्क जमा करवाना होगा।

उपभोक्ता द्वारा दी जा रही सामग्री की गुणवत्ता का स्तर कम पाया जाने के कारण अन्य श्रेणियों जैसे एन.डी.एस./औद्योगिक/बल्क के आवेदकों द्वारा लागत (स्वयं निष्पादन योजना के तहत) जमा करवाने पर ए.सी.एस.आर. और 200 के.वी.ए. तक के वितरक ट्रांसफार्मर प्रदान करने से सज़्बन्धित मामला विचाराधीन था। **इस कारण, यह निर्णय किया गया है कि स्वयं निष्पादन योजना के तहत नलकूप (ए.पी.) कनैक्शनों की तरह ए.सी.एस.आर. और ट्रांसफार्मर उपलब्ध करवाने की योजना सभी अन्य श्रेणियों के लिए भी लागू होगी।**

'यह सेल्ज परिपत्र आयोग द्वारा जारी किए गए टैरिफ आदेश के किसी भाग का उल्लंघन (प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से) नहीं करता है।'

यह सेल्ज परिपत्र संज़्या डी-20/2014 का स्थान लेता है।

उपरोक्त निर्देशों की सतर्कता और सावधानी पूर्वक अनुपालन के लिए सभी सज़्बन्धित के संज्ञान में लाए जाएं।

मुज़्य अभियंता /वाणिज्यिक,
द.ह.बि.वि.नि., हिसार।

नोट :- उपरोक्त विषय का हिन्दी अनुवाद मात्र बिजली कर्मियों को सरल भाषा में समझाने हेतु है। अन्य किसी भी उद्देश्य के लिए हिन्दी में अनुवादित संस्करण मान्य नहीं होगा और अंग्रेजी व हिन्दी संस्करण के बीच विरोधाभास में अंग्रेजी संस्करण ही अविभावी होगा।

दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम

सेल्ज परिपत्र संज़्या डी -24/2014

प्रेषक,

मुज़्य अभियंता /वाणिज़्यिक,
दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम,
हिसार।

सेवा में,

द.ह.बि.वि.नि. के सभी मुज़्य अभियंता/अधीक्षक अभियंता/कार्यकारी अभियंता/उपमंडल अधिकारी /ऑप्रेशन, उप-कार्यालय प्रभारी जे.ई.- I.

पत्र क्रमांक-चेन-24/एस.ई./कमर्शियल/आर.-16/37/2006/एस/सी
दिनांक :-9/06/2014

विषय : ओपन एस्सेस उपभोक्ताओं से वसूले जाने वाले विभिन्न शुल्क।

वित्तीय वर्ष 2014-15 से 2016-17 की नियंत्रक समय के लिए एम.वाई.टी. ढांचे के तहत वितरण और ज़ुदरा आपूर्ति व्यवसाय और उनके वितरण के लिए वित्तीय वर्ष 2014-15 के लिए वितरण और खुदरा आपूर्ति दर (टैरिफ) के लिए दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम और उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम की ए.आर.आर.पर अपने आदेश दिनांक 29/05/2014 में हरियाणा बिजली विनियामक आयोग (एच.ई.आर.सी.) ने विहलिंग शुल्क, क्रॉस सब्सिडी अधिभार एवं अतिरिक्त अधिभार संशोधित करने का निर्णय लिया है। अब ओपन एस्सेस उपभोक्ताओं से निज़्न शुल्क वसूल किए जाने हैं :-

1. क्रॉस-सब्सिडी अधिशुल्क :-

क्रमांक संज़्या	**उपभोक्ता श्रेणी**	**वित्तीय वर्ष 2014-15 के लिए क्रॉस सब्सिडी अधिशुल्क (रूपये प्रति के.डब्ल्यू.एच.)**
1	उच्च दबाव (एच.टी.) उद्योग	2.02
2	एन.डी.एस. एच.टी.	0.84
3	घरेलू से अन्य ब्लक आपूर्ति	1.53
4	रेलवे	1.32

वे लोग, जिन्होंने कैप्टिव जनरेटिंग स्टेशन स्थापित किए हैं और स्वयं के उपयोग के लिए एक स्थान से बिजली ले जाने के लिए ओपन एस्सेस का लाभ उठा रहे हैं, को छोड़कर सभी अंतर-राज्य ओपन एस्सेस उपभोक्ताओं द्वारा क्रॉस सब्सिडी अधिभार का भुगतान करना होगा। क्रॉस सब्सिडी अधिभार का भुगतान, ऐसे ओपन एस्सेस उपभोक्ताओं द्वारा भी किया जाएगा, जो वितरण लाईसैंसधारी के अलावा अन्य व्यक्ति से बिजली की आपूर्ति प्राप्त करता है, जिनके आपूर्ति क्षेत्र में वह स्थित है, चाहे वह बिना आक्षेप के लाईसैंसधारी के नेटवर्क से पारेषण/वितरण के माध्यम से ऐसी आपूर्ति प्राप्त कर रहा है या नहीं।

एक वितरण लाईसैंसधारी के आपूर्ति क्षेत्र में स्थित उपभोक्ता परंतु अंतर-राज्य पारेषण प्रणाली पर केवल ओपन एस्सेस प्राप्त कर रहे हैं, को भी आयोग द्वारा निर्धारित सब्सिडी अधिभार का भुगतान करना होगा।

2. अतिरिक्त अधिभार :-

ओपन एस्सेस के माध्यम से ओपन एस्सेस उपभोक्ताओं द्वारा आहरित विद्युत दर पर अतिरिक्त अधिभार 50 पैसे प्रति के.डब्ल्यू.एच. की दर से प्रभारित किया जाएगा।

I. विहलिंग शुल्क और क्रॉस सब्सिडी अधिभार के अलावा अतिरिक्त अधिभार वसूला जाएगा।

II. एक व्यक्ति को ओपन एस्सेस प्रदान करने के मामले में, अतिरिक्त अधिभार नहीं वसूला जाएगा, जिसने स्वयं के उपयोग के लिए गंतव्य तक बिजली ले जाने के लिए कैप्टिव जनरेशन प्लांट स्थापित किया है।

3. वितरण प्रणाली उपयोग के लिए वितरण घाटे (यानि 6 प्रतिशत) सहित

विहलिंग शुल्क : 74 पैसे प्रति के.डब्ल्यू. एच.

4. **पारेषण शुल्क** : 29 पैसे प्रति के.डब्ल्यू. एच.

5. **एस.एल.डी.सी. शुल्क** : 2000/- रूपये प्रतिदिन या दिन का एक भाग

6. **अंतर-राज्य पारेषण घाटा** : 2.5 प्रतिशत

टिप्पणी : उपरोक्त बिंदु संख्या तीन से पांच के तहत शुल्क एच.वी.पी.एन.एल. द्वारा वसूल किए जा रहे हैं।

अतिरिक्त अधिभार 29/05/2014 से कार्यान्वित किया जाएगा और क्रॉस सब्सिडी तथा विहलिंग अधिभार 1/04/2014 से लागू होंगे।

सम्बन्धित सेल्ज परिपत्र एवं एस.एम.आई उपरोक्त सीमा तक संशोधित किए गए हैं।

उपरोक्त निर्देशों की सतर्कता और सावधानी पूर्वक अनुपालन के लिए सभी सम्बन्धित के संज्ञान में लाए जाएं।

मुख्य अभियंता /वाणिज्यिक,
द.ह.बि.वि.नि., हिसार।

नोट :- उपरोक्त विषय का हिन्दी अनुवाद मात्र बिजली कर्मियों को सरल भाषा में समझाने हेतु है। अन्य किसी भी उद्देश्य के लिए हिन्दी में अनुवादित संस्करण मान्य नहीं होगा और अंग्रेजी व हिन्दी संस्करण के बीच विरोधाभास में अंग्रेजी संस्करण ही अविभावी होगा।

दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम

सेल्ज परिपत्र संज़्या डी -25/2014

प्रेषक,

मुज़्य अभियंता /वाणिज्यिक,
दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम,
हिसार।

सेवा में,

द.ह.बि.वि.नि. के सभी मुज़्य अभियंता/अधीक्षक अभियंता/कार्यकारी अभियंता/उपमंडल अधिकारी /ऑप्रेशन, उप-कार्यालय प्रभारी जे.ई.-।.

पत्र क्रमांक-चेन-25/एस.ई./कमर्शियल/आर-16/9/2007/एस/सी
दिनांक :-9/06/2014

विषय : अधिकतम लोड छूट शुल्क (पी.एल.ई.सी.)।

वित्तीय वर्ष 2014-15 से 2016-17 की नियंत्रक समय के लिए एम.वाई.टी. ढांचे के तहत वितरण और ज़ुदरा आपूर्ति व्यवसाय और उनके वितरण के लिए वित्तीय वर्ष 2014-15 के लिए वितरण और खुदरा आपूर्ति दर (टैरिफ) के लिए दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड और उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम की समग्र राजस्व आवश्यकता पर अपने आदेश दिनांक 29/05/2014 में हरियाणा बिजली विनियामक आयोग (एच.ई.आर.सी.) ने निर्णय लिया है कि अधिकतम लोड घंटों के दौरान उपयोग की गई बिजली पर अधिकतम लोड छूट शुल्क निज़लिखित होंगे।

1) वे एच.टी. औद्योगिक उपभोक्ताओं, जहां अधिकतम लोड घंटों के दौरान खपत रिकॉर्ड करने की सुविधा के साथ इलैक्ट्रोनिक ट्राई-वेक्टर मीटर के माध्यम से मीटरिंग की जाती है, नीचे दिए गए प्रावधान के अनुसार अधिकतम लोड घंटों के दौरान बिजली का लाभ लेने के पात्र होंगे।

2) **मौजूदा 1.90 रूपये प्रति के.वी.ए.एच. के विरूद्ध, पी.एल.ई.सी. लगाने के अधीन सी.डी. के 50 प्रतिशत तक 1.0 रूपये प्रति के.वी.ए.एच. और सी.डी. के 50 प्रतिशत से ऊपर 1.50 रूपये प्रति के.वी.ए.एच., (यदि डिस्कॉम को आवश्यकता है, तो अनुमोदन से) की दर से पी.एच.ई.सी. लगाई जाने की शर्त पर सज़ी पात्र एच.टी. औद्योगिक उपभोक्ताओं को वितरण लाईसैंसी से बिना किसी अनुमोदन के उनकी अनुबंध मांग (सी.डी.) तक अधिकतम लोड घंटों के दौरान बिजली लेने का अधिकार होगा।** चूंकि सज़ी पात्र एच.टी.औद्योगिक उपभोक्ताओं को उनकी अनुबंध मांग तक अधिकतम लोड घंटों के दौरान बिजली लेने की अनुमति दी गई है; तद्नुसार, अधिकतम लोड छूट सीमा/विशेष छूट से ज्यादा खपत पर 3.80 रूपये प्रति के.वी.ए.एच. की दर से लगने वाला अधिकतम मांग अवहेलना शुल्क वापिस ले लिया गया है। किन्तु यदि कोई उपभोक्ता अधिकतम लोड घंटों के दौरान उसकी अनुबंध मांग के अतिरिक्त 5 प्रतिशत तक अधिक बिजली लेता है, वह टैरिफ की अनुसूची में प्रदत्त सामान्य मांग अधिभार का भुगतान करने के लिए जिज़्मेदार होगा। उपरोक्त अधिकतम लोड छूट शुल्क के अलावा अधिकतम लोड घंटों के दौरान खपत के लिए सामान्य टैरिफ, एफ.एस.ए. और प्रचलन में अन्य शुल्क प्रभार्य होंगे।

3) अधिकतम लोड घंटों के दौरान पात्र एच.टी.औद्योगिक उपभोक्ता की स्वीकार्य खपत नीचे दी गई है :-

अधिकतम लोड घंटों के दौरान अनुमति योग्य खपत के.वी.ए.एच. में	100 प्रतिशत अनुबंध मांग के.वी.ए. में × अधिकतम लोड घंटों की संज़्या × 30

4) ओपन एस्सेस उपभोक्ताओं के मामले में अधिकतम लोड घंटों के दौरान ओपन एस्सेस के माध्यम से बिजली लेने पर निज़लिखित पी.एल.ई.सी. लगाया जाएगा :-

क्रमांक संज़्या	ऊर्जा स्लैब	प्रभार्य पी.एल.ई.सी.
।	एक महीने में अधिकतम लोड घंटों के दौरान खपत हुई ऊर्जा के बराबर ली गई ऊर्जा के लिए अनुबंध मांग के 20 प्रतिशत के तत्स्थानी परिणत पर ।	शून्य
।।	उपरोक्त (।) में आवृत से ज्यादा ऊर्जा लेने और एक महीने में अधिकतम लोड घंटों के दौरान ऊर्जा खपत तक अनुबंध मांग के 50 प्रतिशत के तत्स्थानी परिणत पर ।	0.95 रूपये प्रति के.डब्ल्यू.एच.
।।।	यदि उपरोक्त (।) और (।।) में आवृत्त अर्थात एक महीने में पीक लोड घंटों के दौरान ऊर्जा खपत के अतिरिक्त अनुबंध मांग के 50 प्रतिशत के तत्स्थानी परिणत है , से ज्यादा ली गई शेष बिजली पर।	1.50 रूपये प्रति के.डब्ल्यू.एच.

5) दूसरे सभी एच.टी.औद्योगिक उपभोक्ताओं, जहां अधिकतम लोड घंटों के दौरान खपत रिकॉर्ड करने के लिए टी.ओ.डी. सुविधा उपलब्ध नहीं है, को अधिकतम लोड घंटों के दौरान अपने उद्योग चलाने की अनुमति नहीं है।

6) उन औद्योगिक उपभोक्ताओं पर पी.एल.ई.सी. लागू नहीं होगी, जिन्हें ग्रामीण कृषि या ग्रामीण घरेलू फीडरों से आपूर्ति दी जा रही है क्योंकि उन्हें पहले ही भारी कटौती वाली आपूर्ति दी जा रही है।

7) अधिकतम लोड घंटे (जो परिवर्तनीय है) नीचे दिए गए हैं :-

सुबह के समय अधिकतम लोड घंटे **शून्य**

शाम के समय अधिकतम लोड घंटे **18:30 घंटे से 22:00 घंटे**

8) यह सुविधा प्रणाली बाध्यताओं के आधार पर कोई सूचना दिए बिना किसी भी समय वापिस ली जा सकती है।

9) बाद में किसी प्रकार की परेशानी से बचने के लिए उपरोक्त निबंधन एवं शर्तों के बारे में सम्बन्धित उपमंडल अधिकारी द्वारा सभी एच.टी. उपभोक्ताओं को नोटिस के माध्यम से सूचित किया जाए।

यह सेल्ज परिपत्र संख्या डी-30/2013, सेल्ज निर्देश संख्या 10/2014, 12/2014 और इस मामले में दूसरे एस.एम.आई. से सम्बन्धित निर्देशों का स्थान लेता है।

उपरोक्त निर्देशों की सतर्कता और सावधानी पूर्वक अनुपालन के लिए सभी सम्बन्धित के संज्ञान में लाए जाएं।

मुख्य अभियंता /वाणिज्यिक,
द.ह.बि.वि.नि., हिसार।

नोट :- उपरोक्त विषय का हिन्दी अनुवाद मात्र बिजली कर्मियों को सरल भाषा में समझाने हेतु है। अन्य किसी भी उद्देश्य के लिए हिन्दी में अनुवादित संस्करण मान्य नहीं होगा और अंग्रेजी व हिन्दी संस्करण के बीच विरोधाभास में अंग्रेजी संस्करण ही अविभावी होगा।

दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम

सेल्ज परिपत्र संज़्या डी -26/2014

प्रेषक,

मुज़्य अभियंता /वाणिज्यिक,
दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम,
हिसार।

सेवा में,

द.ह.बि.वि.नि. के सभी मुज़्य अभियंता/अधीक्षक अभियंता/कार्यकारी अभियंता/उपमंडल अधिकारी /ऑप्रेशन, उप-कार्यालय प्रभारी जे.ई.-I.

पत्र क्रमांक-चेन-26/एस.ई./कमर्शियल/आर.-16/45/2010/एस/सी/एफ-33
दिनांक :-9/06/2014

विषय : बिजली वितरण एवं खुदरा आपूर्ति के लिए एच.ई.आर.सी. द्वारा अनुमोदित टैरिफ की संशोधित सूची।

वित्तीय वर्ष 2014-15 से 2016-17 की नियंत्रक समय के लिए एम.वाई.टी. ढांचे के तहत वितरण और ज़ुदरा आपूर्ति व्यवसाय और उनके वितरण के लिए वित्तीय वर्ष 2014-15 के लिए वितरण और खुदरा आपूर्ति दर (टैरिफ) के लिए दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड और उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड की समग्र राजस्व आवश्यकता पर अपने आदेश दिनांक 29/05/2014 में हरियाणा बिजली विनियामक आयोग (एच.ई.आर.सी.) के अनुपालन में श्रेणीवार टैरिफ कार्यान्वयन के लिए अनुलग्नक-क संलग्न है।

संशोधित दर (टैरिफ) 1/04/2014 से लागू होंगे।

यह सेल्ज परिपत्र संज़्या डी-11/2013, डी-29/2013, डी-4/2014 और इस मामले में दूसरे एस.एम.आई. से सज़्बन्धित निर्देशों का स्थान लेता है।

उपरोक्त निर्देशों की सतर्कता और सावधानी पूर्वक अनुपालन के लिए सभी सज़्बन्धित के संज्ञान में लाए जाएं।

मुज़्य अभियंता /वाणिज्यिक,
द.ह.बि.वि.नि., हिसार।

नोट :- उपरोक्त विषय का हिन्दी अनुवाद मात्र बिजली कर्मियों को सरल भाषा में समझाने हेतु है। अन्य किसी भी उद्देश्य के लिए हिन्दी में अनुवादित संस्करण मान्य नहीं होगा और अंग्रेजी व हिन्दी संस्करण के बीच विरोधाभास में अंग्रेजी संस्करण ही अविभावी होगा।

वित्तीय वर्ष 2014-15 (1/04/2014 से प्रभावी) के लिए आयोग द्वारा अनुमोदित वितरण एवं खुदरा आपूर्ति दर (टैरिफ)।

	उपभोक्ताओं की श्रेणियां	**ऊर्जा शुल्क (पैसे/के.डब्ल्यू.एच. और के.वी.ए.एच.)**	**तय शुल्क (कनेक्टिड लोड का रूपये प्रति के.डब्ल्यू. प्रति माह/संस्वीकृत अनुबंध मांग का रूपये प्रति के.वी.ए. (एच.टी. पर आपूर्ति के मामले में) या जैसा निर्दिष्ट है।**	**एम.एम.सी. (कनेक्टिड लोड का रूपये प्रति के. डब्ल्यू. प्रति माह या इसका भाग)**
1.	**घरेलू आपूर्ति**			
	श्रेणी-।(800 यूनिट तक प्रति माह कुल खपत)			
	0 से 40 यूनिट प्रति माह	270/के.डब्ल्यू.एच.	शून्य	2 किलोवॉट तक 100 रूपये और 2 किलोवॉट से ऊपर 60 रूपये
	41 यूनिट से 250 यूनिट तक प्रति माह	450/के.डब्ल्यू.एच.	शून्य	
	251 यूनिट से 500 यूनिट तक प्रति माह	525/ के.डब्ल्यू.एच.	शून्य	2 किलोवॉट तक 100 रूपये और 2 किलोवॉट से ऊपर 60 रूपये
	501 यूनिट से 800 यूनिट तक प्रति माह	598/के.डब्ल्यू.एच.	शून्य	
	श्रेणी-।।(801 यूनिट/माह की कुल खपत और) इससे ऊपर			
	801 और ऊपर यूनिट प्रति माह (801 यूनिट और ऊपर कुल खपत के लिए प्रति माह, एकल टैरिफ होगी और कोई स्लैब लाभ स्वीकार नहीं होगा)	598 पैसे/के.डब्ल्यू.एच. कोई उपभोक्ता जो अपनी लागत पर के.वी.ए.एच. मीटर स्थापित करता है, 538/के.वी.ए.एच. की के.वी.ए.एच. टैरिफ के लिए अपना सकता है, जैसे 0.90(मानक विद्युत कारक) द्वारा के. डब्ल्यू.एच.गुणा में लागू टैरिफ।	शून्य	2 किलोवॉट तक 100 रूपये और 2 किलोवॉट से ऊपर 60 रूपये
2.	**गैर-घरेलू आपूर्ति**			
	5 किलोवॉट तक (एल.टी.)	585 पैसे/के.डब्ल्यू.एच.	शून्य	पांच किलोवॉट लोड तक 200 रूपये और पांच किलोवॉट से ऊपर 20 किलोवॉट तक 185 रूपये
	5 किलोवॉट से ऊपर 20 किलोवॉट तक (एल.टी.)	610/के.डब्ल्यू.एच.	शून्य	
	20 किलोवॉट से ऊपर 50 किलोवॉट तक (एल.टी.)	650/के.डब्ल्यू.एच.	150/के.डब्ल्यू	शून्य
	50 किलोवॉट से ऊपर 70 किलोवॉट तक पुराने उपभोक्ता (एल.टी.)	675/के.डब्ल्यू.एच.	160/के.डब्ल्यू	शून्य
	50 किलोवॉट से ऊपर (एच.टी.)	के.वी.ए.एच. आधारित बिल के लिए उपभोक्ता द्वारा अपनाने के मामले में 635 के.डब्ल्यू.एच. या 572 के.वी.ए.एच	160/के.डब्ल्यू	शून्य
3.	**एच. टी. उद्योग (50 किलोवाट से ऊपर)**			
	11 के.वी. पर आपूर्ति	580/के.वी.ए.एच.	150/के.वी.ए.	शून्य
	33 के.वी. पर आपूर्ति	570/के.वी.ए.एच.	150/के.वी.ए.	शून्य
	66 के.वी. या 132 के.वी. पर आपूर्ति	560/के.वी.ए.एच.	150/के.वी.ए.	शून्य
	220 के.वी. पर आपूर्ति	550/के.वी.ए.एच.	150/के.वी.ए.	शून्य
	400 के.वी. पर आपूर्ति	545/के.वी.ए.एच.	150/के.वी.ए.	शून्य

	स्टील भट्ठी और स्टील रोलिंग मिल	यदि 11 के.वी.आपूर्ति है तो, 560+20 पैसे प्रति के.वी.ए.एच.	150/के.वी.ए.	शून्य
4.	**एल.टी. उद्योग 50 किलोवॉट तक**			
	10 किलोवॉट तक	635/के.डब्ल्यू.एच.	शून्य	रूपये 185/के.डब्ल्यू.एच.
	10 किलोवॉट से ऊपर और 20 किलोवॉट तक	660/के.डब्ल्यू.एच.	शून्य	रूपये 185/के.डब्ल्यू.एच.
	20 किलोवॉट से ऊपर और 50 किलोवॉट तक	के.वी.ए.एच. मीटर के मामले में 635/के.डब्ल्यू.एच. या 572/के.वी.ए.एच.	170/के.डब्ल्यू	शून्य
	50 किलोवॉट से ऊपर और 70 किलोवॉट (एल.टी.) तक मौजूदा उपभोक्ता	600/के.वी.ए.एच.		
5.	**कृषि नलकूप आपूर्ति**			
	मीटर वाली: मोटर सहित 15 बी.एच.पी तक	10/के.डब्ल्यू.एच.	शून्य	200 रूपये प्रति बी.एच.पी. प्रति वर्ष
	मीटर वाली: मोटर सहित 15 बी.एच.पी से ऊपर	8/के.डब्ल्यू.एच.	शून्य	
	बिना मीटर वाली: मोटर सहित 15 बी.एच.पी तक	शून्य	15	शून्य
	बिना मीटर वाली : मोटर सहित 15 बी.एच.पी से ऊपर	शून्य	12	शून्य
6.	**जन जलापूर्ति कार्य**	650/के.डब्ल्यू.एच.	170/के.डब्ल्यू	शून्य
7.	**उद्वहन सिंचाई**	650/के.डब्ल्यू.एच.	170/बी.एच.पी.	शून्य
8.	**एम.आई.टी.सी.**	650/के.डब्ल्यू.एच.	170/बी.एच.पी.	शून्य
9.	**रेलवे ट्रेक्शन**			
	11 के.वी. पर आपूर्ति	575/के.वी.ए.एच.	140/के.वी.ए.	शून्य
	33 के.वी. पर आपूर्ति	570/के.वी.ए.एच.	140/के.वी.ए.	शून्य
	66 के.वी. या 132 के.वी. पर आपूर्ति	560/के.वी.ए.एच.	140/के.वी.ए.	शून्य
	220 के.वी. पर आपूर्ति	555/के.वी.ए.एच.	140/के.वी.ए.	शून्य
10.	**डी.एम.आर.सी.**			
	66 के.वी. पर आपूर्ति	530/के.वी.ए.एच.	140/के.वी.ए.	शून्य
	132 के.वी. पर आपूर्ति	530/के.वी.ए.एच.	140/के.वी.ए.	शून्य
11.	**ब्लक आपूर्ति**			
	एल.टी. पर आपूर्ति	590/के.वी.ए.एच.	150/के.डब्ल्यू	शून्य
	11 के.वी. पर आपूर्ति	575/के.वी.ए.एच.	150/के.डब्ल्यू	शून्य
	33 के.वी. पर आपूर्ति	565/के.वी.ए.एच.	150/के.डब्ल्यू	शून्य
	66 के.वी. या 132 के.वी. पर आपूर्ति	555/के.वी.ए.एच.	150/के.डब्ल्यू	शून्य
	220 के.वी. आपूर्ति	550/के.वी.ए.एच.	150/के.डब्ल्यू	शून्य
12.	**एकल बिंदु आपूर्ति विनियम के तहत केवल (11 के.वी. पर 70 किलोवॉट से ऊपर या इससे ऊपर वोल्टेज) बल्क आपूर्ति (घरेलू)**			
	एक महीने में कुल खपत 400 यूनिट/ज़्लैट/आवास यूनिट (डी.यू.) से ज्यादा नहीं के लिए	420/के.डब्ल्यू.एच.	दर्ज मांग का 80 रूपये प्रति किलोवॉट	शून्य
	एक महीने में 401-800 यूनिट/ज़्लैट/डी.यू. के बीच कुल खपत के लिए	460/के.डब्ल्यू.एच.		
	एक महीने में 801 यूनिट या प्रति डी.यू. प्रति ज़्लैट से अधिक कुल खपत के लिए	560/के.डब्ल्यू.एच.		

13.	**स्ट्रीट लाईट**	650/के.डब्ल्यू.एच.	शून्य	रूपये 180/के.डब्ल्यू
14.	**स्वतंत्र होर्डिंग/सजावटी लाईट**	745/के.डब्ल्यू.एच.	150/के.डब्ल्यू	शून्य
15.	**अस्थाई मीटर आपूर्ति (केवल मीटर वाली)**	सज़्बन्धित उपभोक्ता श्रेणी की सामान्य दरों पर मांग सहित तय शुल्क/एम.एम.सी. की अस्थाई आपूर्ति की गई है के लिए सज़्बन्धित श्रेणी के ऊर्जा शुल्क का 1.5 गुणा ऊर्जा शुल्क।		

टिप्पणी

1. घरेलू उपभोक्ताओं के मामले में बिजली शुल्क 800 यूनिट/माह की खपत तक टेलिस्कोपिक प्रकृति का होता है। 800 यूनिट/माह से अधिक खपत के मामले में, कोई स्लैब लाभ स्वीकार्य नहीं है और कुल खपत के लिए 598 पैसे/के.डब्ल्यू.एच. टैरिफ लागू होगी।

2. 50 किलोवॉट से 70 किलोवॉट से ऊपर लोड वाले मौजूदा औद्योगिक उपभोक्ताओं, एच.टी.औद्योगिक के लिए ऊर्जा शुल्क रेलवे ट्रैक्शन और डी.एम.आर.सी. पैसे/के.वी.ए. में होता हैं।

3. एच.टी.औद्योगिक श्रेणी के लिए तय शुल्क अनुबंध मांग का रूपये/के.वी.ए. में है। रेलवे और डी.एम.आर.सी. के लिए तय शुल्क बिल मांग रूपये/के.वी.ए. में होता है। अन्य सभी श्रेणियों (घरेलू बल्क आपूर्ति को छोड़कर) के लिए तय शुल्क संस्वीकृत लोड या प्रति माह उसके भाग का रूपये/के.डब्ल्यू में है।

4. जहां एल.टी.औद्योगिक आपूर्ति के मामले में लगाने योग्य है, कनैक्टिड लोड का 80 प्रतिशत तय शुल्क लगाने के लिए खाते में से लिया जाएगा।

5. बिना मीटर के ए.पी. उपभोक्ताओं के लिए तय शुल्क, एम.आई.टी.सी. और उद्वहन सिंचाई श्रेणी के लिए रूपये/प्रति बी.एच.पी./माह होते हैं।

6. घरेलू बल्क आपूर्ति के लिए तय शुल्क रिकॉर्ड मांग के लिए रूपये/के.डब्ल्यू में होता है।

7. बल्क आपूर्ति (घरेलू) श्रेणी के अन्तर्गत निज़्नतर स्लैब का कोई लाभ उच्च खपत स्लैब में स्वीकार्य नहीं होगा। कुल खपत को उस महीने के लिए औसत खपत/ज़्लैट/आवासीय यूनिट पर आधारित एक सिंगल टैरिफ पर प्रभारित किया जाएगा।

8. हरियाणा बिजली विनियामक आयोग विनियम-2013 के अनुसार एकल बिन्दु आपूर्ति के मामले में (कर्मचारियों की कालोनी, ग्रुप हाऊसिंग समितियों और आवासीय या वाणिज्यिक सह विकासकों के आवासीय परिसरों के लिए एकल बिन्दु आपूर्ति) बल्क आपूर्ति (घरेलू आपूर्ति) टैरिफ लागू होंगी 11 के.वी. पर आपूर्ति के मामले में चार प्रतिशत छूट और एकल बिन्दु आपूर्ति मीटर पर दर्ज ऊर्जा खपत में उच्च वोल्टेज पर आपूर्ति के मामले में पांच प्रतिशत छूट स्वीकार्य होगी। टैरिफ अनुसूची के अनुसार निर्धारित सीमा से परे एन.डी.एस. लोड, यदि कोई है तो उक्त विनियम में वर्णित अनुसार एन.डी.ए. लोड के तत्स्थानी मासिक खपत पर एन.डी.एस. टैरिफ स्वीकार्य होगी। बल्क आपूर्ति (घरेलू) टैरिफ केवल आयोग द्वारा अधिसूचित एकल बिन्दु आपूर्ति विनियमों में शामिल की गई उपभोक्ता श्रेणियों पर लागू होगी।

9. उपरोक्त टैरिफ के अलावा, डिस्कॉमज हरियाणा बिजली विनियामक आयोग, विनियम-2012 के अनुसार (बहुवर्षीय टैरिफ ढांचे के तहत पारेषण, बिलिंग और वितरण एवं खुदरा आपूर्ति के लिए निबन्धन एवं शर्तों) एफ.एस.ए. लगाएंगे।

10. उपरोक्त टैरिफ में बिजली कर/शुल्क, नगरपालिका एवं एफ.एस.ए. शामिल नहीं हैं। 20 के.वी. से अधिक कुल लोड वाले स्वास्थ्य और शिक्षण संस्थानों के मामले में, इन्हें गैर-घरेलू श्रेणी में माना जाएगा, जहां पूरा लोड एन.डी.एस. है। हालांकि, कुल लोड में यदि मिश्रित लोड या कुछ अन्य श्रेणियों का लोड है (औद्योगिक के अलावा अन्य) और यदि ऐसे अन्य लोड कुल लोड के 10 प्रतिशत से अधिक है, तो बल्क आपूर्ति टैरिफ लागू होगा।

11. बिजली शुल्क, नगरपालिका कर और एफ.एस.ए. के.डब्लयू एच. पर प्रभारित किया जाएगा।

12. डिस्कॉमज द्वारा बिजली आपूर्ति के लिए टैरिफ की अनुसूची तद्नसुार संशोधित किया जाएगा। संशोधित अनुसूची को अलग से जारी किया जाएगा।

दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम

सेल्ज परिपत्र संज़्या डी -27/2014

प्रेषक,

मुज़्य अभियंता /वाणिज्यिक,
दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम,
हिसार।

सेवा में,

द.ह.बि.वि.नि. के सभी मुज़्य अभियंता/अधीक्षक अभियंता/कार्यकारी अभियंता/उपमंडल अधिकारी /ऑप्रेशन, उप-कार्यालय प्रभारी जे.ई.-।.

पत्र क्रमांक-चेन-27/एस.ई./कमर्शियल/आर-16/232/05
दिनांक :-11/06/2014

विषय : सेज(एस.ई.जेड.)/लाईसैंसधारी/निजी कॉलोनाईजरों द्वारा विकसित बहुमंजिला इमारतों/कॉलोनियों के लिए लोड की स्वीकृति और विद्युतीकरण योजना का अनुमोदन।

सेल्ज परिपत्र संज़्या डी-9/2013 दिनांक 8/03/2013 में आंशिक संशोधन में अब यह निर्णय लिया गया है कि कॉलोनाईजर/विकासकर्त्ता को पांच एम.वी.ए. से ऊपर और 75 एम.वी.ए. तक लोड के लिए चार बराबर वार्षिक किस्तों में तथा 75 एम.वी.ए. से अधिक लोड के लिए पांच बराबर वार्षिक किस्तों में बैक गारंटी प्रस्तुत करने का विकल्प होगा। किन्तु पांच एम.वी.ए. तक और उससे कम लोड के लिए किसी किस्त की अनुमति नहीं दी जाएगी।

सेल्ज परिपत्र संज़्या डी-9/2013, की अन्य सभी नियम व शर्तों में कोई बदलाव नहीं होगा।

उपरोक्त निर्देशों की सतर्कता और सावधानी पूर्वक अनुपालन के लिए सभी सज़्बन्धित के संज्ञान में लाए जाएं।

मुज़्य अभियंता /वाणिज्यिक,
द.ह.बि.वि.नि., हिसार।

नोट :- उपरोक्त विषय का हिन्दी अनुवाद मात्र बिजली कर्मियों को सरल भाषा में समझाने हेतु है। अन्य किसी भी उद्देश्य के लिए हिन्दी में अनुवादित संस्करण मान्य नहीं होगा और अंग्रेजी व हिन्दी संस्करण के बीच विरोधाभास में अंग्रेजी संस्करण ही अविभावी होगा।

दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम

सेल्ज परिपत्र संज़्या डी -28/2014

प्रेषक,

मुज़्य अभियंता /वाणिज्यिक,
दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम,
हिसार।

सेवा में,

द.ह.बि.वि.नि. के सभी मुज़्य अभियंता/अधीक्षक अभियंता/कार्यकारी अभियंता/उपमंडल अधिकारी /ऑप्रेशन, उप-कार्यालय प्रभारी जे.ई.-।.

पत्र क्रमांक-चेन-28/एस.ई./कमर्शियल/आर-16/48/2006/एस/सी/एफ-22
दिनांक :-17/06/2014

विषय : प्रार्थना पर बिजली आपूर्ति शुल्क के लिए एच.ई.आर.सी. विनियम-कार्यों का स्वयं निष्पादन।

कृपया सेल्ज निर्देश संज़्या 42/2006 और 10/2013 के संदर्भ में और उपरोक्त विषय पर अन्य सज़्बन्धित एस.एम.आई/परिपत्रों/निर्देशों को देखें।

यह निर्णय लिया गया है कि उपरोक्त उद्धरित सेल्ज परिपत्रों/निर्देशों के तहत जारी निर्देशों को केवल ए.पी. श्रेणी के लिए आगामी आदेश तक तुरंत प्रभाव से निरस्त किया जाता है।

उपरोक्त निर्देशों की सतर्कता और सावधानी पूर्वक अनुपालन के लिए सभी सज़्बन्धित के संज्ञान में लाए जाएं।

उपमहाप्रबन्धक/वाणिज्यिक,
कृते : मुज़्य अभियंता /वाणिज्यिक,
द.ह.बि.वि.नि., हिसार।

नोट :- उपरोक्त विषय का हिन्दी अनुवाद मात्र बिजली कर्मियों को सरल भाषा में समझाने हेतु है। अन्य किसी भी उद्देश्य के लिए हिन्दी में अनुवादित संस्करण मान्य नहीं होगा और अंग्रेजी व हिन्दी संस्करण के बीच विरोधाभास में अंग्रेजी संस्करण ही अविभावी होगा।

दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम

सेल्ज परिपत्र संज़्या डी -29/2014

प्रेषक,

मुज़्य अभियंता /वाणिज्यिक,
दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम,
हिसार।

सेवा में,

द.ह.बि.वि.नि. के सभी मुज़्य अभियंता/अधीक्षक अभियंता/कार्यकारी अभियंता/उपमंडल अधिकारी /ऑप्रेशन, उप-कार्यालय प्रभारी जे.ई.-।.

पत्र क्रमांक-चेन-29/एस.ई./कमर्शियल/आर-16/232/05
दिनांक :-19/06/2014

विषय : सेज (एस. ई. जेड.)/लाईसैंसधारी/निजी कॉलोनाईजरों द्वारा विकसित बहुमंजिला इमारतों/कॉलोनियों के लिए लोड की स्वीकृति और विद्युतीकरण योजना का अनुमोदन।

सेल्ज परिपत्र संज़्या डी-27/2014 दिनांक 11/06/2014 के अधिक्रमण में, अब यह निर्णय लिया गया है कि कॉलोनाईजर/विकासकर्त्ता को 75 एम.वी.ए. तक लोड के लिए चार बराबर वार्षिक किस्तों में तथा 75 एम.वी.ए. से अधिक लोड के लिए अधिकतम पांच बराबर वार्षिक किस्तों में बैक गारंटी प्रस्तुत करने का विकल्प होगा।

सेल्ज परिपत्र संज़्या डी-9/2013, की अन्य सभी नियम व शर्तों में कोई बदलाव नहीं होगा।

उपरोक्त निर्देशों की सतर्कता और सावधानी पूर्वक अनुपालन के लिए सभी सज़्बन्धित के संज्ञान में लाए जाएं।

अधीक्षक अभियंता/वाणिज्यिक,
मुज़्य अभियंता /वाणिज्यिक,
द.ह.बि.वि.नि., हिसार।

नोट :- उपरोक्त विषय का हिन्दी अनुवाद मात्र बिजली कर्मियों को सरल भाषा में समझाने हेतु है। अन्य किसी भी उद्देश्य के लिए हिन्दी में अनुवादित संस्करण मान्य नहीं होगा और अंग्रेजी व हिन्दी संस्करण के बीच विरोधाभास में अंग्रेजी संस्करण ही अविभावी होगा।

दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम

सेल्ज परिपत्र संज़्या डी -30/2014

प्रेषक,

मुज़्य अभियंता /वाणिज्यिक,
दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम,
हिसार।

सेवा में,

द.ह.बि.वि.नि. के सभी मुज़्य अभियंता/अधीक्षक अभियंता/कार्यकारी अभियंता/उपमंडल अधिकारी /ऑप्रेशन, उप-कार्यालय प्रभारी जे.ई.-I.

यादि क्रमांक-चेन- 30/एस.ई./कमर्शियल/आर-16/376/2005/एफ-7
दिनांक :-19/06/2014

विषय :- **एल.टी.-सी.टी. संचालित स्टेटिक बिजली मीटर लगाना।**

कृपया इस विषय के संदर्भ में सेल्ज परिपत्र संज़्या डी-19/2014 देंखे, जिसके तहत यह निर्णय लिया गया था कि नगर पालिकाओं, जनस्वास्थ्य, सरकारी अस्पतालों, मोबाईल टावर और स्ट्रीट लाईट कनैक्शन के मामले में जहां लोड दस किलोवाट से अधिक है वहां एल.टी.-सी.टी. मीटर लगाए जाएंगे तथा पांच किलोवाट से दस किलोवाट लोड पर तीन फेज व्होल करंट मीटर लगाए जाएंगे।

एल.टी.-सी.टी.मीटरों की कमी को ध्यान में रखते हुए, यह निर्णय लिया गया है कि एल.टी.-सी.टी. मीटर उपलब्ध होने तक खराब मीटरों की लज़्बमानता का निराकरण करने के लिए 15 किलोवाट तक लोड वाले मोबाईल टावर पर तीन फेज व्होल करंट मीटर लगाए जाएंगे।

पूर्वोक्त सेल्ज परिपत्र केवल इस सीमा तक संशोधित है।

उपरोक्त निर्देशों की सतर्कता और सावधानी पूर्वक अनुपालन के लिए सभी सज़्बन्धित के संज्ञान में लाए जाएं।

अधीक्षक अभियंता/वाणिज्यिक,
मुज़्य अभियंता /वाणिज्यिक,
द.ह.बि.वि.नि., हिसार।

नोट :- उपरोक्त विषय का हिन्दी अनुवाद मात्र बिजली कर्मियों को सरल भाषा में समझाने हेतु है। अन्य किसी भी उद्देश्य के लिए हिन्दी में अनुवादित संस्करण मान्य नहीं होगा और अंग्रेजी व हिन्दी संस्करण के बीच विरोधाभास में अंग्रेजी संस्करण ही अविभावी होगा।

दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम

सेल्ज परिपत्र संज़्या डी -31/2014

प्रेषक,

मुज़्य अभियंता /वाणिज्यिक,
दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम,
हिसार।

सेवा में,

द.ह.बि.वि.नि. के सभी मुज़्य अभियंता/अधीक्षक अभियंता/कार्यकारी अभियंता/उपमंडल अधिकारी /ऑप्रेशन, उप-कार्यालय प्रभारी जे.ई.- I.

यादि क्रमांक-चेन- 31/एस.ई./कमर्शियल/आर-19/2007/एस/सी
दिनांक :-26/06/2014

विषय :- दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम में ईंधन अधिभार समायोजन (एफ.एस.ए.) की वसूली।

कृपया सेल्ज परिपत्र संज़्या डी-56/2013 दिनांक 11/10/2013 देंखे, जिसके तहत कृषि उपभोक्ताओं को छोड़कर सभी श्रेणियों के उपभोक्ता से हरियाणा बिजली विनियामक आयोग विनियम-2012 के अनुसार जुलाई-2013 से सितज़्बर-2013 की अवधि के लिए अक्टूबर-2013 से दिसज़्बर-2013 के दौरान 34 पैसे प्रति यूनिट की एक समान दर पर एफ.एस.ए. संग्रहण के लिए निर्देश जारी किया गया था।

इस सज़्बन्ध में, यह सूचित किया जाता है कि अगले आदेशों तक 34 पैसे प्रति यूनिट की दर से उद्ग्राहय एफ.एस.ए. लागू रहेगा।

पूर्वोक्त सेल्ज परिपत्र केवल इस सीमा तक संशोधित है।

उपरोक्त निर्देशों की सतर्कता और सावधानी पूर्वक अनुपालन के लिए सभी सज़्बन्धित के संज्ञान में लाए जाएं।

अधीक्षण अभियंता /वाणिज्यिक,
कृते : मुज़्य अभियंता /वाणिज्यिक,
द.ह.बि.वि.नि., हिसार।

नोट :- उपरोक्त विषय का हिन्दी अनुवाद मात्र बिजली कर्मियों को सरल भाषा में समझाने हेतु है। अन्य किसी भी उद्देश्य के लिए हिन्दी में अनुवादित संस्करण मान्य नहीं होगा और अंग्रेजी व हिन्दी संस्करण के बीच विरोधाभास में अंग्रेजी संस्करण ही अविभावी होगा।

दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम

सेल्ज परिपत्र संज़्या डी -32/2014

प्रेषक,

मुज़्य अभियंता /वाणिज्यिक,
दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम,
हिसार।

सेवा में,

द.ह.बि.वि.नि. के सभी मुज़्य अभियंता/अधीक्षक अभियंता/कार्यकारी अभियंता/उपमंडल अधिकारी /ऑप्रेशन, उप-कार्यालय प्रभारी जे.ई.- I.

यादि क्रमांक-चेन- 32/एस.ई./कमर्शियल/आर-16/9/2007/एस/सी
दिनांक :-9/07/2014

विषय :- **अधिकतम लोड छूट शुल्क (पी.एल.ई.सी.)।**

सेल्ज परिपत्र संज़्या डी-25/2014 के क्रम में उपरोक्त उद्धृरित विषय पर यह निर्णय लिया गया है कि बिजली उपलब्धता बेहतर होने के दृष्टिगत आगामी निर्देशों तक सी.डी. (अनुबंध मांग) का 50 प्रतिशत से ज्यादा और 100 प्रतिशत सी.डी. तक अतिरिक्त बिजली लेने के लिए विशिष्ट अनुमोदन की आवश्यकता नहीं है। अधिकतम लोड घंटों के दौरान उपरोक्त अनुमोदित मांग से पांच प्रतिशत ज्यादा अनुबंध मांग दर्ज होने के मामले में, उपभोक्ता टैरिफ की अनुसूची में प्रदत्त सामान्य मांग अधिभार का भुगतान करने के लिए जिज़्मेदार होगा।

ये निर्देश 1/04/2014 से तुरंत प्रभाव से लागू माने जाएं।

उपरोक्त निर्देशों की सतर्कता और सावधानी पूर्वक अनुपालन के लिए सभी सज़्बन्धित के संज्ञान में लाए जाएं।

मुज़्य अभियंता /वाणिज्यिक,
द.ह.बि.वि.नि., हिसार।

नोट :- उपरोक्त विषय का हिन्दी अनुवाद मात्र बिजली कर्मियों को सरल भाषा में समझाने हेतु है। अन्य किसी भी उद्देश्य के लिए हिन्दी में अनुवादित संस्करण मान्य नहीं होगा और अंग्रेजी व हिन्दी संस्करण के बीच विरोधाभास में अंग्रेजी संस्करण ही अविभावी होगा।

दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम

सेल्ज परिपत्र संज़्या डी -33/2014

प्रेषक,

मुज़्य अभियंता /वाणिज्यिक,
दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम,
हिसार।

सेवा में,

द.ह.बि.वि.नि. के सभी मुज़्य अभियंता/अधीक्षक अभियंता/कार्यकारी अभियंता/उपमंडल अधिकारी /ऑप्रेशन, उप-कार्यालय प्रभारी जे.ई.-।.

यादि क्रमांक-चेन- 33/एस.ई./कमर्शियल/आर-16/380/2005

दिनांक :-24/07/2014

विषय :- एच.टी. श्रेणी के तहत नए कनैक्शनों/लोड वृद्धि के मामले निपटाने के लिए प्रक्रिया।

एच.टी. श्रेणी के अन्तर्गत नए कनैक्शनों/लोड वृद्धि के मामले निपटाने के लिए जारी किया गया सेल्ज परिपत्र संज़्या 72/2013 दिनांक 17/12/2013 में यह प्रदत्त किया गया है कि एच.टी. कनैक्शन जारी करने में होने वाली देरी से बचने के लिए मुज़्य अभियंता/ऑप्रेशन, अधीक्षक अभियंता /प्लानिंग व डिजाईन, अधीक्षक अभियंता /टी.एण्ड एस., अधीक्षक अभियंता /ऑप्रेशन तथा अधीक्षक अभियंता/ एन.सी.आर. की एक समिति उन मामलों में जहां हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम द्वारा नया सब-स्टेशन बनाने या क्षमता बढ़ाने की जरूरत है, तकनीकी व्यवहार्यता/ दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम से से जरूरी कनेक्टिविटी का परीक्षण करेगी। जिनमें क्षमता में वृद्धि तथा हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम के सब-स्टेशन के निर्माण की जरूरत नहीं उन मामलों में अधीक्षक/ऑप्रेशन, अधीक्षक/टी.एस. से क्षमता की उपलब्धता व सब-स्टेशन पर 'बे' की उपलब्धता के लिए जानकारी लेंगे और निगमों के सक्षम प्राधिकरण हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम के उच्च प्राधिकरणों को मामला भेजे बिना लोड संस्वीकृत करेंगे।

उपरोक्त निर्देश की समीक्षा की गई है और अब यह निर्णय लिया गया है कि उपरोक्त समिति केवल पांच एम.वी.ए. लोड तक के लोड संस्वीकृत के उन मामलों (निजी कालोनाईजर/विकासकर्ता/लाईसैंसधारी/हुडा/ /एच.एस.आई.डी.सी. द्वारा विकसित समूह हाऊसिंग/वाणिज्यिक परिसरों/कालोनियों के एकल प्वाईटों कनैक्शनों और विद्युतीकरण योजना को छोड़कर) के लिए तकनीकी व्यवहार्यता का निर्णय लेगी, जहां दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम/हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम द्वारा नए सब-स्टेशन का संवर्धन/निर्माण शामिल नहीं है।

दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम/ हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम द्वारा नए सब-स्टेशन के निर्माण/क्षमता संवर्धन की जरूरत वाले पांच एम.वी.ए. से अधिक लोड और पांच एम.वी.ए.तक लोड की एच.टी. श्रेणी के तहत अन्य कनैक्शनों को और निजी कालोनाईजर/लाईसैंसधारी/सेज/हुडा/एच.एस.आई.डी.सी. द्वारा विकसित समूह हाऊसिंग/ वाणिज्यिक परिसरों/कालोनियों के एकल प्वाईट के किसी भी लोड के कनैक्शनों की विद्युतीकरण योजना और तकनीकी व्यवहार्यता को प्रबन्ध निदेशक, दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम, हिसार की अध्यक्षता और निज़्न शामिल सदस्यों वाली एक विशिष्ट समिति द्वारा जांचा और निर्णय लिया जाएगा :-

1. निदेशक/परिचालन, दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम।
2. निदेशक/परियोजना, दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम।
3. मुज़्य अभियंता/पी.डी.एण्ड सी., दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम।
4. मुज़्य अभियंता/वाणिज्यिक, दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम (संयोजक) ।
5. मुज़्य अभियंता/परिचालन (सज़्बन्धित जोन)।
6. मुज़्य अभियंता/टी.एस., हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम।

जहां एक जिला के तहत विभिन्न विकासकर्त्ताओं को जारी लाईसैंसों को लोड की जरूरत या जोड़ पांच एम.वी.ए. से अधिक है, वहां आवेदन 33/66 के.वी. स्तर (उपलब्ध वोल्टेज स्तर अनुसार) पर स्वीकृत किए जाएंगे। जिला को एक इकाई

मानकार कुल लोड की गणना करते समय सैक्टरों में आवेदित लोड जहां ई.डी.सी./आई.डी.सी. जमा कर दिए गए हैं, को शामिल नहीं किया जाएगा।

प्रबन्ध निदेशक, दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम, हिसार के परामर्श से करके मुज़्य अभियंता/वाणिज्यिक द्वारा अधिसूचित स्थान और तारीख को समिति प्रतिमाह दो बार बैठक आयोजित करेगी। उपरोक्त समिति की बैठक के लिए सुविधाजनक तिथि निर्धारित करने के लिए कनैक्शनों की तकनीकी व्यवहार्यता के लिए मामले सज़्बन्धित मुज़्य अभियंता/परिचालन द्वारा मुज़्य अभियंता/वाणिज्यिक को भेजे जाएंगे। बैठक की अधिसूचना और कार्यसूची की जानकारी मुज़्य अभिंयता/वाणिज्यिक द्वारा समिति के सभी सदस्यों को काफी समय रहते अग्रिम भेजेंगे। मुज़्य अभियंता/टी.एस. आवश्यक परामर्श के लिए सज़्बन्धित अधीक्षक अभियंता/टी.एस. और अधीक्षक अभियंता/एन.सी.आर. को भी बैठक में लाएंगे।

तद्नुसार सेल्ज परिपत्र संज़्या डी.72/2013 उपरोक्त सीमा तक संशोधित है।

उपरोक्त निर्देशों की सतर्कता और सावधानी पूर्वक अनुपालन के लिए सभी सज़्बन्धित के संज्ञान में लाए जाएं।

अधीक्षक अभियंता/वाणिज्यिक,
कृतेः- मुज़्य अभियंता /वाणिज्यिक,
द.ह.बि.वि.नि., हिसार।

नोट :- उपरोक्त विषय का हिन्दी अनुवाद मात्र बिजली कर्मियों को सरल भाषा में समझाने हेतु है। अन्य किसी भी उद्देश्य के लिए हिन्दी में अनुवादित संस्करण मान्य नहीं होगा और अंग्रेजी व हिन्दी संस्करण के बीच विरोधाभास में अंग्रेजी संस्करण ही अविभावी होगा।

दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम

सेल्ज परिपत्र संज़्या डी -34/2014

प्रेषक,

मुज़्य अभियंता /वाणिज्यिक,
दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम,
हिसार।

सेवा में,

द.ह.बि.वि.नि. के सभी मुज़्य अभियंता/अधीक्षक अभियंता/कार्यकारी अभियंता/उपमंडल अधिकारी /ऑप्रेशन, उप-कार्यालय प्रभारी जे.ई.- I.

यादि क्रमांक-चेन- 34/एस.ई./कमर्शियल/173/2004/एफ-10
दिनांक :-21/08/2014

विषय :- हरियाणा सरकार द्वारा हाल ही में स्वीकृत की गई अनाधिकृत कालोनियों में बुनियादी ढांचे की स्थापना।

कृपया हरियाणा नागरिक सुविधा का प्रबंधन और प्रबंधन से सज़्बन्धित हरियाणा सरकार की अधिूसचना दिनांक 26 सितज़्बर, 2013 और मूलभूत ढांचा की कमी वाले नगरपालिका क्षेत्र (विशेष प्रावधान) अधिनियम, 2013 तथा सेल्ज परिपत्र संज़्या डी.-60/2013 द्वारा लागू अधिनियम दिनांक 4/10/2013, जिसके द्वारा यह निर्णय लिया गया था कि निगम अब हरियाणा बिजली विनियामक आयोग (एच.ई.आर.सी.) विनियम 12/2005 के अनुरूप, आपूर्ति उपलब्ध करवाने पर आने वाला खर्च वसूल करके इन कालोनियों के निवासियों को वैद्य कनैक्शन जारी कर सकता है।

हरियाणा सरकार की 16/06/2014 की बैठक में लिए गए निर्णय की अनुपालना में कि

''विकास उपरांत ये कालोनियां नगर निगम समिति तथा नगरपालिका समिति का भाग बनेंगी और नगरपालिका समिति इन कालोनियों के निवासियों से सज़्पति कर आदि सहित बहुत से कर वसूलेगी, जिससे नगरपालिका समितियों के संसाधनों में वृद्धि होगी और इसलिए साधारणतयः नगरपालिका समितियां इन कालोनियों में विद्युतीय मूलभूत ढांचा के लिए धन उपलब्ध करवाने में सक्षम होनी चाहिए।''

उपरोक्त के दृष्टिगत, नगर निगम/ नगरपालिका समिति इन कालोनियों के निवासियों के लिए बिजली कनैक्शन उपलब्ध करवाने हेतु आधारभूत ढांचे की स्थापना का पूरा खर्च वहन करेंगे।

सेल्ज परिपत्र संज़्या डी. 60/2013 उपरोक्त सीमा तक संशोधित है।

उपरोक्त निर्णय/निर्देशों की सतर्कता और सावधानी पूर्वक अनुपालन के लिए सभी सज़्बन्धित के संज्ञान में लाए जाएं।

मुज़्य अभियंता /वाणिज्यिक,
द.ह.बि.वि.नि., हिसार।

नोट :- उपरोक्त विषय का हिन्दी अनुवाद मात्र बिजली कर्मियों को सरल भाषा में समझाने हेतु है। अन्य किसी भी उद्देश्य के लिए हिन्दी में अनुवादित संस्करण मान्य नहीं होगा और अंग्रेजी व हिन्दी संस्करण के बीच विरोधाभास में अंग्रेजी संस्करण ही अविभावी होगा।

दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम

सेल्ज परिपत्र संज़्या डी - 35/2014

प्रेषक,

मुज़्य अभियंता /वाणिज्यिक,
दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम,
हिसार।

सेवा में,

द.ह.बि.वि.नि. के सभी मुज़्य अभियंता/अधीक्षक अभियंता/कार्यकारी अभियंता/उपमंडल अधिकारी /ऑप्रेशन, उप-कार्यालय प्रभारी जे.ई.-I.

पत्र क्रमांक-चेन-35/एस.ई./कमर्शियल/आर-16/45/2010/एस/सी/एफ-33
दिनांक :-29/08/2014

विषय : बिजली वितरण एवं खुदरा आपूर्ति के लिए एच.ई.आर.सी. द्वारा अनुमोदित टैरिफ की संशोधित सूची।

वित्तीय वर्ष 2014-15 से 2016-17 की नियंत्रक समय के लिए एम.वाई.टी. ढांचे के तहत वितरण और ज़ुदरा आपूर्ति व्यवसाय और उनके वितरण के लिए वित्तीय वर्ष 2014-15 के लिए वितरण और खुदरा आपूर्ति दर (टैरिफ) के लिए दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड और उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड की समग्र राजस्व आवश्यकता पर अपने आदेश दिनांक 29/05/2014 में हरियाणा बिजली विनियामक आयोग (एच.ई.आर.सी.) द्वारा जारी किए गए संशोधन दिनांक 24/07/2014 के अनुपालन में श्रेणीवार टैरिफ कार्यान्वयन के लिए अनुलग्नक-क संलग्न है।

संशोधित दर (टैरिफ) 1/04/2014 से लागू होंगे।

यह सेल्ज परिपत्र संज़्या डी-26/2014 और इस मामले में दूसरे एस.एम.आई. से सज़्बन्धित निर्देशों का स्थान लेता है।

उपरोक्त निर्देशों की सतर्कता और सावधानी पूर्वक अनुपालन के लिए सभी सज़्बन्धित के संज्ञान में लाए जाएं।

मुज़्य अभियंता /वाणिज्यिक,
द.ह.बि.वि.नि., हिसार।

नोट :- उपरोक्त विषय का हिन्दी अनुवाद मात्र बिजली कर्मियों को सरल भाषा में समझाने हेतु है। अन्य किसी भी उद्देश्य के लिए हिन्दी में अनुवादित संस्करण मान्य नहीं होगा और अंग्रेजी व हिन्दी संस्करण के बीच विरोधाभास में अंग्रेजी संस्करण ही अविभावी होगा।

वित्तीय वर्ष 2014-15 (1/04/2014 से प्रभावी) के लिए आयोग द्वारा अनुमोदित वितरण एवं खुदरा आपूर्ति दर (टैरिफ)।

	उपभोक्ताओं की श्रेणियां	**ऊर्जा शुल्क (पैसे/के.डब्ल्यू.एच. या के.वी.ए.एच.)**	**तय शुल्क (कनेक्टिड लोड का रूपये प्रति के.डब्ल्यू. प्रति माह/संस्वीकृत अनुबंध मांग का रूपये प्रति के.वी.ए. (एच.टी. पर आपूर्ति के मामले में) या जैसा निर्दिष्ट है।**	**एम.एम.सी. (कनेक्टिड लोड का रूपये प्रति के. डब्ल्यू. प्रति माह या इसका भाग)**
1.	**घरेलू आपूर्ति**			
	श्रेणी-।(800 यूनिट तक प्रति माह कुल खपत)			
	0 से 40 यूनिट प्रति माह	270/के.डब्ल्यू.एच.	शून्य	2 किलोवॉट तक 100 रूपये और 2 किलोवॉट से ऊपर 60 रूपये
	41 यूनिट से 250 यूनिट तक प्रति माह	450/के.डब्ल्यू.एच.	शून्य	
	251 यूनिट से 500 यूनिट तक प्रति माह	525/ के.डब्ल्यू.एच.	शून्य	2 किलोवॉट तक 100 रूपये और 2 किलोवॉट से ऊपर 60 रूपये
	501 यूनिट से 800 यूनिट तक प्रति माह	598/के.डब्ल्यू.एच.	शून्य	
	श्रेणी-।।(801 यूनिट/माह की कुल खपत और) इससे ऊपर			
	801 और ऊपर यूनिट प्रति माह (801 यूनिट और ऊपर कुल खपत के लिए प्रति माह, एकल टैरिफ होगी और कोई स्लैब लाभ स्वीकार नहीं होगा)	598 पैसे/के.डब्ल्यू.एच. कोई उपभोक्ता जो अपनी लागत पर के.वी.ए.एच. मीटर स्थापित करता है, 538/के.वी.ए.एच. की के.वी.ए.एच. टैरिफ के लिए अपना सकता है, जैसे 0.90(मानक विद्युत कारक) द्वारा के. डब्ल्यू.एच.गुणा में लागू टैरिफ।	शून्य	2 किलोवॉट तक 100 रूपये और 2 किलोवॉट से ऊपर 60 रूपये
2.	**गैर-घरेलू आपूर्ति**			
	5 किलोवॉट तक (एल.टी.)	585 पैसे/के.डब्ल्यू.एच.	शून्य	पांच किलोवॉट लोड तक 200 रूपये और पांच किलोवॉट से ऊपर 20 किलोवॉट तक 185 रूपये
	5 किलोवॉट से ऊपर 20 किलोवॉट तक (एल.टी.)	610/के.डब्ल्यू.एच.	शून्य	
	20 किलोवॉट से ऊपर 50 किलोवॉट तक (एल.टी.)	650/के.डब्ल्यू.एच.	150/के.डब्ल्यू.	शून्य
	50 किलोवॉट से ऊपर 70 किलोवॉट तक पुराने उपभोक्ता (एल.टी.)	675/के.डब्ल्यू.एच.	160/के.डब्ल्यू.	शून्य
	50 किलोवॉट से ऊपर (एच.टी.)	के.वी.ए.एच. आधारित बिल के लिए उपभोक्ता द्वारा अपनाने के मामले में 635 के.डब्ल्यू.एच. या 572 के.वी.ए.एच	160/के.डब्ल्यू.	शून्य
3.	**एच. टी. उद्योग (50 किलोवाट से ऊपर)**			
	11 के.वी. पर आपूर्ति	580/के.वी.ए.एच.	150/के.वी.ए.	शून्य

	33 के.वी. पर आपूर्ति	570/के.वी.ए.एच.	150/के.वी.ए.	शून्य
	66 के.वी. या 132 के.वी. पर आपूर्ति	560/के.वी.ए.एच.	150/के.वी.ए.	शून्य
	220 के.वी. पर आपूर्ति	550/के.वी.ए.एच.	150/के.वी.ए.	शून्य
	400 के.वी. पर आपूर्ति	545/के.वी.ए.एच.	150/के.वी.ए.	शून्य
	स्टील भट्ठी और स्टील रोलिंग मिल	यदि 11 के.वी.आपूर्ति है तो, 560+20 पैसे प्रति के.वी.ए.एच.	150/के.वी.ए.	शून्य
4.	**एल.टी. उद्योग 50 किलोवॉट तक**			
	10 किलोवॉट तक	635/के.डब्ल्यू.एच.	शून्य	रूपये 185/के.डब्ल्यू.एच.
	10 किलोवॉट से ऊपर और 20 किलोवॉट तक	660/के.डब्ल्यू.एच.	शून्य	रूपये 185/के.डब्ल्यू.एच.
	20 किलोवॉट से ऊपर और 50 किलोवॉट तक	के.वी.ए.एच. मीटर के मामले में 635/के.डब्ल्यू.एच. या 572/के.वी.ए.एच.	170/के.डब्ल्यू.	शून्य
	50 किलोवॉट से ऊपर और 70 किलोवॉट (एल.टी.) तक मौजूदा उपभोक्ता	600/के.वी.ए.एच.		
5.	**कृषि नलकूप आपूर्ति**			
	मीटर वाली: मोटर सहित 15 बी.एच.पी तक	10/के.डब्ल्यू.एच.	शून्य	200 रूपये प्रति बी.एच.पी. प्रति वर्ष
	मीटर वाली: मोटर सहित 15 बी.एच.पी से ऊपर	8/के.डब्ल्यू.एच.	शून्य	
	बिना मीटर वाली: (रूपये/प्रति बी.एच.पी./माह) मोटर सहित 15 बी.एच.पी तक	शून्य	15	शून्य
	बिना मीटर वाली : मोटर सहित 15 बी.एच.पी से ऊपर	शून्य	12	शून्य
6.	**जन जलापूर्ति कार्य**	650/के.डब्ल्यू.एच.	170/के.डब्ल्यू.	शून्य
7.	**उद्वहन सिंचाई**	650/के.डब्ल्यू.एच.	170/बी.एच.पी.	शून्य
8.	**एम.आई.टी.सी.**	650/के.डब्ल्यू.एच.	170/बी.एच.पी.	शून्य
9.	**रेलवे ट्रेक्शन**			
	11 के.वी. पर आपूर्ति	575/के.वी.ए.एच.	140/के.वी.ए.	शून्य
	33 के.वी. पर आपूर्ति	570/के.वी.ए.एच.	140/के.वी.ए.	शून्य
	66 के.वी. या 132 के.वी. पर आपूर्ति	560/के.वी.ए.एच.	140/के.वी.ए.	शून्य
	220 के.वी. पर आपूर्ति	555/के.वी.ए.एच.	140/के.वी.ए.	शून्य

10.	**डी.एम.आर.सी.**			
	66 के.वी. पर आपूर्ति	530/के.वी.ए.एच.	140/के.वी.ए.	शून्य
	132 के.वी. पर आपूर्ति	530/के.वी.ए.एच.	140/के.वी.ए.	शून्य
11.	**ब्लक आपूर्ति**			
	एल.टी. पर आपूर्ति	590/के.वी.ए.एच.	कनेक्टिड लोड का 150/के.डब्ल्यू.	शून्य
	11 के.वी. पर आपूर्ति	575/के.वी.ए.एच.	कनेक्टिड लोड का 150/के.डब्ल्यू. या लागू अनुबंध मांग का 150/के.वी.ए.	शून्य
	33 के.वी. पर आपूर्ति	565/के.वी.ए.एच.		शून्य
	66 के.वी. या 132 के.वी. पर आपूर्ति	555/के.वी.ए.एच.		शून्य
	220 के.वी. आपूर्ति	550/के.वी.ए.एच.		शून्य
12.	**एकल बिंदु आपूर्ति विनियम के तहत केवल (11 के.वी. पर 70 किलोवॉट से ऊपर या इससे ऊपर वोल्टेज) बल्क आपूर्ति (घरेलू)**			
	एक महीने में कुल खपत 400 यूनिट/ज़्लैट/आवास यूनिट (डी.यू.) से ज्यादा नहीं के लिए	420/के.डब्ल्यू.एच.	दर्ज मांग का 80 रूपये प्रति किलोवॉट	शून्य
	एक महीने में 401–800 यूनिट/ज़्लैट/डी.यू. के बीच कुल खपत के लिए	460/के.डब्ल्यू.एच.		
	एक महीने में 801 यूनिट या प्रति डी.यू. प्रति ज़्लैट से अधिक कुल खपत के लिए	560/के.डब्ल्यू.एच.		
13.	**स्ट्रीट लाईट**	650/के.डब्ल्यू.एच.	शून्य	रूपये 180/के.डब्ल्यू.
14.	**स्वतंत्र होर्डिंग/सजावटी लाईट**	755/के.डब्ल्यू.एच.	150/के.डब्ल्यू.	शून्य
15.	**अस्थाई मीटर आपूर्ति (केवल मीटर वाली)**	सज़्बन्धित उपभोक्ता श्रेणी की सामान्य दरों पर मांग सहित तय शुल्क/एम.एम.सी. की अस्थाई आपूर्ति की गई है के लिए सज़्बन्धित श्रेणी के ऊर्जा शुल्क का 1.5 गुणा ऊर्जा शुल्क।		

टिप्पणी

1. घरेलू उपभोक्ताओं के मामले में बिजली शुल्क 800 यूनिट/माह की खपत तक टेलिस्कोपिक प्रकृति का होता है। 800 यूनिट/माह से अधिक खपत के मामले में, कोई स्लैब लाभ स्वीकार्य नहीं है और कुल खपत के लिए 598 पैसे/के.डब्ल्यू.एच. टैरिफ लागू होगी।

2. **50 किलोवॉट से 70 किलोवॉट से ऊपर लोड वाले मौजूदा औद्योगिक उपभोक्ताओं, एच.टी.औद्योगिक के लिए ऊर्जा शुल्क रेलवे ट्रैक्शन और डी.एम.आर.सी. पैसे/के.वी.ए. में होता हैं।**

3. **एच.टी.औद्योगिक श्रेणी के लिए तय शुल्क अनुबंध मांग का रूपये/के.वी.ए. में है। रेलवे और डी.एम.आर.सी. के लिए तय शुल्क बिल मांग रूपये/के.वी.ए. में होता है। अन्य सभी श्रेणियों (घरेलू बल्क आपूर्ति को छोड़कर) के लिए तय शुल्क संस्वीकृत लोड या प्रति माह उसके भाग का रूपये/के.डब्ल्यू में है।**

एच.टी.पर बल्क आपूर्ति उपभोक्ताओं के मामले में, जहां अनुबंध मांग संस्वीकृत नहीं हुई है, वहां कनेक्टिड लोड का तय शुल्क रूपये प्रति किलोवॉट हैं और जहां अनुबंध मांग संस्वीकृत हुई है, वहां अनुबंध मांग रूपये प्रति के.वी.ए. है।

4. जहां एल.टी.औद्योगिक आपूर्ति के मामले में लगाने योग्य है, कनैक्टिड लोड का 80 प्रतिशत तय शुल्क लगाने के लिए खाते में से लिया जाएगा। **एल.टी. उद्योग के मामले में, जहां एम.डी.आई. मीटर स्थापित हैं, वहां दर्ज की गई मांग का तय शुल्क 170 रूपये प्रति के.डब्ल्यू. प्रति माह होगा, यदि दर्ज की गई मांग यदि यह के.वी.ए. में है, का 153 प्रति के.वी.ए. प्रति माह या के.डब्ल्यू. में है। कुछ मामलों में (यानि जहां दर्ज की गई मांग के आधार पर तय शुल्क वसूला गया है), यद्यपि, 185 रूपये प्रति के.डब्ल्यू.एच. प्रति माह की दर पर एम.एम.सी.लागू होगा।**

5. बिना मीटर के ए.पी. उपभोक्ताओं के लिए तय शुल्क, एम.आई.टी.सी. और उद्वहन सिंचाई श्रेणी के लिए रूपये/प्रति बी.एच.पी./माह होते हैं।

6. घरेलू बल्क आपूर्ति के लिए तय शुल्क रिकॉर्ड मांग के लिए रूपये/के.डब्ल्यू में होता है।

7. बल्क आपूर्ति (घरेलू) श्रेणी के अन्तर्गत निज़तर स्लैब का कोई लाभ उच्च खपत स्लैब में स्वीकार्य नहीं होगा। कुल खपत को उस महीने के लिए औसत खपत/ज्लैट/आवासीय यूनिट पर आधारित एक सिंगल टैरिफ पर प्रभारित किया जाएगा।

8. हरियाणा बिजली विनियामक आयोग विनियम-2013 के अनुसार एकल बिन्दु आपूर्ति के मामले में (कर्मचारियों की कालोनी, ग्रुप हाऊसिंग समितियों और आवासीय या वाणिज्यिक सह विकासकों के आवासीय परिसरों के लिए एकल बिन्दु आपूर्ति) बल्क आपूर्ति (घरेलू आपूर्ति) टैरिफ लागू होंगी 11 के.वी. पर आपूर्ति के मामले में चार प्रतिशत छूट और एकल बिन्दु आपूर्ति मीटर पर दर्ज ऊर्जा खपत में उच्च वोल्टेज पर आपूर्ति के मामले में पांच प्रतिशत छूट स्वीकार्य होगी। टैरिफ अनुसूची के अनुसार निर्धारित सीमा से परे एन.डी.एस. लोड, यदि कोई है तो उक्त विनियम में वर्णित अनुसार एन.डी.ए. लोड के तत्स्थानी मासिक खपत पर एन.डी.एस. टैरिफ स्वीकार्य होगी। बल्क आपूर्ति (घरेलू) टैरिफ केवल आयोग द्वारा अधिसूचित एकल बिन्दु आपूर्ति विनियमों में शामिल की गई उपभोक्ता श्रेणियों पर लागू होगी।

9. उपरोक्त टैरिफ के अलावा, डिस्कॉमज हरियाणा बिजली विनियामक आयोग, विनियम-2012 के अनुसार (बहुवर्षीय टैरिफ ढांचे के तहत पारेषण, बिलिंग और वितरण एवं खुदरा आपूर्ति के लिए निबन्धन एवं शर्तों) एफ.एस.ए. लगाएंगे।

10. उपरोक्त टैरिफ में बिजली कर/शुल्क, नगरपालिका एवं एफ.एस.ए. शामिल नहीं हैं। 20 के.वी. से अधिक कुल लोड वाले स्वास्थ्य और शिक्षण संस्थानों के मामले में, इन्हें गैर-घरेलू श्रेणी में माना जाएगा, जहां पूरा लोड एन.डी.एस. है। हालांकि, कुल लोड में यदि मिश्रित लोड या कुछ अन्य श्रेणियों का लोड है (औद्योगिक के अलावा अन्य) और यदि ऐसे अन्य लोड कुल लोड के 10 प्रतिशत से अधिक है, तो बल्क आपूर्ति टैरिफ लागू होगा।

11. बिजली शुल्क, नगरपालिका कर और एफ.एस.ए. के.डब्लयू एच. पर प्रभारित किया जाएगा।

12. डिस्कॉमज द्वारा बिजली आपूर्ति के लिए टैरिफ की अनुसूची तद्नसुार संशोधित किया जाएगा। संशोधित अनुसूची को अलग से जारी किया जाएगा।

13. सज़न्धित उपमंडल अधिकारी/ऑप्रेशन सभी बल्क आपूर्ति उपभोक्ताओं (एच.टी.) को एक नोटिस जारी करेगा, जहां उनकी अनुबंध मांग संस्वीकृति प्राप्त करने के लिए अनुबंध मांग संस्वीकृत नहीं की गई है। उपभोक्ता से इसके लिए प्रार्थना की पावती पर सात (7) दिनों के भीतर सक्षम प्राधिकारी अनुबंध मांग संस्वीकृत करेगा।

दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम

सेल्ज परिपत्र संज़्या डी - 36/2014

प्रेषक,

मुज़्य अभियंता /वाणिज्यिक,
दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम,
हिसार।

सेवा में,

द.ह.बि.वि.नि. के सभी मुज़्य अभियंता/अधीक्षक अभियंता/कार्यकारी अभियंता/उपमंडल अधिकारी /ऑप्रेशन, उप-कार्यालय प्रभारी जे.ई.-I.

पत्र क्रमांक-चेन-36/एस.ई./कमर्शियल/458/एफ-26
दिनांक :-03/09/2014

विषय : कृषि सिंचाई आपूर्ति के लिए नलकूप कनैक्शनों का स्थानांतरण।

कृपया सेल्ज परिपत्र संज़्या डी-1/2012 को देंखे जिसके तहत कनैक्टिड नलकूप कनैक्शनों को एल.टी.लाईन पर स्थानांतरण के लिए निज़ शर्तों पर अनुमति थी :-

1) मौजूदा कनैक्शन एल.टी. आपूर्ति पर होना चाहिए।
2) स्थानांतरण की अनुमति केवल उसी ट्रांसफार्मर पर होगी।
3) ट्रांसफार्मर की क्षमता नहीं बढ़ाई जाएगी।
4) प्रस्तावित एल.टी.लाईन की लज़्बाई मौजूदा ट्रांसफार्मर से 1200 फुट से अधिक नहीं होनी चाहिए।
5) सेल्ज परिपत्र संज़्या डी-23/2002 के अनुसार स्थानांतरण शुल्क वसूले जाएंगे।

प्रबन्धन द्वारा मामले की समीक्षा की गई है और निज़ानुसार निर्णय लिया गया है :-

1) मौजूदा कनैक्शन एल.टी. पर होना चाहिए।
2) स्थानांतरण की अनुमति एक ट्रांसफार्मर से दूसरे ट्रांसफार्मर पर भी होगी।
3) यदि ट्रांसफार्मर की क्षमता बढ़ाने की आवश्यकता है तो अतिरिक्त क्षमता की वृद्धिशील लागत उपभोक्ता द्वारा वहन की जाएगी।
4) नये ट्रांसफार्मर से प्रस्तावित लाईन की लज़्बाई 900 फुट से अधिक नहीं होनी चाहिए।
5) स्थानांतरण शुल्क निज़ानुसार वसूला जाएगा :-
1. केवल केबल कनैक्शन के लिए 10000/- रूपये।
2. अतिरिक्त या नए स्पैन (एल.टी./एच.टी. दोनों स्पैन के लिए) के लिए 12,500/- रूपये।
3. प्रत्येक एच.टी./एल.टी. स्पैन (जो हटाई जा रही है) के लिए 1000/- रूपये का क्रेडिट दिया जाएगा।

ऐसा संस्वीकृत प्राक्कलन सामग्री के बिल और साईट के आरेख की प्रति सहित मंडलीय/केंद्रीय भंडार को भेजी जानी चाहिए और इसकी एक प्रति साईट पर उपयोग सामग्री की उचित निगरानी के लिए एस.जे.ओ. के साथ भी संलग्न की जानी चाहिए

यह परिपत्र सेल्ज निर्देश संज़्या डी-23/2002 और डी-1/2012 का स्थान लेती है।
उपरोक्त निर्देशों की सतर्कता और सावधानी पूर्वक अनुपालन के लिए सभी सज़्बन्धित के संज्ञान में लाए जाएं।

मुज़्य अभियंता /वाणिज्यिक,
द.ह.बि.वि.नि., हिसार।

नोट :- उपरोक्त विषय का हिन्दी अनुवाद मात्र बिजली कर्मियों को सरल भाषा में समझाने हेतु है। अन्य किसी भी उद्देश्य के लिए हिन्दी में अनुवादित संस्करण मान्य नहीं होगा और अंग्रेजी व हिन्दी संस्करण के बीच विरोधाभास में अंग्रेजी संस्करण ही अविभावी होगा।

दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम

सेल्ज परिपत्र संज़्या डी-37/2014

प्रेषक,

मुज़्य अभियंता /वाणिज्यिक,
दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम,
हिसार।

सेवा में,

द.ह.बि.वि.नि. के सभी मुज़्य अभियंता/अधीक्षक अभियंता/कार्यकारी अभियंता/उपमंडल अधिकारी /ऑप्रेशन, उप-कार्यालय प्रभारी जे.ई.-।.

यादि क्रमांक-चेन-37/एस.ई./कमर्शियल/आर-16/45/2010/एस/सी/एफ-33
दिनांक :-24/09/2014

विषय :- **बिजली वितरण एवं खुदरा आपूर्ति के लिए हरियाणा विद्युत विनियामक आयोग द्वारा अनुमोदित टैरिफ की संशोधित सूची-एच.टी. उद्योग स्टील भट्ठी और स्टील रोलिंग मिल।**

वित्तीय वर्ष 2014-15 से 2016-17 की नियंत्रक समय के लिए एम.वाई.टी. ढांचे के तहत वितरण और खुदरा आपूर्ति व्यवसाय और उनके वितरण के लिए वर्ष 2014-15 के लिए वितरण और खुदरा आपूर्ति दर (टैरिफ) के लिए दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड और उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम की समग्र राजस्व आवश्यकता पर अपने आदेश दिनांक 29/05/2014 पर हरियाणा विद्युत विनियामक आयोग द्वारा जारी संशोधन दिनांक 1/09/2014 की अनुपालना में सेल्ज परिपत्र संज़्या डी-35/2014 के साथ संलग्नित अनुलग्नक-क में प्रदत्त तालिका के अधीन क्रमांक संज़्या 3 पर उद्धृत एच.टी.उद्योग स्टील भट्ठी/स्टील रोलिंग मिल में लागू शुल्क (के.वी.ए.एच. प्रति पैसा) को 560+20 पैसा प्रति के.वी.ए.एच. की बजाय 580+20 प्रति के.वी.ए.एच. पढ़ा जाए (यदि 11 के.वी.पर आपूर्ति है)।

सेल्ज परिपत्र संज़्या डी-35/2014 केवल उपरोक्त सीमा तक संशोधित है।

उपरोक्त निर्णय/निर्देशों की सतर्कता और सावधानी पूर्वक अनुपालन के लिए सभी सज़्बन्धित के संज्ञान में लाए जाएं।

मुज़्य अभियंता /वाणिज्यिक,
द.ह.बि.वि.नि., हिसार।

नोट :- उपरोक्त विषय का हिन्दी अनुवाद मात्र बिजली कर्मियों को सरल भाषा में समझाने हेतु है। अन्य किसी भी उद्देश्य के लिए हिन्दी में अनुवादित संस्करण मान्य नहीं होगा और अंग्रेजी व हिन्दी संस्करण के बीच विरोधाभास में अंग्रेजी संस्करण ही अविभावी होगा।

दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम

सेल्ज परिपत्र संज़्या डी-38/2014

प्रेषक,

मुज़्य अभियंता /वाणिज्यिक,
दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम,
हिसार।

सेवा में,

द.ह.बि.वि.नि. के सभी मुज़्य अभियंता/अधीक्षक अभियंता/कार्यकारी अभियंता/उपमंडल अधिकारी /ऑप्रेशन, उप-कार्यालय प्रभारी जे.ई.- I.

यादि क्रमांक-चेन-38/एस.ई./कमर्शियल/आर/380/2005 दिनांक :-24/09/2014

विषय :- एच.टी.श्रेणी के तहत नए कनैक्शनों/लोड वृद्धि के मामले निपटाने के लिए प्रक्रिया।

कृपया सेल्ज परिपत्र संज़्या डी-72/2013 और डी-33/2014 देखें, जिसके द्वारा तकनीकी व्यवहार्यता/कनैक्टिविटी निर्णय के लिए निर्देश जारी किए गए थे।

मामले की समीक्षा की गई है और यह निर्णय लिया गया है कि भविष्य में मुज़्य अभियंता/परिचालन, अधीक्षक अभियंता/पी.एण्ड डी., अधीक्षक अभियंता/टी.एण्ड एस, अधीक्षक अभियंता/परिचालन और अधीक्षक अज़ियंता/एन.सी.आर. की समिति 2 एम.वी.ए. से 5 एम.वी.ए. तक के लोड संस्वीकृति मामलों और निजी विकासकों को छोड़कर 5 एम.वी.ए. तक की विद्युतीकरण योजना के मामले और ऐसे मामले जिनमें 33 के.वी. व ऊपर के नए सब-स्टेशन का निर्माण शामिल है कि तकनीकी व्यवहार्यता की जांच करेगी।

जबकि, 2 एम.वी.ए. तक के लोड संस्वीकृत मामले और जहां लोड उपलब्ध है के लिए सक्षमता अनुसार सज़्बन्धित अधीक्षक अभियंता/कार्यकारी अभियंता/उपमंडल अधिकारी/परिचालन लोड संस्वीकृत करेंगे।

सेल्ज परिपत्र संज़्या डी-72/2013 और डी-33/2014 उपरोक्त सीमा तक संशोधित है।

उपरोक्त निर्णय/निर्देशों की सतर्कता और सावधानी पूर्वक अनुपालन के लिए सभी सज़्बन्धित के संज्ञान में लाए जाएं।

मुज़्य अभियंता /वाणिज्यिक,
द.ह.बि.वि.नि., हिसार।

नोट :- उपरोक्त विषय का हिन्दी अनुवाद मात्र बिजली कर्मियों को सरल भाषा में समझाने हेतु है। अन्य किसी भी उद्देश्य के लिए हिन्दी में अनुवादित संस्करण मान्य नहीं होगा और अंग्रेजी व हिन्दी संस्करण के बीच विरोधाभास में अंग्रेजी संस्करण ही अविभावी होगा।

दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम

सेल्ज परिपत्र संज़्या डी-39/2014

प्रेषक,

मुज़्य अभियंता /वाणिज्यिक,
दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम,
हिसार।

सेवा में,

द.ह.बि.वि.नि. के सभी मुज़्य अभियंता/अधीक्षक अभियंता/कार्यकारी अभियंता/उपमंडल अधिकारी /ऑप्रेशन, उप-कार्यालय प्रभारी जे.ई.-।.

यादि क्रमांक-चेन-39/एस.ई./कमर्शियल/आर-16/9/2007
दिनांक :-1/10/2014

विषय :- **वित्तीय वर्ष 2014-15 के लिए दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड और उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड के दर आदेश ए.आर.आर. पर आयोग के दर आदेश दिनांकित 29/05/2014 के शुद्धिपत्र दिनांकित 24/07/2014 के संदर्भ में ओपन ऐस्सेस उपभोक्ताओं के माध्यम से ली गई बिजली पर पी.एल.ई.सी. लगाने के सज़्बन्ध में स्पष्टीकरण।**

ओपन ऐस्सेस उपभोक्ताओं के माध्यम से ली गई बिजली पर पी.एल.ई.सी. लगाने के सज़्बन्ध में एच.ई.आर.सी. द्वारा उसके कार्यालय पत्र क्रमांक 2246-2248/एच.ई.आर.सी. दिनांक 5/09/2014 के तहत जारी स्पष्टीकरण के दृष्टिगत, वित्तीय वर्ष 2014-15 के दौरान ओपन ऐस्सेस के माध्यम से ली गई बिजली पर पी.एल.ई.सी. लगाने के लिए लागू दरें निज़्नलिखित होगी:-

क्रमांक संज़्या	**ऊर्जा स्लैब**	**प्रभार्य पी.एल.ई.सी.**
।	एक महीने में अधिकतम लोड घंटों के दौरान खपत हुई ऊर्जा के बराबर ली गई ऊर्जा के लिए अनुबंध मांग के 20 प्रतिशत के तत्स्थानी परिणत पर ।	**शून्य**
।।	उपरोक्त (।) में आवृत से ज्यादा ऊर्जा लेने और एक महीने में अधिकतम लोड घंटों के दौरान ऊर्जा खपत तक अनुबंध मांग के 50 प्रतिशत के तत्स्थानी परिणत पर ।	अधिकतम लोड छूट सीमा अनुज्ञात/ अनुज्ञात वितरण **यानि रूपये 0.50 प्रति के.वी. ए.एच.** के भीतर वितरण लाईसैंसधारी द्वारा आपूर्तित बिजली के लिए लागू पी.एल.ई.सी. का 50 प्रतिशत।
।।।	यदि उपरोक्त (।) और (।।) में आवृत्त अर्थात एक महीने में पीक लोड घंटों के दौरान ऊर्जा खपत के अतिरिक्त अनुबंध मांग के 50 प्रतिशत के तत्स्थानी परिणत है , से ज्यादा ली गई शेष बिजली पर।	अधिकतम लोड छूट सीमा अनुज्ञात/ विशेष वितरण **यानि रूपये 1.50 प्रति के.वी. ए.एच.** के भीतर वितरण लाईसैंसधारी द्वारा आपूर्तित बिजली के लिए लागू पी.एल.ई.सी. का 100 प्रतिशत।

आगे यह स्पष्ट किया जाता है कि एक महीने में के.डब्ल्यू. एच.एस. में ओपन ऐस्सेस के माध्यम से ली गई बिजली को के.वी.ए.एच.एस. में बदलने के लिए उस महीने के लिए उपभोक्ता का औसत रिकॉर्ड बिजली कारक (पावर फैक्टर) या 0.90, जो भी अधिक है, प्रयोग किया जाएगा।

सेल्ज परिपत्र संज़्या डी-25/2014 केवल उपरोक्त सीमा तक संशोधित है।

उपरोक्त निर्देशों की सतर्कता और सावधानी पूर्वक अनुपालन के लिए सभी सज़्बन्धित के संज्ञान में लाए जाएं।

मुज़्य अभियंता /वाणिज्यिक,
द.ह.बि.वि.नि., हिसार।

नोट :- उपरोक्त विषय का हिन्दी अनुवाद मात्र बिजली कर्मियों को सरल भाषा में समझाने हेतु है। अन्य किसी भी उद्देश्य के लिए हिन्दी में अनुवादित संस्करण मान्य नहीं होगा और अंग्रेजी व हिन्दी संस्करण के बीच विरोधाभास में अंग्रेजी संस्करण ही अविभावी होगा।

दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम

सेल्ज परिपत्र संज़्या डी-40/2014

प्रेषक,

मुज़्य अभियंता /वाणिज्यिक,
दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम,
हिसार।

सेवा में,

द.ह.बि.वि.नि. के सभी मुज़्य अभियंता/अधीक्षक अभियंता/कार्यकारी अभियंता/उपमंडल अधिकारी /ऑप्रेशन, उप-कार्यालय प्रभारी जे.ई.-।.

यादि क्रमांक-चेन-40/एस.ई./कमर्शियल/आर-16/975/एफ-3
दिनांक :-9/10/2014

विषय :- जिस श्रेणी के लिए कनैक्शन जारी किया था, उससे भिन्न श्रेणी में बिजली आपूर्ति के उपयोग पर जुर्माना करने सज़्बन्धी स्पष्टीकरण।

यह अवलोकित किया गया है कि जहां आयोग के दर आदेश या किसी अन्य आदेश, नियम या वैधानिक प्रावधान और उपभोक्ता का श्रेणी विशेष में गलत वर्गीकरण या स्वीकृत प्राधिकरण द्वारा गलत श्रेणी में लोड स्वीकृत किए जाने के कारण निगम की विभिन्न अधिकृत एजेंसियां यानि परिचालन/इन्फोर्समैंट/एम.एण्ड पी. शाखा उपभोक्ताओं को बिजली अधिनियम-2003 की धारा-126 के तहत बिजली का अनाधिकृत उपयोग करने के लिए आरोपित कर रहे हैं, इसके विपरीत इसको सेल्ज परिपत्र संज़्या डी-17/2014 और हरियाणा बिजली विनियामक आयोग विनियम संज़्या 29/2014 (हरियाणा बिजली विनियामक आयोग बिजली आपूर्ति संहिता) के अनुसार निपटाया जाना चाहिए। यह उपभोक्ताओं को अनुचित उत्पीड़न और तत्सबंधी अनपेक्षित मुकद्दमेबाजी की ओर ले जाता है।

ऐसी स्थिति से बचने के लिए यह स्पष्ट किया जाता है कि निगम के अधिकृत निरीक्षण अधिकारियों द्वारा जांच करते समय पाए गए ऐसे दृष्टांतों, का (प्रयोज्जता पर आधारित) हरियाणा बिजली विनियामक आयोग बिजली आपूर्ति संहिता अधिनियम संज़्या 29/2014 (विनियम संज़्या एच.ई.आर.सी./29/2014) को खंड 4.11.1 या खंड 8.6 (4) या खंड 8.6 (7) के अनुसार निपटान किया जाएगा, जो नीचे दोहराया गया है:-

उपभोक्ता श्रेणी का पुनः वर्गीकरण 4.11

4.11.1 यदि यह पाया जाता है कि उपभोक्ता को एक विशेष श्रेणी में गलत वर्गीकृत किया गया है, तो लाईसैंसी, उपभोक्ता को उचित श्रेणी के तहत पुनः वर्गीकृत करने पर विचार कर सकता है। आपत्ति, यदि कोई है, तीस दिन के भीतर दर्ज करने की कहते हुए एक नोटिस के माध्यम से उपभोक्ता को प्रस्तावित पुनः वर्गीकरण की सूचना दी जाएगी। उपभोक्ताओं के उत्तर यदि कोई हैं, पर विचार करने के बाद लाईसैंसी वर्गीकरण बदल सकता है।

8.6 सामान्य

8.6 (4) आयोग के दर आदेश या किसी अन्य आदेश विनियम या वैधानिक प्रावधान के कारण दर श्रेणी परिवर्तन के मामले में पहचान करने का और तद्नुसार उनकी परिवर्तित दर श्रेणी के लिए एक अग्रिम नोटिस देकर उन्हें मौका देने का दायित्व लाईसैंसधारी का होगा और तब तक ऐसे मामले में बिजली के अनाधिकृत उपयोग का मामला दर्ज नहीं किया जाएगा।

8.6 (7) ऐसे मामलों, जहां उपभोक्ता ने कनैक्शन के लिए आवेदन करते समय आपूर्ति के उपयोग की श्रेणी को छिपाया नहीं है किन्तु संस्वीकृत प्राधिकरण द्वारा गलत श्रेणी के तहत लोड संस्वीकृत किया गया था, तो केवल कनैक्शन की तारीख से टैरिफ का अंतराल प्रभारित किया जाएगा और बिजली की चोरी या अनाधिकृत उपयोग का मामला नहीं बनाया जाएगा। किन्तु भविष्य में बिल लागू श्रेणी पर बनाए जाएंगे।

उपरोक्त निर्णय/निर्देशों की सतर्कता और सावधानी पूर्वक अनुपालन के लिए सभी सज़्बन्धित के संज्ञान में लाए जाएं।

मुज़्य अभियंता /वाणिज्यिक,
द.ह.बि.वि.नि., हिसार।

नोट :- उपरोक्त विषय का हिन्दी अनुवाद मात्र बिजली कर्मियों को सरल भाषा में समझाने हेतु है। अन्य किसी भी उद्देश्य के लिए हिन्दी में अनुवादित संस्करण मान्य नहीं होगा और अंग्रेजी व हिन्दी संस्करण के बीच विरोधाभास में अंग्रेजी संस्करण ही अविभावी होगा।

दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम

सेल्ज परिपत्र संज़्या डी-41/2014

प्रेषक,

मुज़्य अभियंता /वाणिज्यिक,
दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम,
हिसार।

सेवा में,

द.ह.बि.वि.नि. के सभी मुज़्य अभियंता/अधीक्षक अभियंता/कार्यकारी अभियंता/उपमंडल अधिकारी /ऑप्रेशन, उप-कार्यालय प्रभारी जे.ई.-।.

यादि क्रमांक-चेन-41/एस.ई./कमर्शियल/आर-16/340/2014
दिनांक :-20/10/2014

विषय :- **तत्काल योजना।**

वर्तमान में दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम में बड़ी संज़्या में आवेदन लंबित हैं। ए.आर.आर. पर दिनांकित 29/05/2014 के एच.ई.आर.सी. के आदेश की अनुपालना करते हुए कनैक्शन जारी करने से सज़्बन्धित मामले पर विचार किया गया है और प्रथम चरण में निज़्नलिखित श्रेणियों के लिए तत्काल योजना प्रारज़्भ करने का निर्णय लिया गया है :-

1. घरेलू/गैर-घरेलू/निज़्न दबाव/औद्योगिक श्रेणियों को 20 किलोवाट तक के कनैक्शन प्रणाली में कमी के बावजूद जारी करना।

2. 2000 किलोवाट लोड तक के एच.टी. औद्योगिक कनैक्शन, जहां प्रणाली में कोई कमी नहीं हैं।

उपरोक्त नीचे दी गई निबंधन और शर्तों को पूरा करने की दशा में हैं :-

क. घरेलू श्रेणी के आवेदकों से सामान्य प्रभारों के अलावा 1000/- रूपये प्रति किलोवाट अतिरिक्त शुल्क वसूल किया जाए।

ख. गैर-घरेलू /एल.टी./एच.टी. औद्योगिक श्रेणी के आवेदकों से सामान्य प्रभारों के अलावा 5000/- रूपये प्रति किलोवाट अतिरिक्त शुल्क वसूली जाएगी।

ग. जहां वितरण प्रणाली में वृद्धि नहीं है, वहां तत्काल शुल्क सहित अपेक्षित फीस के साथ किए गए आवेदन की तिथि से 7 दिनों के भीतर कनैक्शन जारी किया जाना है।

घ. यदि कनैक्शन के लिए वितरण साधनों (मेन्ज) में वृद्धि (पी.सी.सी. खंभे लगाना, ट्रांसफार्मर का संवर्धन, इत्यादि) की आवश्यकता है तो तत्काल कनैक्शन 21 दिनों के भीतर जारी किया जाना है।

ड. सभी औपचारिकताओं को पूरा करवाने की जिज़्मेवारी उपमंडल अधिकारी (परिचालन) की है और उपभोक्ताओं को एल.टी.कनैक्शन किसी प्राधिकरण से कोई अनुमोदन लिए बिना जारी कर दिया जाए किन्तु 500 किलोवाट तक के एच.टी. कनैक्शन सज़्बन्धित कार्यकारी अभियंता (परिचालन) के अनुमोदन के बाद और 500 किलोवाट से 2000 किलोवाट तक के सज़्बन्धित अधीक्षक अभियंता/परिचालन के अनुमोदन से जारी किए जाएंगे।

च. यदि निर्धारित समय-सीमा के भीतर कनैक्शन जारी नहीं किया जाता है तो सज़्बन्धित अधिकारी पर 1000/- रूपये प्रतिदिन का जुर्माना उद्ग्राहय होगा।

छ. स्वयं निष्पादन योजना के तहत एच.टी.लाईन/ट्रांसफार्मर की स्थापना में उपभोक्ता द्वारा लिया गया समय सामान्य समय अर्थात 7/21 दिनों के अतिरिक्त होगा।

ज. आवेदक से जरूरत अनुरूप सभी दस्तावेज, शुल्क और उपकरण जैसे मीटर, सी.टी./पी.टी. और ट्रांसफार्मर आवेदन के समय ही हर हाल में जमा करवा लिए जाए।

झ. तत्काल कनैक्शन तुरंत जारी किए जाएंगे।

ञ. कनैक्शन निरीक्षण की प्रत्याशा में मुज़्य विद्युत निरीक्षक (सी.ई.आई.) को सूचना के तहत जारी किया जाएगा।

ट. कनैक्शन परिचालन विंग द्वारा जारी किया जाएगा और एम.एण्ड पी. एक सप्ताह के भीतर परिशुद्धता की जांच करेगा।

ठ. मुज़्य अभियंता/अधीक्षक अभियंता/कार्यकारी अभियंता (परिचालन) मासिक /पाक्षिक/साप्ताहिक आधार पर स्थिति की समीक्षा करेंगे और मुज़्य अभियंता (परिचालन) समेकित रिपोर्ट मुज़्य महाप्रबन्धक/वाणिज्यिक के कार्यालय को प्रस्तुत करेगा।

सतर्कता और सावधानी पूर्वक अनुपालना के लिए उपरोक्त निर्देश सभी सज़्बन्धित के संज्ञान में लाए जाएं।

मुज़्य अभियंता /वाणिज्यिक,
द.ह.बि.वि.नि., हिसार।

नोट :- उपरोक्त विषय का हिन्दी अनुवाद मात्र बिजली कर्मियों को सरल भाषा में समझाने हेतु है। अन्य किसी भी उद्देश्य के लिए हिन्दी में अनुवादित संस्करण मान्य नहीं होगा और अंग्रेजी व हिन्दी संस्करण के बीच विरोधाभास में अंग्रेजी संस्करण ही अविभावी होगा।

दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम

सेल्ज परिपत्र संज़्या डी-42/2014

प्रेषक,

मुज़्य अभियंता /वाणिज्यिक,
दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम,
हिसार।

सेवा में,

द.ह.बि.वि.नि. के सभी मुज़्य अभियंता/अधीक्षक अभियंता/कार्यकारी अभियंता/उपमंडल अधिकारी /ऑप्रेशन, उप-कार्यालय प्रभारी जे.ई.- I.

यादि क्रमांक-चेन-42/एस.ई./कमर्शियल/आर-16/232/वोल्यूम-1/एफ -149
दिनांक :-03/11/2014

विषय :- **निजी कालोनाईजरों/लाईसैंसी/सेज द्वारा विकसित कालोनियां/बहुमंजिला इमारतों के लिए लोड की स्वीकृति और विद्युतीकरण योजना का अनुमोदन।**

इस संदर्भ में कृपया सेल्ज परिपत्र संज़्या डी-16/2014 देखें, जिसमें यह निर्धारित किया गया है कि निजी विकासक द्वारा विकसित बल्क घरेलू/बल्क गैर-घरेलू/व्यवसायिक श्रेणी के लोड की स्वीकृति के मामलों के तहत या सोसाइटियों/कालोनियों /इमारतों की विद्युतीकरण योजना के अनुमोदन के लिए आवेदन जमा करते समय सज़्बन्धित एस.ई./परिचालन अंतिम लोड के लिए विकसित होने वाले विद्युत बुनियादी ढांचे के लिए सामग्री के बिल की 1.5 गुणा के बराबर बैंक गारंटी लेना सुनिश्चित करेगा।

बैंक गारंटी (बी.जी.) की राशि से सज़्बन्धित आकलन के मामले की समीक्षा की गई और 33 के.वी. स्तर तक विकासक द्वारा निर्मित विभिन्न प्रकार के विद्युतीय बुनियादी ढांचों की मानक लागत का पूर्णकालिक निर्देशकों (डब्ल्यू. टी.डी.) द्वारा नीचे दी गई तालिका के अनुसार अनुमोदन किया गया है:-

क्रंम संज़्या	विवरण	(रूपयों में)/ डबल रन सर्किट राशि
1	जी.एच.एस.और प्लोटिड दोनों के लिए एक किलोमीटर की 33 के.वी. लाईन (भूमिगत) की कुल लागत	5363031
2	जी.एच.एस.और प्लोटिड दोनों के लिए एक किलोमीटर की 11 के.वी. लाईन (भूमिगत) की कुल लागत	4195655
3	33/0.433 के.वी.(ग्रुप हाऊसिंग, भूमिगत प्रणाली के लिए) प्रणाली के आंतरिक बुनियादी ढांचे के मामले में प्रति एम.वी.ए. लागत।	4793185
4	एल.टी.नेटवर्क सहित 33/0.433 के.वी. (भूमिगत प्रणाली के साथ प्लोटिड) प्रणाली के आंतरिक बुनियादी ढांचे के मामले में प्रति एम.वी.ए. लागत।	6723376
5	11 के.वी. (ग्रुप हाऊसिंग के लिए) प्रणाली के आंतरिक बुनियादी ढांचे के मामले में प्रति एम.वी.ए. लागत।	4652536
6	एल.टी. नेटवर्क सहित 11 के.वी. (भूमिगत प्रणाली के साथ प्लोटिड) प्रणाली के आंतरिक बुनियादी ढांचे के मामले में प्रति एम.वी.ए. लागत।	7093995
7	जी.आई.एस. सब-स्टेशन (33/11 के.वी.) की नागरिक कार्य सहित किन्तु निर्माता द्वारा उपलब्ध की जाने वाली भूमि की लागत छोड़कर, लागत	22723701 (1×12.5 एम.वी.ए., 33/11 के.वी. पावर ट्रांसफार्मर) 40836071 (2×12.5 एम.वी.ए., 33/11 के.वी. पावर ट्रांसफार्मर)

उपरोक्त मानक लागत निज़लिखित शर्तों के अधीन अनुमोदित की गई हैं :-

1. निर्माणकर्त्ता/कालोनाईजर/विकासक की प्रवेश बिंदु तक 33 के.वी. भूमिगत केबल लगाने की लागत स्विचिंग सब-स्टेशन से उपभोक्ता के जिज़्मेवारी क्षेत्र में होगी।

2. विकासकर्त्ता द्वारा आंतरिक बुनियादी ढांचे के रूप में 11 के.वी. प्रणाली अपनाने के मामले में, 33/11 के.वी. सब-स्टेशन की लागत आंतरिक बुनियादी ढांचे की लागत के अतिरिक्त ली जाएगी।

3. पुराने सैक्टरों (गुड़गांव और फरीदाबाद) से 66 के.वी. सब-स्टेशन के कारण सांझा की गई लागत हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड में जमा करवानी होगी।

4. उनसे संशोधित लागत पर आधारित अपर्याप्त राशि जमा करवाई जाएगी, जिन उपभोक्ताओं ने बैंक गारंटी पहले ही जमा करवाई जाएगी।

5. नये सैक्टरों यानि सैक्टर-58 से 115, गुड़गांव और सैक्टर-75 से 89, फरीदाबाद में 33 के.वी. पर या किसी अन्य वोल्टेज स्तर से कनैक्शन जारी करते समय, स्टीक लागत हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण (हुडा) और टी.सी.पी. की अंतिम नीति के आधार पर निकाली जाएगी और प्रावधिक राशि समायोजित करने के बाद भुगतान सम्बन्धी निपटान किया जाएगा।

6. विकासकर्त्ताओं से वचनबद्धता के रूप में एक शपथ-पत्र लिया जाएगा कि नये सैक्टरों यानि सैक्टर-58 से 115, गुड़गांव और सैक्टर-75 से 89, फरीदाबाद में 33 के.वी. पर या किसी अन्य वोल्टेज स्तर से उनको कनैक्शन जारी करते समय भुगतान सम्बन्धी निपटान के परिणामस्वरूप किसी राशि की अदायगी यदि बकाया रहती है तो वे अदा करेंगे।

अधीक्षक अभियंता/परिचालन को व्यक्तिगत रूप से सुनिश्चित करना चाहिए कि सेल्ज परिपत्र संख्या डी-29/2014 के तहत प्रावधान के अनुरूप निजी विकासकर्त्ता/कालोनाईजर द्वारा निर्मित विद्युतीय आधारभूत ढांचे की कुल लागत, जो अंतिम लोड के लिए उपरोक्त दरों पर निकाली गई हो, का 1.5 गुणा की दर से बैंक गारंटी किस्तों में जमा करवा ली गई है।

अधीक्षक अभियंता/परिचालन को एक बैंक गारंटी रजिस्टर रखना चाहिए और विकासकर्त्ताओं/कालोनाईजरों द्वारा वैधता सहित जमा की गई बैंक गारंटी की प्रविष्टि करें। सम्बन्धित अधीक्षक अभियंता/परिचालन यह सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार होंगे कि विकासकर्त्ताओं/कालोनाईजर द्वारा बैंक गारंटी की प्रत्येक किस्त जमा करवा दी गई है और बैंक गारंटी की वैधता समय-समय तथा अंतिम लोड के अनुसार बुनियादी ढांचा पूरा होने तक उचित ढंग से बढ़ाई गई है।

पूर्वोक्त सेल्ज परिपत्रों को केवल इस सीमा तक संशोधित किया है।

सतर्कता और सावधानी पूर्वक अनुपालना के लिए उपरोक्त निर्देश सभी सम्बन्धित के संज्ञान में लाए जाएं।

मुख्य अभियंता /वाणिज्यिक,
द.ह.बि.वि.नि., हिसार।

नोट :- उपरोक्त विषय का हिन्दी अनुवाद मात्र बिजली कर्मियों को सरल भाषा में समझाने हेतु है। अन्य किसी भी उद्देश्य के लिए हिन्दी में अनुवादित संस्करण मान्य नहीं होगा और अंग्रेजी व हिन्दी संस्करण के बीच विरोधाभास में अंग्रेजी संस्करण ही अविभावी होगा।

दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम

सेल्ज परिपत्र संज़्या डी-43/2014

प्रेषक,

मुज़्य अभियंता /वाणिज्यिक,
दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम,
हिसार।

सेवा में,

द.ह.बि.वि.नि. के सभी मुज़्य अभियंता/अधीक्षक अभियंता/कार्यकारी अभियंता/उपमंडल अधिकारी /ऑप्रेशन, उप-कार्यालय प्रभारी जे.ई.-।.

यादि क्रमांक-चेन-43/एस.ई./कमर्शियल/आर-16/173/2004/एफ-10

दिनांक :-12/11/2014

विषय :- अनाधिकृत कालोनियों/शहरी झुग्गी-झोपड़ी और क्षेत्रों में कनैक्शन जारी करना।

नीतिगत रूप से दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम सज़्मति स्वामित्व के उचित दस्तावेजों के बिना बिजली कनैक्शन जारी नहीं करता है। अनाधिकृत झुग्गी-झोपड़ी जिनके पास उचित भूमि स्वामित्व/किरायेदारी नहीं है को वर्तमान में बिजली कनैक्शन नहीं दिए जा रहे हैं। ये निवासी 'कुंडी' लगाकर बिजली की चोरी करते हैं और निगम सज़्मावित अदायगी करने वाले उपभोक्ताओं से वंचित रहता है। उपरोक्त समस्या पर काबू पाने के लिए और शहरी झुग्गी-झोपड़ी/अनाधिकृत कालोनियों में ऊर्जा चोरी के कारण राजस्व स्राव को रोकने के लिए, हरियाणा सरकार के मुज़्य सचिव की अध्यक्षता में 29/05/2014 को आयोजित बैठक में इस मामले पर विस्तृत विचार किया गया था और बैठक में झुग्गी-झोपड़ी/अनाधिकृत कालोनियों के निवासियों को निज़्न शर्तों पर बिजली कनैक्शन देने का निर्णय लिया गया:-

।.) ऐसे व्यक्तियों/परिसरों में बिजली कनैक्शन जारी नहीं किया जाएगा, जो अतिक्रमित भूमि पर स्थित/निर्मित है।

।।.) अनियमित/अनाधिकृत कालोनियों के सज़्बन्ध में यह निर्णय लिया गया था कि बिजली आपूर्ति कनैक्शन निज़्नलिखित शर्तों को पूरा करने पर जारी किया जा सकता है:-

क.) उपमंडल अधिकारी/ परिचालन द्वारा सज़्बन्धित अधिकारी/स्थानीय सक्षम प्राधिकरण जैसे नगर निगम या नगर परिषद के आयुक्त या कार्यकारी अधिकारी या नगर पालिका के सचिव या सज़्पदा अधिकारी हुडा या बी.डी.पी.ओ./ग्राम पंचायत को परिसर की स्थिति के सज़्बन्ध में उचित कार्यवाही करने के लिए वास्तव में कनैक्शन करने से पूर्व चार सप्ताह का समय देने के लिए संलग्न प्रारूप (अनुलग्नक-।) पर विनिर्दिष्ट नोटिस दिया जाएगा।

ख.) यह सुनिश्चित किया जाए कि तब तक ऐसे कनैक्शन जारी न किए जाएं जब तक उन विशेष अनाधिकृत/अनियमित कालोनी/ झुग्गी-झोपड़ी क्षेत्र में कम से कम 25 प्रतिशत आबादी न हो गई हो।

ग.) प्रत्येक उपभोक्ता से एक शपथ-पत्र (अनुलग्नक-।।) के साथ-साथ क्षतिपूर्ति बांड (अनुलग्नक-।।) लिया जाएगा जिसमें स्पष्ट रूप से कहा गया हो कि सक्षम प्राधिकरण और किसी अन्य दूसरे कानून, जैसा भी मामला हो, या पंचायत विभाग या नगर एवं योजना विभाग या सज़्बन्धित स्थानीय निकाय विभाग द्वारा उसके परिसर से सज़्बन्धित किसी भी कानूनी कार्रवाई के लिए वह उत्तरदायी होगा। कनैक्शन जारी करना किसी भी तरह से उसके परिसर/कालोनी के नियमितीकरण के दावे को बलवती करने के लिए अधिकृत नहीं होगा।

घ.) ऐसे उपभोक्ता के सभी बिजली बिलों में एक विवरणात्मक अस्वीकृति अंकित होगी जिसमें स्पष्ट रूप से कहा गया हो कि ''कनैक्शन जारी करना और सज़्बन्धित व्यक्ति विशेष से बिलों का संग्रहण करना, उसको सज़्बन्धित सज़्पति पर स्वामित्व अधिकार या उसका कोई आधिपत्य प्रदान नहीं करता है और कि यह वह केवल उसके द्वारा खपत की गई वास्तविक बिजली, और उससे अधिक कुछ नहीं, के लिए साधारण भुगतान कर रहा है।''

।।।.) आवेदक को एक पहचान-पत्र (ड्राईविंग लाईसैंस, पैन नज़्बर, आधार कार्ड, मतदाता पहचान-पत्र, राशन कार्ड, पासपोर्ट, बैंक पासबुक आदि) सबूत के तौर पर जमा करवाना होगा।

इस विषय पर पहले से जारी किए गए सभी सेल्ज परिपत्रों/निर्देशों के स्थान पर तुरंत प्रभाव से लागू है।

पूर्वोक्त सेल्ज परिपत्रों को केवल इस सीमा तक संशोधित किया है।

सतर्कता और सावधानी पूर्वक अनुपालना के लिए उपरोक्त निर्देश सभी सज़्बन्धित के संज्ञान में लाए जाएं।

मुज़्य अभियंता /वाणिज्यिक,
द.ह.बि.वि.नि., हिसार।

नोट :- उपरोक्त विषय का हिन्दी अनुवाद मात्र बिजली कर्मियों को सरल भाषा में समझाने हेतु है। अन्य किसी भी उद्देश्य के लिए हिन्दी में अनुवादित संस्करण मान्य नहीं होगा और अंग्रेजी व हिन्दी संस्करण के बीच विरोधाभास में अंग्रेजी संस्करण ही अविभावी होगा।

(अनुलग्नक-1)

प्रेषक

उपमंडल अधिकारी (परिचालन)/उपमंडल,
. . . . द.ह.बि.वि.नि.

सेवा में,

1. आयुक्त, नगर निगम.. . . . .।
2. सज़्दा अधिकारी, हुडा.. . . . .।
3. सचिव, नगर पालिका. . . . .।
4. जिला नगर योजनाकार. . . . .।
5. जिला विकास एवं पंचायत अधिकारी. . . . .।

विषय :- अनाधिकृत कालोनी में बिजली कनैक्शन जारी करना।

इस संदर्भ में, यह सूचित किया जाता है कि. . . . . शहर/नगर के बाहरी इलाके में एक एक अनाधिकृत कालोनी तेजी से बन गई है और निवासी कुंडी के माध्यम से बिजली लाईनों में कुडी लगाकर बिजली का उपभोग कर रहे हैं।

इस प्रकार, एक महीने के इस नोटिस के माध्यम से, उचित कानूनी कार्यवाही करने के लिए अनुरोध किया जाता है। इसके बाद यह कार्यालय इन उपभोक्ताओं को मीटर लगाकर बिजली कनैक्शन जारी करने के लिए कार्यवाही करेगा ताकि खपत की गई बिजली के एवज में शुल्कों की वसूली की जा सके। ऐसे सभी उपभोक्ताओं से एक विस्तृत शपथ-पत्र के साथ-साथ क्षतिपूर्ति बांड लिया जाएगा जिसमें स्पष्ट रूप से कहा गया हो कि किसी अन्य शहरी स्थानीय निकाय विभाग या नगर एवं योजना विभाग या पंचायत विभाग या किसी अन्य कानूनी प्राधिकरण, जैसा भी मामला हो, द्वारा उनके परिसरों से सम्बन्धित किसी भी कानूनी कार्रवाई के लिए वे उत्तरदायी होंगे। निस्संदेह, कनैक्शन जारी करना, किसी भी तरह से उनके परिसरों/कालोनी के दावे को बलवती करने के लिए अधिकृत नहीं होगा।

यह कृपया आपको सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु है।

उपमंडल अधिकारी (परिचालन)/उपमंडल,
. . . . द.ह.बि.वि.नि.

शपथ-पत्र (अनुलग्नक-।।)

मैं . . . . . सुपुत्र श्री . . . . . .निवासी . . . . एतद् द्वारा घोषणा करता हूं :-

1. कि शपथकर्त्ता ने . . . . . कालोनी में. . . . . आकार का एक प्लाट खरीदा है, घर का निर्माण कर लिया है और निवास कर रहा हूं।

2. कि भूमि का कब्जाधारी पिछले वर्षो/महीनों से झुग्गी झोपड़ी कालोनी या अनाधिकृत कालोनी में निवास कर रहा है और भूमि, जिस पर यह स्थित है, उसकी अपनी है परंतु उचित प्राधिकरण द्वारा विधिवत पारित नहीं है। किन्तु उसने दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम घरेलू कनैक्शन के लिए आवेदन किया है जो इस शर्त पर अनुमोदित किया जाएगा कि वह निगम द्वारा प्रमुख पार्टी को बिजली कनैक्शन देने के कारण से किसी स्थिति पर/में प्रमुख पार्टी या उसके मातहत या उसके माध्यम से दावा करने वाले किसी व्यक्ति सहित किसी व्यक्ति द्वारा निगम के विरूद्व किया जाने वाला क्षति हर्जाने का दावा, कार्यवाही या सब कार्रवाई के विरूद्ध निगम को इन्डेज्नीफाईंग करने के लिए निगम के पक्ष में शपथ-पत्र देगा।

3. जबकि निगम झुग्गी झोपड़ी /अनाधिकृत कालोनी में रहने वाली प्रमुख पार्टी को बिना पूर्व नोटिस दिए किसी समय कनैक्शन काट सकता है। चूंकि बिजली कनैक्शन जारी करना किसी भी तरह से प्रमुख पार्टी को परिसरों का अधिवासी या कानूनी स्वामी नहीं बनाता है जैसे बिजली कनैक्शन, किसी भी तरह से प्रमुख पार्टी के पक्ष में उक्त भूमि का अधिकार/स्वामित्व नहीं बनाता है।

शपथकर्त्ता

स्थान :-
दिनांक :-

<u>सत्यापन</u>

सत्यापित किया जाता है कि मेरे द्वारा दिए गए उपरोक्त शपथ-पत्र में सभी तथ्य मेरी जानकारी अनुसार सही एवं सत्य हैं और इसमें कुछ छिपाया नहीं गया है।

शपथकर्त्ता

स्थान :-
दिनांक :-

<u>क्षतिपूर्ति बांड</u>

(अनुलग्नक- ।।।)

इन प्रस्तुत प्रलखानुसार सभी व्यक्ति जानते हैं कि मैं . . . . .सुपुत्र श्री . . . . . . , ... का निवासी (इसके बाद प्रमुख पार्टी कहा गया है) एतद्द्वारा, प्रमुख पार्टी को निगम द्वारा बिजली कनैक्शन देने के कारण से किसी स्थिति पर/में प्रमुख पार्टी या उसके मातहत या उसके माध्यम से दावा करने वाले किसी व्यक्ति द्वारा निगम के विरूद्ध किया जाने वाला क्षति हर्जाने का दावा, कार्यवाही या सब कार्रवाई के सज़्बन्ध में पूरी लागत और क्षति की मांग पर दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम की क्षतिपूर्ति के लिए वह स्वयं को और अपने सज़्बन्धित उत्तराधिकारियों, निष्पादन प्रशासकों और कानूनी प्रतिनिधियों को आबद्ध करता/करती हूं।

दिनांक. . . . . दिन. . . . . 2014.

जबकि उपरोक्त बाध्यकारी यथा प्रमुख पार्टी सुपुत्र . . . . . . ने . . . . के नाम से एक नये कनैक्शन के लिए आवेदन किया है।

और जबकि, प्रमुख पार्टी झुग्गी झोपड़ी या अनाधिकृत कालोनी में पिछले के लिए भूमि का अधिवासी है और भूमि, जिस पर यह स्थित है, उसकी अपनी/सरकार द्वारा पारित है, किन्तु घरेलू कनैक्शन (डी.एस.) के लिए दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम को आवेदन किया है जो इस शर्त पर अनुमोदित किया जाएगा कि वह प्रमुख पार्टी निगम द्वारा प्रमुख पार्टी को बिजली कनैक्शन देने के कारण से किसी स्थिति पर / में प्रमुख पार्टी या उसके मातहत या उसके माध्यम से दावा करने वाले किसी व्यक्ति सहित किसी व्यक्ति द्वारा निगम के विरूद्ध किया जाने वाला क्षति हर्जाने का दावा, कार्यवाही या सब कार्रवाई के विरूद्ध निगम को इन्डेज़्नीफाईंग करने के लिए निगम के पक्ष में एक क्षतिपूर्ति बांड देगा।

जबकि निगम झुग्गी झोपड़ी /अनाधिकृत कालोनी में रहने वाली प्रमुख पार्टी को बिना पूर्व नोटिस दिए किसी समय कनैक्शन काट सकता है। चूंकि बिजली कनैक्शन जारी करना किसी भी तरह से प्रमुख पार्टी को परिसरों का अधिवासी या कानूनी स्वामी नहीं बनाता है जैसे बिजली कनैक्शन, किसी भी तरह से प्रमुख पार्टी के पक्ष में उक्त भूमि का अधिकार/स्वामित्व नहीं बनाता है।

और जबकि प्रमुख पार्टी ने निगम के पक्ष में उसके द्वारा वांछित अनुसार वैसा ही एक बांड पूरा करने के लिए सहमति दी है।

अब, इसलिए, यह इकरारनामा साक्ष्य है कि प्रमुख पार्टी सहमत है और उक्त निगम के साथ कॉन्वेंट है कि प्रमुख पार्टी क्षतिपूर्ति करती है और निगम द्वारा प्रमुख पार्टी को बिजली कनैक्शन देने के कारण से किसी स्थिति पर / में उसके मातहत या उसके माध्यम से दावा करने वाले किसी व्यक्ति द्वारा निगम के विरूद्ध किया जाने वाला दावा कि या क्षति हर्जाने का दावा, कार्यवाही या सब कार्रवाई के विरूद्ध उक्त निगम को इसके बाद क्षतिपूरित करता रहेगा।

क्षतिपूरक,जमानत और निगम जिसमें साक्षी है को ऊपर लिखे पहले वर्ष और दिन के समक्ष उनके सज़्बन्धित हाथों हस्ताक्षरित है।

गवाह

1

2. **क्षतिपूरक**

दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम

सेल्ज परिपत्र संज़्या डी-44/2014

प्रेषक,

मुज़्य अभियंता /वाणिज्यिक,
दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम,
हिसार।

सेवा में,

द.ह.बि.वि.नि. के सभी मुज़्य अभियंता/अधीक्षक अभियंता/कार्यकारी अभियंता/उपमंडल अधिकारी /ऑप्रेशन, उप-कार्यालय प्रभारी जे.ई.-I.

यादि क्रमांक-चेन-44/एस.ई./कमर्शियल/आर-16/232/2005
दिनांक :-14/11/2014

विषय :- **आवासीय कालोनियों या नियोक्ता के आवासीय परिसर सह-कार्यालय, ग्रुप हाउसिंग सोसाईटियां और विकासकर्त्ताओं के आवासीय परिसर सह-वाणिज्यिक को एकल बिंदु आपूर्ति, विनियम (प्रथम संशोधन, 2014)।**

हरियाणा बिजली विनियामक आयोग के विनियम, 2013 यानि विनियम संज़्या एच.ई.आर.सी./27/2013 (आवासीय कालोनियों या नियोक्ता के आवासीय परिसर सह-कार्यालय, ग्रुप हाउसिंग सोसाईटियां और विकासकर्त्ताओं के आवासीय परिसर सह-वाणिज्यिक को एकल बिंदु आपूर्ति), प्रथम संशोधन की अधिसूचना दिनांक 15/09/2014 एच.ई.आर.सी. की प्रति इसके साथ अनुपालना के लिए संलग्न है एच.ई.आर.सी. की यह अधिसूचना आयोग की वैबसाईट www.herc.gov.in पर भी उपलब्ध है।

सेल्ज परिपत्र संज़्या डी-4/2013 और अन्य सज़्बन्धित निर्देश इस सीमा तक संशोधित हैं।

सतर्कता और सावधानी पूर्वक अनुपालन के लिए उपरोक्त निर्देश सभी सज़्बन्धित के संज्ञान में लाए जाएं।

प्रति संलग्न

मुज़्य अभियंता /वाणिज्यिक,
द.ह.बि.वि.नि., हिसार।

नोट :- उपरोक्त विषय का हिन्दी अनुवाद मात्र बिजली कर्मियों को सरल भाषा में समझाने हेतु है। अन्य किसी भी उद्देश्य के लिए हिन्दी में अनुवादित संस्करण मान्य नहीं होगा और अंग्रेजी व हिन्दी संस्करण के बीच विरोधाभास में अंग्रेजी संस्करण ही अविभावी होगा।

दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम

सेल्ज परिपत्र संज़्या डी-45/2014

प्रेषक,

मुज़्य अभियंता /वाणिज्यिक,
दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम,
हिसार।

सेवा में,

द.ह.बि.वि.नि. के सभी मुज़्य अभियंता/अधीक्षक अभियंता/कार्यकारी अभियंता/उपमंडल अधिकारी /ऑप्रेशन, उप-कार्यालय प्रभारी जे.ई.-।.

यादि क्रमांक-चेन-45/जी.एम./कमर्शियल/आर-16/194/2004/एफ-27
दिनांक :-24/11/2014

विषय :- **लंबित अदालती मामले/मध्यस्थता मामलों का न्यायालय से बाहर समझौता करने के लिए योजना।**

निगम ने विभिन्न श्रेणियों के बिजली उपभोक्ताओं के न्यायालयों/विवेचन/डी.सी.डी.आर.एफ./राज्य आयोग/राष्ट्रीय आयोग आदि में लंबित मामलों को दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम के कार्यक्षेत्र के तहत सभी जिला मुज़्यालयों में नियमित रूप से आयोजित की जा रही लोक अदालतों में निपटाने का निर्णय लिया है।

योजना की मुज़्य विशेषताओं निज़्नानुसार है :-

1. योजना 31/12/2014 तक खुली रहेगी।
2. योजना सभी श्रेणियों के उपभोक्ताओं के लिए उपलब्ध रहेगी।
3. योजना डी.सी.डी.आर.एफ.,राज्य आयोग या विवेचन आदि सहित न्यायालयों में 31/03/2014 तक लंबित बिजली उपभोक्ताओं के सभी विवादों के लिए उपलब्ध होगी।
4. ऐसे सभी विवाद जिनमें जुर्माना लगाया गया है को निपटाया जा सकता है यदि उपभोक्ता/आवेदक प्रारज़्भ आंकलित राशि की 50 प्रतिशत घटी राशि घटी हुई राशि की न अदा की गई शेष राशि पर 12 प्रतिशत वार्षिक साधारण ब्याज सहित अदा करता है।
5. विकास प्रभार लगाए जाने के कारण विवादों को भी योजना के दायरे में लिया गया है।
6. योजना उन मामलों में लागू होगी, जहां अनाधिकृत लोड पकड़ा जाने के परिणामस्वरूप एल.टी. औद्योगिक से एच.टी.औद्योगिक श्रेणी में परिवर्तन होता है और तय किया गया एस.ओ.पी. का 25 प्रतिशत की दर पर एल.टी.अधिभार लगाया गया है तथा विवाद का एल.टी. अधिभार राशि का 50 प्रतिशत घटी राशि की शेष अदा न की गई राशि पर 12 प्रतिशत वार्षिक साधारण ब्याज सहित अदायगी पर निपटान किया जा सकता है।
7. योजना उन मामलों को निपटाने के लिए लागू होगी, जहां एम.एण्ड पी. द्वारा की जांच में मीटर की धीमी गति के कारण राशि लगाई गई है किन्तु धीमे होने की वास्तविक तिथि निर्धारित नहीं की जा सकी है बशर्ते उपभोक्ता 50 प्रतिशत घटी राशि की अदा न की गई शेष राशि पर 12 प्रतिशत वार्षिक साधारण ब्याज सहित अदायगी करता है।
8. किन्तु उपरोक्त योजना वहां लागू नहीं होगी, जहां गुणा कारक की प्रयोज्यता के कारण विवाद हैं, जिसमें गुणा कारक के अनुसार परिकलित पूरी राशि अधिभार की बजाय 12 प्रतिशत वार्षिक की दर से साधारण ब्याज के साथ प्रभारित किया जाएगा।
9. कुछ ऐसे मामले हो सकते हैं, जहां प्रारज़्भिक आंकलन निगम के निर्देशानुसार नहीं किया गया था और वह अधिक था। यह स्पष्ट किया जाता है कि आंकलित राशि का अर्थ है उस समय प्रचलित निर्देशानुसार आंकलित की गई राशि है, न कि जरूरी तौर पर प्रारज़्भिक प्रभारित राशि। किन्तु हालांकि ऐसे मामलों के सज़्बन्ध में संशोधित परिकलन को सज़्बन्धित उपमंडल अधिकारी, ऑप्रेशन द्वारा स्थानीय आंतरिक लेखापरीक्षा की सहमति से पुनरीक्षित करवाया जाए।
10. उन मामलों के लिए योजना लागू होगी, जहां औसत आधार पर राशि प्रभारित की गई है। घटाई गई 50 प्रतिशत राशि घटाई गई राशि की अप्रदत्त शेष राशि पर 12 प्रतिशत वार्षिक की दर से साधारण ब्याज सहित भुगतान के बाद विवाद का फैसला किया जा सकता है।
11. यदि मूल राशि का भुगतान पहले ही किया जा चुका है और अधिभार लगाने के कारण विवाद हुआ है तो मामला 12 प्रतिशत वार्षिक की दर से साधारण ब्याज की वसूली कर निपटाया जा सकता है।
12. योजना उन मामलों में भी लागू होगी, जहां एम.एम.सी. के कारण विवाद है, घटाई गई राशि की अप्रदत्त शेष राशि पर 12 प्रतिशत वार्षिक की दर से साधारण ब्याज के साथ एम.एम.सी. की पूरी राशि का भुगतान करके इन मामलों का निपटारा किया जा सकता है।

13. केवल पहली बार दर्ज चोरी और जहां उपभोक्ता/उपभोगी को किसी न्यायालय द्वारा ऊर्जा चोरी का अपराधी सिद्ध नहीं किया हुआ है के मामलों में भी योजना लागू है। जहां निज़ राशि जमा कर के मामलों का निपटारा किया जाएगा।

    1. 10000 रूपये प्रति के.वी.ए. अनुबंधित मांग, व्यवसायिक सेवाओं के लिए 5000 रूपये प्रति किलोवाट, कृषि सेवाओं के लिए 2000 रूपये प्रति बी.एच.पी., अन्य सेवाओं के लिए 2000 हजार रूपये प्रति किलोवाट की दर से संशोधित समझौता प्रभार राशि (सेल्ज परिपत्र संज़्या डी-67/2013 के अनुसार) । समझौता प्रभार पर ब्याज नहीं वसूला जाएगा।
    2. 12 प्रतिशत वार्षिक दर से साधारण ब्याज के साथ आंकलित राशि का 50 प्रतिशत।

14. योजना को सफल बनाने के लिए इस परिपत्र के जारी होने के बाद 10 दिनों के भीतर इस योजना में शामिल सभी उपभोक्ताओं को नोटिस भेजने के लिए उपमंडल अधिकारी (परिचालन) को अवश्य सुनिश्चित करें।

15. उन मामलों में योजना लागू नहीं होगी, जहां उपभोक्ता द्वारा 100 प्रतिशत भुगतान कर दिया गया है। किन्तु वहां योजना लागू होगी, जहां केवल न्यायालय के निर्देशों के तहत उपभोक्ता द्वारा 50 प्रतिशत या आंकलन राशि का 50 प्रतिशत से कम जमा किया गया है।

16. पहले निपटाएं जा चुके/निर्णित मामलों को फिर से नहीं खोला जाएगा और उन मामलों में योजना लागू नहीं होगी, जो निगम के पक्ष में निर्णित हुए हैं किन्तु, यदि क्षेत्राधिकार आधार पर मामले निपटाए गए हैं और उपभोक्ता सिविल न्यायालय में चला गया है तो उन मामलों को लंबित मामले समझा जाए।

17. निगम की ओर से सभी मामलों को निपटाने के लिए सज़्बन्धित उपमंडल अधिकारी (परिचालन) अधिकृत है और किसी अस्पष्टता के मामले में, सज़्बन्धित कार्यकारी अभियंता/परिचालन या मुज़्य महाप्रबन्धक/वाणिज्यिक, दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम, हिसार से स्पष्टीकरण मांगा जाए।

18. सज़्बन्धित उपमंडल अधिकारी मामले की योग्यता के दृष्टिगत, उपभोक्ता को निपटान राशि दो किश्तों में देने की अनुमति दे सकता है।

    सज़्बन्धित अधीक्षण अभियंता/परिचालन योजना के कार्यान्वयन की निजी तौर पर निगरानी रखेंगे और निपटाएं गए मामलों की साप्ताहिक प्रगति रिपोर्ट समन्वयक, दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम, हिसार के कार्यालय को भी प्रस्तुत करेंगे।

    विभिन्न न्यायालयों/विवेचन डी.सी.डी.आर.एफ./राज्य आयोग आदि में लंबित विवादों को अधिक से अधिक निपटाने के लिए हर सज़्भव प्रयास किए जाने चाहिए और उपरोक्त योजना के तहत लोक अदालतों में लंबित अदालती मामलों, को निपटाने के लिए व्यापक प्रचार किया जाए।

    सतर्कता और सावधानी पूर्वक अनुपालन के लिए उपरोक्त निर्देशों को सभी सज़्बन्धित के संज्ञान में लाया जाएं।

अधीक्षण अभियंता/वाणिज्यिक
कृते : मुज़्य अभियंता /वाणिज्यिक,
द.ह.बि.वि.नि., हिसार।

नोट :- उपरोक्त विषय का हिन्दी अनुवाद मात्र बिजली कर्मियों को सरल भाषा में समझाने हेतु है। अन्य किसी भी उद्देश्य के लिए हिन्दी में अनुवादित संस्करण मान्य नहीं होगा और अंग्रेजी व हिन्दी संस्करण के बीच विरोधाभास में अंग्रेजी संस्करण ही अविभावी होगा।

प्रतिलिपि प्रेषित :-

1. सभी उपायुक्त, सिरसा, फतेहाबाद, हिसार, भिवानी, रेवाड़ी, महेन्द्रगढ़, गुड़गांव, फरीदाबाद, मेवात, पलवल।
2. सभी जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सिरसा, फतेहाबाद, हिसार, भिवानी, रेवाड़ी, महेन्द्रगढ़, गुड़गांव, फरीदाबाद, मेवात, पलवल।
3. जिला उपभोक्ता विवाद निवारण अदालतों के सभी अध्यक्ष, सिरसा, फतेहाबाद, हिसार, भिवानी, रेवाड़ी, महेन्द्रगढ़, गुड़गांव, फरीदाबाद, मेवात, पलवल।
4. अध्यक्ष, राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग, पंचकूला, हरियाणा।

दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम

सेल्ज परिपत्र संज़्या डी-46/2014

प्रेषक,

मुज़्य अभियंता /वाणिज्यिक,
दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम,
हिसार।

सेवा में,

द.ह.बि.वि.नि. के सभी मुज़्य अभियंता/अधीक्षक अभियंता/कार्यकारी अभियंता/उपमंडल अधिकारी /ऑप्रेशन, उप-कार्यालय प्रभारी जे.ई.-।.

यादि क्रमांक-चेन-46/एस.ई./कमर्शियल/आर-16/19/2006/सी/सी/वोल्यूम-1/एफ-2
दिनांक :-01/12/2014

विषय :- **दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम के गैर-कृषि बिजली उपभोक्ताओं से ईंधन अधिभार समायोजन (एफ.एस.ए.) वसूल करना।**

कृपया सेल्ज परिपत्र संज़्या डी-56/2013 दिनांक 11/10/2013 और डी-4/2014 दिनांक 17/01/2014 देखें, जिसमें उपभोक्ताओं की विभिन्न श्रेणियों पर ईंधन अधिभार समायोजन (एफ.एस.ए.) लगाया गया है।

हरियाणा बिजली विनियामक आयोग (एच.ई.आर.सी.) के एम.वाई.टी. विनियम, 2012 की अनुपालना में, कृषि को छोड़कर उपभोक्ताओं की सभी श्रेणियों से एक नवज़्बर-2014 से जारी होने वाले बिलों पर 17 (सत्रह) पैसे प्रति यूनिट की दर से एफ.एस.ए. वित्तीय वर्ष 2014-15 की दूसरी तिमाही के लिए अनुमोदित किया गया है। ये 17 पैसे प्रति यूनिट सेल्ज परिपत्र डी-56/2013 और उससे सज़्बन्धित संशोधनों के तहत पहले से लगाए हुए एफ.एस.ए. के अतिरिक्त है।

पूर्वोक्त सेल्ज परिपत्र उपरोक्त सीमा तक संशोधित है।

सतर्कता और सावधानी पूर्वक अनुपालन के लिए उपरोक्त निर्देश सभी सज़्बन्धित के संज्ञान में लाए जाएं।

प्रति संलग्न

मुज़्य अभियंता /वाणिज्यिक,
द.ह.बि.वि.नि., हिसार।

नोट :- उपरोक्त विषय का हिन्दी अनुवाद मात्र बिजली कर्मियों को सरल भाषा में समझाने हेतु है। अन्य किसी भी उद्देश्य के लिए हिन्दी में अनुवादित संस्करण मान्य नहीं होगा और अंग्रेजी व हिन्दी संस्करण के बीच विरोधाभास में अंग्रेजी संस्करण ही अविभावी होगा।

दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम

सेल्ज परिपत्र संज़्या डी-47/2014

प्रेषक,

मुज़्य अभियंता /वाणिज्यिक,
दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम,
हिसार।

सेवा में,

द.ह.बि.वि.नि. के सभी मुज़्य अभियंता/अधीक्षक अभियंता/कार्यकारी अभियंता/उपमंडल अधिकारी /ऑप्रेशन, उप-कार्यालय प्रभारी जे.ई.-।.

यादि क्रमांक-चेन-47/एस.ई./कमर्शियल/458/एफ-26
दिनांक :-03/12/2014

विषय :- कृषि सिंचाई आपूर्ति के लिए नलकूप कनैक्शनों का स्थानांतरण।

कृपया सेल्ज परिपत्र संज़्या डी-32/2001 को देखें, जिसके तहत दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम के अधिकार क्षेत्र में कहीं भी बोर की विफलता, जल की लवणता के कारण या अन्य किसी कारण से निगम ने नलकूप कनैक्शनों के स्थानांतरण के लिए निज़्न शर्तों पर अनुमति दी है :-

1) जल की लवणता के आधार पर की गई मांग के मामले में स्थानांतरित किए जाने वाले नलकूप के सज़्बन्ध में जल की लवणता/अनुपयुक्तता को सिंचाई विभाग की भूजल शाखा प्रमाणित करेगी। नए स्थल के सज़्बन्ध में, जहां इस नलकूप को स्थानांतरित किया जाना है जल की उपयुक्तता को भी भूजल शाखा द्वारा प्रमाणित किया जा सकता है।

2) नलकूप के बोर की विफलता या किसी अन्य कारण, जिसके लिए स्थानांतरण की प्रार्थना की गई है, के मामले में भी स्थानांतरण की अनुमति होगी।

3) भूमि, जो दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम के अधिकार क्षेत्र में, कहीं भी स्थित हो, उसी नाम से होनी चाहिए, जिसमें मूल नलकूप कनैक्शन मौजूद है और स्थानांतरण की अनुमति बगैर किसी नाम परिवर्तन के होगी।

4) मूल आवेदक की मृत्यु के मामले में सक्षम प्राधिकरण/अदालत से कानूनी वारिस का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने पर एक स्थल से दूसरे स्थल पर नलकूप कनैक्शन के स्थानांतरण की अनुमति है, बाद में किसी कानूनी जटिलताओं के विरूद्ध नये आवेदक द्वारा स्वयं की जिज़्मेदारी होने का एक शपथ-पत्र देना होगा।

5) उपभोक्ता किसी बिजली बिल का बकायादार नहीं होगा।

हरियाणा सरकार की संशोधित पुनर्वास और पुनर्स्थापन नीति के परिप्रेक्ष्य में परिपत्र संज़्या डी-11/2010 के द्वारा मामले की आगे समीक्षा की गई और निर्णय लिया गया कि निज़्न शर्ते पूरी होने पर नलकूप कनैक्शन स्थानांतरित किया जाएगा :-

1) हुडा या अन्य राज्य अभिक्रमों द्वारा भूमि अधिग्रहण को दर्शाता सबूत।
2) परिवर्तित/नये स्थान पर कनैक्शन ग्रामीण ए.पी. फीडर से एच.टी. पर जारी/स्थानांतरित किया जाएगा और मीटर वाली आपूर्ति दी जाएगी।
3) मौजूदा परिसरों पर हटाने और नए स्थल पर निर्माण पर आने वाला व्यय उपभोक्ता द्वारा वहन किया जाएगा।
4) नया ए.एण्ड ए. प्रपत्र जमा करवाया जाना है।
5) इस तथ्य से निरपेक्ष की कनैक्शन जुड़ा हुआ है या कटा हुआ है, इस आशय का प्रमाण-पत्र देना होगा कि सभी लंबित बकाया राशि का भुगतान हो गया है।
6) मूल आवेदक की मृत्यु के मामले में सक्षम प्राधिकरण/अदालत से कानूनी वारिस का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने पर एक स्थल से दूसरे स्थल पर नलकूप कनैक्शन के स्थानांतरण की अनुमति है, बाद में किसी कानूनी जटिलताओं के विरूद्ध नये आवेदक द्वारा स्वयं की जिज़्मेदारी होने का एक शपथ-पत्र देना होगा।
7) उपभोक्ता इस श्रेणी में वैकल्पिक नलकूप कनैक्शन के लिए या तो उसकी अ-अधिग्रहित भूमि या उस कृषि भूमि पर जिसे वह अधिनिर्णय के दो वर्षो की अवधि के भीतर राज्य में अन्यत्तर कहीं खरीदें।
8) वैकल्पिक कनैक्शन भूमि मालिक के आवेदन के तीन माह की अवधि के भीतर प्रदान किया जाएगा।

अब मामले की समीक्षा की गई है और उपरोक्त शर्तें पूरी होने पर नलकूप कनैक्शन स्थानांतरित करने का निर्णय लिया गया है तथा आवेदक द्वारा स्थानांतरण का पूरा खर्च निज़्नानुसार वहन किया जाएगा:-

1 व्यक्तिगत ट्रांसफार्मर पर चल रहे मौजूदा नलकूप के मामले में इस तथ्य से निरपेक्ष कि ऐसे कनैक्शन स्वयं निष्पादन योजना के तहत जारी किए गए हैं या विभागीय के तहत जारी किए गए हैं, निज़ प्रभार जमा करवाने के बाद नए स्थान पर मौजूदा ट्रांसफार्मर प्रदान करके दूसरे स्थान पर स्थानांतरित किया जा सकता है :-

(1) निक्षेप प्राक्कलन (नए स्थान पर उपभोक्ता को आपूर्ति देने के लिए निर्मित किए जाने वाले नए एच.टी. स्पैन, यदि कोई है, अकेले उक्त उपभोक्ता को आपूर्ति देने वाली एच.टी. लाईन और पोल माऊंटिंग सब-स्टेशन को हटाने आदि की लागत)।

(2) एल.टी. आपूर्ति वाले मौजूदा नलकूप को अन्य स्थान पर स्थानांतरित करने के मामले में निज़ प्रभार जमा करवाने होंगे :-

क) उसी या अन्य ट्रांसफार्मर (अतिरिक्त क्षमता वाले) पर एल.टी.पर स्थानांतरण करना है तो निक्षेप प्रक्कलित लागत जमा करवाई जाएगी। प्रस्तावित एल.टी.लाईन की लंबाई ट्रांसफार्मर से 900 फुट से ज्यादा नहीं होनी चाहिए।

ख) दूसरे ट्रांसफार्मर पर एल.टी. पर स्थानांतरण, जहां अतिरिक्त क्षमता उपलब्ध नहीं है और क्षमता वृद्धि आवश्यक है तो प्रस्तावित एल.टी.लाईन की प्राक्कलित लागत (निर्माण, हटाना, नए एल.टी. स्पैन की लागत एवं ट्रांसफार्मर क्षमता आदि की वृद्धिशील लागत) प्रस्तावित एल.टी.लाईन की लंबाई ट्रांसफार्मर से 900 फुट से ज्यादा नहीं होनी चाहिए।

ग) यदि मामला क एवं ख के अन्तर्गत शामिल नहीं है यानि जहां नए स्थान पर नलकूप कनैक्शन की आपूर्ति के लिए नया ट्रांसफार्मर आवश्यक है तो उपभोक्ता को निक्षेप प्राक्कलन लागत जमा करवानी होगी (अनावश्यक एल.टी.स्पैन को हटाना यदि कोई है, नई एच.टी. लाईन की लागत, पोल माऊटिंग सब-स्टेशन एवं वितरक ट्रांसफार्मर आदि)।

एच.टी. मामलों के लिए उपभोक्ता सेल्ज निर्देश संज़्या 10/2013 के अन्तर्गत अनुबंधित शर्तों एवं निबंधन अनुसार एच.टी. नलकूप कनैक्शन के स्थानांतरण के लिए स्वयं निष्पादन योजना को अपना सकते हैं।

सेल्ज परिपत्र संज़्या डी-32/2001, डी-11/2010, डी-36/2014 और एस.एम.आई. 2.1 केवल इस सीमा तक संशोधित हैं।

सतर्कता और सावधानी पूर्वक अनुपालन के लिए उपरोक्त निर्देश सभी सज़्बन्धित के संज्ञान में लाए जाएं।

अधीक्षक अभियंता/वाणिज्यिक,
कृते :- मुज़्य अभियंता /वाणिज्यिक,
द.ह.बि.वि.निगम,हिसार।

नोट :- उपरोक्त विषय का हिन्दी अनुवाद मात्र बिजली कर्मियों को सरल भाषा में समझाने हेतु है। अन्य किसी भी उद्देश्य के लिए हिन्दी में अनुवादित संस्करण मान्य नहीं होगा और अंग्रेजी व हिन्दी संस्करण के बीच विरोधाभास में अंग्रेजी संस्करण ही अविभावी होगा।

दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम

सेल्ज परिपत्र संज़्या डी-48/2014

प्रेषक,

मुज़्य अभियंता /वाणिज्यिक,
दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम,
हिसार।

सेवा में,

द.ह.बि.वि.नि. के सभी मुज़्य अभियंता/अधीक्षक अभियंता/कार्यकारी अभियंता/उपमंडल अधिकारी /ऑप्रेशन, उप-कार्यालय प्रभारी जे.ई.-।.

यादि क्रमांक-चेन-48/एस.ई./सी-आर-16/279/2005/एफ-9
दिनांक :-12/12/2014

विषय :- **बिजली आपूर्ति संहिता-विनियम संज़्या एच.ई.आर.सी./29/2014/प्रथम संशोधन/2014।**

हरियाणा बिजली विनियामक आयोग (एच.ई.आर.सी.) विनियम संज़्या एच.ई.आर.सी./29/2014/प्रथम संशोधन/2014 दिनांक 17/11/2014 (प्रति संलग्न) अधिसूचित किया गया है, जिसमें एच.ई.आर.सी. (बिजली आपूर्ति संहिता) विनियम-29/2014 के विनियम 3.2, 4.7, 4.15.5 और 7.9 संशोधित किए गए हैं। यह आयोग की वैबसाईट **www.herc.gov.in** पर भी उपलब्ध है।

सेल्ज परिपत्र संज़्या डी-17/2014 केवल इस सीमा तक संशोधित है।

सतर्कता और सावधानी पूर्वक अनुपालन के लिए उपरोक्त निर्देश सभी सज़्बन्धित के संज्ञान में लाए जाएं।

प्रति/ विनियम संज़्या एच.ई.आर.सी./29/2014/प्रथम संशोधन/2014

मुज़्य अभियंता /वाणिज्यिक,
द.ह.बि.वि.नि., हिसार।

नोट :- उपरोक्त विषय का हिन्दी अनुवाद मात्र बिजली कर्मियों को सरल भाषा में समझाने हेतु है। अन्य किसी भी उद्देश्य के लिए हिन्दी में अनुवादित संस्करण मान्य नहीं होगा और अंग्रेजी व हिन्दी संस्करण के बीच विरोधाभास में अंग्रेजी संस्करण ही अविभावी होगा।

दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम

सेल्ज निर्देश संज़्या -1/2014

प्रेषक,

मुज़्य अभियंता /वाणिज्यिक,
दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम,
हिसार।

सेवा में,

द.ह.बि.वि.नि. के सभी मुज़्य अभियंता/अधीक्षक अभियंता/कार्यकारी अभियंता/उपमंडल अधिकारी /ऑप्रेशन, उप-कार्यालय प्रभारी जे.ई.-।.

यादि क्रमांक-चेन-1/जी.एम./सी/आर-17/37/2006/एस/आई/वोल्यूम-1
दिनांक :-20/01/2014

विषय :- **वितरण और हरियाणा राज्य के भीतर ओपन एक्सेस अवधि का क्रियान्वयन और ओपन एक्सेस उपभोक्ताओं से वसूले जाने वाले अन्य सज़्बन्धित शुल्क-क्रॉस सब्सिडी अधिभार की वसूली के लिए यूनिट का स्पष्टीकरण।**

कृपया उपरोक्त उद्धृत विषय पर सेल्ज परिपत्र संज़्या डी.-12/2013 दिनांक 08/04/2013 का संदर्भ ले।

यह स्पष्ट किया जाता है कि क्रॉस सब्सिडी अधिभार वसूली के लिए यूनिट पैसे प्रति प्रति यूनिट की बजाय **पैसे प्रति के.डब्ल्यू.एच.** पढ़ा जाए।

'यह सेल्ज निर्देश आयोग द्वारा जारी किए गए टैरिफ आदेश के किसी भाग का (प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष) उल्लघंन नहीं करता है।'

सतर्कता और सावधानी पूर्वक अनुपालन के लिए उपरोक्त निर्देश सभी सज़्बन्धित के संज्ञान में लाए जाएं।

मुज़्य अभियंता /वाणिज्यिक,
द.ह.बि.वि.नि., हिसार।

नोट :- उपरोक्त विषय का हिन्दी अनुवाद मात्र बिजली कर्मियों को सरल भाषा में समझाने हेतु है। अन्य किसी भी उद्देश्य के लिए हिन्दी में अनुवादित संस्करण मान्य नहीं होगा और अंग्रेजी व हिन्दी संस्करण के बीच विरोधाभास में अंग्रेजी संस्करण ही अविभावी होगा।

दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम

सेल्ज निर्देश संज़्या -2/2014

प्रेषक,

मुज़्य अभियंता /वाणिज्यिक,
दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम,
हिसार।

सेवा में,

द.ह.बि.वि.नि. के सभी मुज़्य अभियंता/अधीक्षक अभियंता/कार्यकारी अभियंता/उपमंडल अधिकारी /ऑप्रेशन, उप-कार्यालय प्रभारी जे.ई.- I.

यादि क्रमांक-चेन-2/जी.एम./सी/आर-17/170/2004/एफ-17
दिनांक :-03/03/2014

विषय :- कॉल सैंटर (18001801615) को फीडर ब्रेक डाऊन की रिपोर्टिंग।

प्रबन्धन के संज्ञान में आया है कि जब भी उपभोक्ता दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम/उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम के कॉल सैंटर पर अपनी बिजली आपूर्ति विफल होने से सज़्बन्धित अपनी शिकायत दर्ज करवाता है तो, कॉल सैंटर उसकी व्यक्तिगत शिकायत या पूरे प्रभावित फीडर की बिजली आपूर्ति विफल होने की स्थिति की सूचना सज़्बन्धिता उपभोक्ता को नहीं होती है।

इस समस्या के आने से और बेहतर उपभोक्ता संतुष्टि के लिए, निज़्नानुसार यह निर्णय लिया गया है :-

1. सब-स्टेशन जहां से 33 के.वी./11 के.वी. फीडर शुरू हुआ है पर 33/11 के.वी. फीडर के ब्रेक डाऊन का समय ड्यूटी पर तैनात कर्मचारी ब्रेक डाऊन सज़्बन्धित सूचना और प्रत्येक सर्कल स्तर पर कार्य कर रहे ए.बी.टी. नियंत्रण कक्ष को फीडरों पर हुए बिजली कटों की तुरंत सूचना देगा।

2. ए.बी.टी. कक्ष सज़्बन्धित प्रभारी जे.ई./ए.एफ.एम. को ब्रेक डाऊन सज़्बन्धी सूचना देगा और जो ब्रेक डाऊन को ठीक करेगा। वह शीघ्र जांच करेगा।

3. दोनों सूचनाओं की प्राप्ति पर, ए.बी.टी. सैल प्रभावित 33/11 के.वी. फीडर पर ब्रेक डाऊन/बिजली कट से सज़्बन्धित सूचना के साथ-साथ बिजली आपूर्ति कब तक शुरू हो जानी है की सूचना तुरंत दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम/उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम के कॉल सैंटर पर देगा।

4. यदि क्षेत्र जहां ब्रेक डाऊन है वहां से बिजली आपूर्ति खराब होने से सज़्बन्धित शिकायत कॉल सैंटर को प्राप्त होती है तो, कॉल सैंटर स्टॉफ ब्रेक डाऊन सज़्बन्धित शिकायत और बिजली आपूर्ति बहाल होने में लगने वाले समय की सूचना देगा।

5. सज़्बन्धित अधीक्षक अभियंता (ऑप्रेशन) समय-समय पर निगरानी करेगा कि क्या? सब-स्टेशन द्वारा ए.बी.टी. सैल को और इसके बाद कॉल सैंटर को सूचना/डाटा दिया जा रहा है या नहीं।

सतर्कता और सावधानी पूर्वक अनुपालन के लिए उपरोक्त निर्देश सभी सज़्बन्धित के संज्ञान में लाए जाएं।

मुज़्य अभियंता /वाणिज्यिक,
द.ह.बि.वि.नि., हिसार।

नोट :- उपरोक्त विषय का हिन्दी अनुवाद मात्र बिजली कर्मियों को सरल भाषा में समझाने हेतु है। अन्य किसी भी उद्देश्य के लिए हिन्दी में अनुवादित संस्करण मान्य नहीं होगा और अंग्रेजी व हिन्दी संस्करण के बीच विरोधाभास में अंग्रेजी संस्करण ही अविभावी होगा।

दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम

सेल्ज निर्देश संज़्या -3/2014

प्रेषक,

मुज़्य अभियंता /वाणिज्यिक,
दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम,
हिसार।

सेवा में,

द.ह.बि.वि.नि. के सभी मुज़्य अभियंता/अधीक्षक अभियंता/कार्यकारी अभियंता/उपमंडल अधिकारी /ऑप्रेशन, उप-कार्यालय प्रभारी जे.ई.-।.

यादि क्रमांक-चेन-3/जी.एम./सी/आर-17/54/2014/एस/सी
दिनांक :-03/03/2014

विषय :- **नये कनैक्शन के लिए ऑनलाईन आवेदन भरना।**

कृपया सेल्ज परिपत्र संज़्या डी-05/2014 दिनांक 20/01/2014 का संदर्भ देंखे, जिसके तहत नए कनैक्शन के लिए ऑनलाईन आवेदन भरने हेतु दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं यानि।

अन्य श्रेणियों के उच्च मूल्य व औद्योगिक उपभोक्ताओं को समय पर शीघ्र कनैक्शन जारी करने के लिए समय-समय पर विभिन्न दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। पारदर्शी व साफ प्रक्रिया के तहत, दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम ने अपनी वैबसाईट पर एक नया वैब आधारति सॉज़्टवेयर एप्लीकेशन शुरू किया है जिसके लिए फील्ड में पहले ही प्रशिक्षण दिया जा चुका है। इस सज़्बन्ध में निज़्न दिशा-निर्देशों का अनुसरण किया जाना है :-

1. ऑनलाईन आवेदन सुविधा सभी औद्योगिक (एच.टी./एल.टी.) कनैक्शनों और अन्य श्रेणियां जहां आवेदन किया गया लोड 20 किलोवॉट से ज्यादा है के लिए उपलब्ध है। इन श्रेणियों में प्राप्त किए गए सभी आवेदन पर केवल नए सॉज़्टवेयर के माध्यम से प्रक्रिया होनी है।
2. 1 जनवरी, 2014 के बाद स्वयं प्राप्त किए गए सभी आवेदनों के लिए, इन्हें नए ऑनलाईन कनैक्शन प्रणाली में स्वयं प्रविष्टि की जानी चाहिए। यह एक निरंतर कार्य होना चाहिए। प्रविष्टि उसी दिन की जानी है।
3. जब भी उपभोक्ता ऑनलाईन आवेदन करता है तो, यह प्रणाली में स्वत: उपलब्ध होता है और जब ज़ी उपभोक्ता उपमंडल में स्व्यं आवेदन जमा करवाने के लिए आता है तो, उसी दिन सज़्बन्धित उपमंडल कर्मचारी द्वारा इसकी ऑनलाईन प्रविष्टि की जानी चाहिए।
4. उपमहाप्रबन्धक/आई.टी., दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम, हिसार के कार्यालय द्वारा सभी कार्यालयों को लॉगिन-आई.डी. व पासवर्ड भेज दिया जाएगा और यह अनुरोध किया जाता है कि पासवर्ड तुरंत बदल लिया जाए।
5. सज़्बन्धित कार्यकारी अभियंता/ऑप्रेशन सुनिश्चित करेगा कि सभी आवेदनों की ऑनलाईन प्रविष्टि होती है और सज़्बन्धित अधीक्षण अभियंता/ऑप्रेशन गैर-अनुपालना के लिए उत्तरदायी होगा।
6. कार्यान्वयन में किसी परेशानी के मामले में, तो इसे इस कार्यालय और उपमहाप्रबन्धक/आई.टी., दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम, हिसार को सूचित किया जाए और इस बिंदु पर कोई बहाना नहीं होना चाहिए।

अब, मामले पर दोबारा भी विचार-विमर्श किया गया है और उपरोक्त के अलावा निर्णय लिया गया है यानि।

7. सज़्बन्धित अधीक्षक अभियंता/कार्यकारी अभियंता/उपमंडल अधिकारी वैबसाईट सज़्बन्धी और ऑनलाईन आवेदन भरने के लिए प्रक्रिया को अपने कार्यालय के बाहर सूचना बोर्ड पर प्रकाशन करेंगे।
8. यह सुनिश्चित किया जाएगा कि ए. एण्ड ए. प्रपत्र के सभी मद ठीक से भरे हैं अन्यथा आवेदन संसाधित नहीं करेंगे।

सतर्कता और सावधानी पूर्वक अनुपालन के लिए उपरोक्त निर्देश सभी सज़्बन्धित के संज्ञान में लाए जाएं।

मुज़्य अभियंता /वाणिज्यिक,
द.ह.बि.वि.नि., हिसार।

नोट :- उपरोक्त विषय का हिन्दी अनुवाद मात्र बिजली कर्मियों को सरल भाषा में समझाने हेतु है। अन्य किसी भी उद्देश्य के लिए हिन्दी में अनुवादित संस्करण मान्य नहीं होगा और अंग्रेजी व हिन्दी संस्करण के बीच विरोधाभास में अंग्रेजी संस्करण ही अविभावी होगा।

दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम

सेल्ज निर्देश संज़्या 4/2014

प्रेषक,

मुज़्य अभियंता /वाणिज्यिक,
दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम,
हिसार।

सेवा में,

द.ह.बि.वि.नि. के सभी मुज़्य अभियंता/अधीक्षक अभियंता/कार्यकारी अभियंता/उपमंडल अधिकारी /ऑप्रेशन, उप-कार्यालय प्रभारी.

यादि क्रमांक-चेन-4/जी.एम./कमर्शियल/आर-17/357/05
दिनांक :- 13/03/2014

विषयः- **वर्ष 2013-2014 के लिए कर्मचारी प्रतिभूति, मीटर प्रतिभूति और खपत प्रतिभूति जमा पर ब्याज।**

सेल्ज निर्देश संज़्या 9/2012 दिनांक 5/11/2012 के संदर्भ में हरियाणा बिजली विनियामक आयोग के विनियम संज़्या 12/2005 के प्रावधान अनुसार वर्ष 2012-13 के लिए मीटर प्रतिभूति/कर्मचारी प्रतिभूति/खपत प्रतिभूति जमा पर 6 प्रतिशत दर पर ब्याज देने का निर्णय लिया गया था।

अब वर्ष 2013-14 के लिए उपभोक्ता द्वारा जमा की गई मीटर प्रतिभूति, खपत प्रतिभूति और कर्मचारी प्रतिभूति पर प्रतिवर्ष 8.5 प्रतिशत की दर पर ब्याज देने का निर्णय लिया है। यह ब्याज उपभोक्ताओं को अप्रैल /मई माह-2014 में विद्युत बिलों के माध्यम से देय है।

सतर्कता और सावधानी पूर्वक अनुपालन करने के लिए ये निर्देश सभी सज़्बन्धित के संज्ञान में लाए जाएं।

अधीक्षक अभियंता /वाणिज्यिक,
कृतेः मुज़्य अभियंता /वाणिज्यिक,
द.ह.बि.वि.नि., हिसार।

नोट :- उपरोक्त विषय का हिन्दी अनुवाद मात्र बिजली कर्मियों को सरल भाषा में समझाने हेतु है। अन्य किसी भी उद्देश्य के लिए हिन्दी में अनुवादित संस्करण मान्य नहीं होगा और अंग्रेजी व हिन्दी संस्करण के बीच विरोधाभास में अंग्रेजी संस्करण ही अविभावी होगा।

दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम

सेल्ज निर्देश संज़्या 5/2014

प्रेषक,

मुज़्य अभियंता /वाणिज्यिक,
दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम,
हिसार।

सेवा में,

द.ह.बि.वि.नि. के सभी मुज़्य अभियंता/अधीक्षक अभियंता/कार्यकारी अभियंता/उपमंडल अधिकारी /ऑप्रेशन, उप-कार्यालय प्रभारी.

यादि क्रमांक-चेन- 5/जी.एम./सी/आर-17/51/एस/सी
दिनांक :-4/04/2014

विषयः- **स्थाई सूचना के परिवर्तन और बोर्ड कर्मचारी रियायत कोड से सज़्बन्धित सलाह संज़्या 71 : तत्संबंधी संशोधन ।**

सेल्ज निर्देश संज़्या 20/2013 के संदर्भ में जिसमें 18 अंक का उपभोक्ता सूचकांक संज़्या (सी.आई.एन.) के लिए कॉलम सहित सलाह संज़्या 71 का नया प्रारूप फील्ड को जारी किया गया था।

प्रबन्धन के संज्ञान में यह आया है कि फील्ड कार्यालयों द्वारा सलाह संज़्या 71 पर उपभोक्ता सूचकांक संज़्या (सी.आई.एन.) बिलिंग एजेंसियों को नहीं भेंजे जा रहे हैं।

ऐसी चूक से बचने के लिए, यह निर्णय लिया गया है कि सलाह संज़्या 71 पर बिलिंग एजेंसियों को सी.आई.एन. भेजने के लिए सज़्बन्धित उपमंडल का वाणिज्यिक सहायक (कमर्शियल असिस्टैंट) उत्तरदायी होगा। आगे, जहां फील्ड कार्यालयों द्वारा सी.आई.एन. संज़्या उपलब्ध नहीं की गई है, वहां उन लेखा संज़्याओं/खाता नज़्बरों की अपवाद सूची बनाने और उपलब्ध कराने के लिए बिलिंग एजेंसियां उत्तरदायी होंगी। सज़्बन्धित कार्यकारी अभियंता/उपमंडल अधिकारी (ऑप्रेशन) इन अपवाद सूची पर शीघ्र कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे।

सतर्कता और सावधानी पूर्वक अनुपालन करने के लिए ये निर्देश सभी सज़्बन्धित के संज्ञान में लाए जाएं।

मुज़्य अभियंता /वाणिज्यिक,
द.ह.बि.वि.नि., हिसार।

नोट :- उपरोक्त विषय का हिन्दी अनुवाद मात्र बिजली कर्मियों को सरल भाषा में समझाने हेतु है। अन्य किसी भी उद्देश्य के लिए हिन्दी में अनुवादित संस्करण मान्य नहीं होगा और अंग्रेजी व हिन्दी संस्करण के बीच विरोधाभास में अंग्रेजी संस्करण ही अविभावी होगा।

दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम

सेल्ज निर्देश संज़्या 6/2014

प्रेषक,

मुज़्य अभियंता /वाणिज्यिक,
दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम,
हिसार।

सेवा में,

द.ह.बि.वि.नि. के सभी मुज़्य अभियंता/अधीक्षक अभियंता/कार्यकारी अभियंता/उपमंडल अधिकारी /ऑप्रेशन, उप-कार्यालय प्रभारी जे.ई.-।.

यादि क्रमांक-चेन- 6/जी.एम./सी/आर-17/51/2013/एस/सी
दिनांक :-7/04/2014

विषयः- स्थाई सूचना के परिवर्तन और बोर्ड कर्मचारी रियायत कोड से सज़्बन्धित सलाह संज़्या 71 : तत्संबंधी संशोधन ।

सेल्ज निर्देश संज़्या 20/2013 के संदर्भ में जिसमें 18 अंक का उपभोक्ता सूचकांक संज़्या (सी.आई.एन.) के लिए कॉलम सहित सलाह संज़्या 71 का नया प्रारूप फील्ड को जारी किया गया था।

प्रबन्धन के संज्ञान में आया है कि नये कनैक्शनों, ट्रांसफार्मर के उन्नयन, फीडरों के द्विज़ाजन, फीडर/सब-स्टेशन के परिवर्तन के लिए उपभोक्ता सूचकांक संज़्या (सी.आई.एन.) जिसके परिणामस्वरूप उपभोक्ता को 18 अंक कोड दिया गया था, फील्ड कार्यालयों द्वारा सलाह संज़्या 71 पर बिलिंग एजेंसियों को ठीक प्रकार से नहीं भेजा जा रहा है।

ऐसी चूक से बचने के लिए यह निर्णय लिया गया है कि :

क) प्रत्येक उपभोक्ता को दिए गए 18 अंक कोड को एस.डी.ओ. द्वारा उसके व्यक्तिगत हस्ताक्षर के तहत सत्यापित किया जाना चाहिए। प्रत्येक फीडर के लिए फीडर आधारित उपभोक्ता सूचकांकन की पुष्टि करते समय डेल्टा परिवर्तन जैसे किसी भी परिवर्तन का भी नवीनीकरण किया जाना चाहिए।

ख) नया कनैक्शन जारी करने/डी.टी. का संवर्धन/कोई अन्य प्रणाली सुधार कार्य के मामले में, संबधित जे.ई. एस.जी.ओ./एस.सी.ओ. पर नए सी.आई.एन. के साथ-साथ पुराना सी.आई.एन. प्रस्तुत करेगा और संबधित एस.डी.ओ./ऑप्रेशन के माध्यम से सी.ए. (कमर्शियल असिस्टैंट) को यह एस.जी.ओ./एस.सी.ओ. समय पर देने के लिए उत्तरदायी होगा और उपमंडल का सी.ए. (कमर्शियल असिस्टैंट) सलाह संज़्या 71 पर बिलिंग एजेंसी को नया सी.आई.एन. भेजने के लिए उत्तरदायी होगा।

ग) आगे, जहां फील्ड कार्यालयों द्वारा सी.आई.एन. संज़्या उपलब्ध नहीं की गई है, वहां उन लेखा संज़्याओं/खाता नज़्बरों की अपवाद सूची बनाने और उपलब्ध कराने के लिए बिलिंग एजेंसियां उत्तरदायी होंगी।

घ) सज़्बन्धित कार्यकारी अभियंता/उपमंडल अधिकारी (ऑप्रेशन) इन अपवाद सूची पर शीघ्र कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे।

क्रमांक संज़्या 20/2013 और क्रमांक संज़्या 5/2014 केवल इस सीमा तक संशोधित है।

सतर्कता और सावधानी पूर्वक अनुपालन करने के लिए ये निर्देश सभी सज़्बन्धित के संज्ञान में लाए जाएं।

मुज़्य अभियंता /वाणिज्यिक,
द.ह.बि.वि.नि., हिसार।

नोट :- उपरोक्त विषय का हिन्दी अनुवाद मात्र बिजली कर्मियों को सरल भाषा में समझाने हेतु है। अन्य किसी भी उद्देश्य के लिए हिन्दी में अनुवादित संस्करण मान्य नहीं होगा और अंग्रेजी व हिन्दी संस्करण के बीच विरोधाभास में अंग्रेजी संस्करण ही अविभावी होगा।

दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम

सेल्ज निर्देश संज़्या 7/2014

प्रेषक,

मुज़्य अभियंता /वाणिज्यिक,
दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम,
हिसार।

सेवा में,

द.ह.बि.वि.नि. के सभी मुज़्य अभियंता/अधीक्षक अभियंता/कार्यकारी अभियंता/उपमंडल अधिकारी /ऑप्रेशन, उप-कार्यालय प्रभारी, जे.ई.-।.

यादि क्रमांक-चेन- 7/जी.एम./सी/आर-17/9/2007/एफ -26
दिनांक :-07/04/2014

विषयः- अधिकतम मांग के समय के दौरान अधिकतम मांग छूट शुल्क लगाना।

कृपया इस संदर्भ में कार्यालय पत्र क्रमांक संज़्या 123/जी.एम./सी.-9/2007 दिनांक 9/08/2012 देखें, जिसके तहत यह निर्णय लिया गया था कि संस्वीकृत सी.डी. (अनुबंधित मांग) का 20 प्रतिशत से ऊपर और 50 प्रतिशत तक के उपयोग की विशेष छूट की उपभोक्ता की मांग पर सज़्बन्धित एस.डी.ओ./ऑप्रेशन द्वारा अनुमति दी जाएगी। 50 प्रतिशत से अधिक के उपयोग की विशेष छूट के मामले मुज़्य अभियंता/वाणिज्यिक, द.ह.बि.वि.नि., हिसार के कार्यालय में अनुमोदन हेतु भेंजे जाएंगे और तत्पश्चात पत्र संज़्या चेन-133/जी.ए./सी.-9/2007/एस./सी. दिनांक 14/10/2013 के तहत प्रबन्धन ने निर्देश जारी किए हैं कि जिन उपभोक्ताओ को अधिकतम मांग के समय के दौरान उनके अनुबंधित मांग के 50 प्रतिशत के उपयोग की विशेष छूट के तौर पर पहले ही अनुमति दी जा चुकी है, वे उस समय बिजली उपलब्ध होने पर अनुबंधित मांग के 50 प्रतिशत उपयोग करने की विशेष छूट की अनुमति देते समय पहले से लगी शर्तो के तहत अधिकतम मांग के समय के दौरान अनुबंधित मांग के 100 प्रतिशत तक उपयोग की विशेष छूट प्राप्त कर सकते हैं।

अब प्रबन्धन ने निर्णय लिया है कि 20 प्रतिशत से अधिक और 100 प्रतिशत तक के उपयोग की विशेष छूट की अनुमति एस.सी. संज़्या डी-30/2013 में दी गई निबंधन और शर्तों के तहत ई-मेल के माध्यम से उपभोक्ताओं की मांग पर मुज़्य अभियंता/वाणिज्यिक द्वारा दी जाएगी।

मुज़्य अभियंता/वाणिज्यिक उपभोक्ता की प्रार्थना पर विचार करेगा और उपभोक्ता द्वारा मांग की गई सीमा तक उसको उपयोग की विशेष छूट की अनुमति देगा और 24 घंटे के भीतर प्रत्यूतरी ई-मेल वापिसी के माध्यम से उसकी पुष्टि करेगा, अन्यथा उपभोक्ता द्वारा मान लिया जाएगा कि उसकी प्रार्थना स्वीकार हो चुकी है।

उपरोक्त निर्देशों की सतर्कता और सावधानी पूर्वक अनुपालन के लिए सभी सज़्बन्धित के संज्ञान में लाए जाएं।

मुज़्य अभियंता /वाणिज्यिक,
द.ह.बि.वि.नि., हिसार।

नोट :- उपरोक्त विषय का हिन्दी अनुवाद मात्र बिजली कर्मियों को सरल भाषा में समझाने हेतु है। अन्य किसी भी उद्देश्य के लिए हिन्दी में अनुवादित संस्करण मान्य नहीं होगा और अंग्रेजी व हिन्दी संस्करण के बीच विरोधाभास में अंग्रेजी संस्करण ही अविभावी होगा।

दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम

सेल्ज निर्देश संज़्या 8/2014

प्रेषक,

मुज़्य अभियंता /वाणिज्यिक,
दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम,
हिसार।

सेवा में,

द.ह.बि.वि.नि. के सभी मुज़्य अभियंता/अधीक्षक अभियंता/कार्यकारी अभियंता/उपमंडल अधिकारी /ऑप्रेशन, उप-कार्यालय प्रभारी जे.ई.-I.

यादि क्रमांक-चेन- 8/जी.एम./सी/आर-17/376/2005
दिनांक :-18/04/2014

विषय :- मोबाईल टावरों के बिजली मीटर की सीलिंग से सज़्बन्धित निर्देश।

यह देखा गया है कि मोबाईल टावर कनैक्शनों पर लगाए गए मीटर ठीक प्रकार से कार्य नहीं कर रहे हैं और ऐसे खराब मीटरों के लिए औसत बिल लिया जा रहा है तथा इन में से कुछ मीटरों पर दर्ज की गई खपत उनके स्वीकृत लोड की तुलना में कम है।

अब यह निर्णय लिया गया है कि 30 अप्रैल, 2014 तक सभी मोबाईल टावर कनैक्शनों पर चल रहे मीटरों की सज़्बन्धित उपमंडल अधिकारी (ऑप्रेशन) द्वारा अपने क्षेत्र में जांच की जाएगी और सील करना होगा। खराब मीटरों को 30/04/2014 से पहले बदलकर सही मीटर लगाए जाएंगे और सील करने होंगे। इस सज़्बन्ध में उपमंडल अधिकारी (ऑप्रेशन) को अपने कार्यकारी अभियंता (ऑप्रेशन) को एक प्रमाण-पत्र देना होगा। प्रमाण-पत्र की पावती के बाद कार्यकारी अभियंता (ऑप्रेशन) इनमें से 10 प्रतिशत मीटरों की यादृच्छिक जांच करेंगे और कनैक्शन वार जांच का विवरण सज़्बन्धित अधीक्षण अभियंता (ऑप्रेशन) के माध्यम से मुज़्य अभियंता (कमर्शियल) को देंगे। इसी प्रकार सज़्बन्धित अधीक्षण अभियंता (ऑप्रेशन) इन मीटरों में से दो प्रतिशत मीटरों की जांच करेंगे और सज़्बन्धित मुज़्य अभियंता (ऑप्रेशन) के माध्यम से मुज़्य अभियंता (कमर्शियल) को इसकी विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे।

उपरोक्त निर्देशों की सतर्कता और सावधानी पूर्वक अनुपालन के लिए सभी सज़्बन्धित के संज्ञान में लाए जाएं।

मुज़्य अभियंता /वाणिज्यिक,
द.ह.बि.वि.नि., हिसार।

नोट :- उपरोक्त विषय का हिन्दी अनुवाद मात्र बिजली कर्मियों को सरल भाषा में समझाने हेतु है। अन्य किसी भी उद्देश्य के लिए हिन्दी में अनुवादित संस्करण मान्य नहीं होगा और अंग्रेजी व हिन्दी संस्करण के बीच विरोधाभास में अंग्रेजी संस्करण ही अविभावी होगा।

दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम

सेल्ज निर्देश संज़्या 9/2014

प्रेषक,

मुज़्य अभियंता /वाणिज्यिक,
दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम,
हिसार।

सेवा में,

द.ह.बि.वि.नि. के सभी मुज़्य अभियंता/अधीक्षक अभियंता/कार्यकारी अभियंता/उपमंडल अधिकारी /ऑप्रेशन, उप-कार्यालय प्रभारी जे.ई.-I.

यादि क्रमांक-चेन- 9/जी.एम./सी/आर-17/37/2007
दिनांक :-18/04/2014

विषय :- एम.सी.बी. की सीलिंग से सज़्बन्धित निर्देश।

यह देखा गया है कि फील्ड कर्मचारियों द्वारा एम.सी.बी./मीटर टर्मिनल कवर को सील करने से सज़्बन्धित निर्देशों का पालन उचित प्रकार से नहीं किया जाता है, जिससे मीटर/टर्मिनल तक पहुंच सुलभ होती है, इस लिए यह निर्णय लिया गया है कि :-

एम.सी.बी. पर लगाई गई सीलों की स्थिति मीटर रीडिंग एजेंसी जैसे एच.ई.एस.एल. द्वारा मीटर रीडिंग लेते समय निरपवाद रूप से उल्लेख करना होगा। किसी मामले में एम.सी.बी. बिना सील के पाई जाती है तो, उन्हें मीटर टर्मिनल कवर को सीलों के साथ-साथ मीटर की स्थिति भी नोट करनी होगीं। कोई भी अनियमितता पाई जाने के मामले में, इसे तुरंत सज़्बन्धित उपमंडल अधिकारी (ऑप्रेशन) को रिपोर्ट किया जाएगा, जो निगम के निर्देशानुसार आगामी कार्रवाई करेगा। एच.ई.एस.एल. ऐसे कनैक्शनों की सूची भी उपमंडल अधिकारी (ऑप्रेशन) को देगा, जहां एम.सी.बी./एम.टी.सी. पर कोई सील नहीं है। सज़्बन्धित उपमंडल अधिकारी (ऑप्रेशन) को ऐसी एम.सी.बी./एम.टी.सी. निश्चित रूप से दो दिन के भीतर सीलड करना होगा।

उपरोक्त निर्देशों की सतर्कता और सावधानी पूर्वक अनुपालन के लिए सभी सज़्बन्धित के संज्ञान में लाए जाएं।

मुज़्य अभियंता /वाणिज्यिक,
द.ह.बि.वि.नि., हिसार।

नोट :- उपरोक्त विषय का हिन्दी अनुवाद मात्र बिजली कर्मियों को सरल भाषा में समझाने हेतु है। अन्य किसी भी उद्देश्य के लिए हिन्दी में अनुवादित संस्करण मान्य नहीं होगा और अंग्रेजी व हिन्दी संस्करण के बीच विरोधाभास में अंग्रेजी संस्करण ही अविभावी होगा।

दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम

सेल्ज निर्देश संज़्या 10/2014

प्रेषक,

मुज़्य अभियंता /वाणिज्यिक,
दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम,
हिसार।

सेवा में,

द.ह.बि.वि.नि. के सभी मुज़्य अभियंता/अधीक्षक अभियंता/कार्यकारी अभियंता/उपमंडल अधिकारी /ऑप्रेशन, उप-कार्यालय प्रभारी, जे.ई.-।.

यादि क्रमांक-चेन- 10/जी.एम./सी/आर-17/9/2007/एफ -26
दिनांक :-18/04/2014

विषयः- अधिकतम मांग के समय के दौरान अधिकतम मांग छूट शुल्क लगाना।

कृपया इस संदर्भ में कार्यालय पत्र क्रमांक संज़्या 123/जी.एम./सी.-9/2007 दिनांक 9/08/2012 देखें, जिसके तहत यह निर्णय लिया गया था कि संस्वीकृत सी.डी. (अनुबंधित मांग) का 20 प्रतिशत से ऊपर और 50 प्रतिशत तक के उपयोग की विशेष छूट की उपभोक्ता की मांग पर सज़्बन्धित एस.डी.ओ./ऑप्रेशन द्वारा अनुमति दी जाएगी। 50 प्रतिशत से अधिक के उपयोग की विशेष छूट के मामले मुज़्य अभियंता/वाणिज्यिक, द.ह.बि.वि.नि., हिसार के कार्यालय में अनुमोदन हेतु भेंजे जाएंगे और तत्पश्चात पत्र संज़्या चेन-133/जी.ए./सी.-9/2007/एस./सी. दिनांक 14/10/2013 के तहत प्रबन्धन ने निर्देश जारी किए हैं कि जिन उपभोक्ताओ को अधिकतम मांग के समय के दौरान उनके अनुबंधित मांग के 50 प्रतिशत के उपयोग की विशेष छूट के तौर पर पहले ही अनुमति दी जा चुकी है, वे उस समय बिजली उपलब्ध होने पर अनुबंधित मांग के 50 प्रतिशत उपयोग करने की विशेष छूट की अनुमति देते समय पहले से लगी शर्तो के तहत अधिकतम मांग के समय के दौरान अनुबंधित मांग के 100 प्रतिशत तक उपयोग की विशेष छूट प्राप्त कर सकते हैं।

अब यह निर्णय लिया गया है कि अब से 20 प्रतिशत से अधिक और 100 प्रतिशत तक के उपयोग की विशेष छूट की अनुमति एस.सी. संज़्या डी-30/2013 में दी गई निबंधन और शर्तों के तहत ई-मेल के माध्यम से उपभोक्ताओं की मांग पर मुज़्य अभियंता/वाणिज्यिक द्वारा दी जाएगी।

मुज़्य अभियंता/वाणिज्यिक उपभोक्ता की प्रार्थना पर विचार करेगा और उपभोक्ता द्वारा मांग की गई सीमा तक उसको उपयोग की विशेष छूट की अनुमति देगा और 24 घंटे के भीतर प्रत्यूतरी ई-मेल वापिसी के माध्यम से उसकी पुष्टि करेगा। एक बार दी गई उपयोग की विशेष छूट तब तक जारी रहेगी जब तक कि उपभोक्ता या निगम द्वारा वापिस न ले ली जाए/संशोधित न कर दी जाए।

यह सेल्ज निर्देश संज़्या 7/2014 को प्रतिस्थापित करता है।

उपरोक्त निर्देशों की सतर्कता और सावधानी पूर्वक अनुपालन के लिए सभी सज़्बन्धित के संज्ञान में लाए जाएं।

मुज़्य अभियंता /वाणिज्यिक,
द.ह.बि.वि.नि., हिसार।

नोट :- उपरोक्त विषय का हिन्दी अनुवाद मात्र बिजली कर्मियों को सरल भाषा में समझाने हेतु है। अन्य किसी भी उद्देश्य के लिए हिन्दी में अनुवादित संस्करण मान्य नहीं होगा और अंग्रेजी व हिन्दी संस्करण के बीच विरोधाभास में अंग्रेजी संस्करण ही अविभावी होगा।

दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम

सेल्ज निर्देश संज़्या 11/2014

प्रेषक,

मुज़्य अभियंता /वाणिज्यिक,
दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम,
हिसार।

सेवा में,

द.ह.बि.वि.नि. के सभी मुज़्य अभियंता/अधीक्षक अभियंता/कार्यकारी अभियंता/उपमंडल अधिकारी /ऑप्रेशन, उप-कार्यालय प्रभारी जे.ई.-I.

पत्र क्रमांक-चेन-11/जी.एम./सी/आर-17/356/05/एफ-18
दिनांक :-21/04/2014

विषय :- लंबित औद्योगिक कनैक्शन जारी करना।

सेल्ज निर्देश संज़्या 21/2013 दिनांक 17/12/2013 जिसके द्वारा, सभी श्रेणियों के लंबित उच्च दबाव (एच.टी.) कनैक्शन जारी करने के लिए कम मांग समय 31/03/2014 तक बढ़ाई गई थी के संदर्भ में।

अब, मामले की समीक्षा की गई है और कम मांग समयावधि को 30/04/2014 तक बढ़ाने का निर्णय लिया गया है।

निर्देश संज़्या 21/2013 केवल इस सीमा तक संशोधित है।

'यह सेल्ज परिपत्र आयोग द्वारा जारी किए गए टैरिफ आदेश के किसी भाग का उल्लघंन (प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से) नहीं करता है।'

उपरोक्त निर्देशों की सतर्कता और सावधानी पूर्वक अनुपालन के लिए सभी सज़्बन्धित के संज्ञान में लाए जाएं।

मुज़्य अभियंता /वाणिज्यिक,
द.ह.बि.वि.नि., हिसार।

नोट :- उपरोक्त विषय का हिन्दी अनुवाद मात्र बिजली कर्मियों को सरल भाषा में समझाने हेतु है। अन्य किसी भी उद्देश्य के लिए हिन्दी में अनुवादित संस्करण मान्य नहीं होगा और अंग्रेजी व हिन्दी संस्करण के बीच विरोधाभास में अंग्रेजी संस्करण ही अविभावी होगा।

दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम

सेल्ज निर्देश संज़्या 12/2014

प्रेषक,

मुज़्य अभियंता /वाणिज्यिक,
दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम,
हिसार।

सेवा में,

द.ह.बि.वि.नि. के सभी मुज़्य अभियंता/अधीक्षक अभियंता/कार्यकारी अभियंता/उपमंडल अधिकारी /ऑप्रेशन, उप-कार्यालय प्रभारी जे.ई.-I.

पत्र क्रमांक-चेन-12/जी.एम./सी/आर-17/9/2007/एफ-26
दिनांक :-22/05/2014

विषय :- पीक लोड छूट शुल्क।

कृपया वित्तीय वर्ष 2013-14 के लिए टैरिफ पर हरियाणा बिजली विनियामक आयोग के आदेश दिनांकित 20/06/2013 की अनुपालना में जारी सेल्ज परिपत्र संज़्या डी-30/2013 दिनांकित 20/06/2013 देखें। अनुबंध-3 निज़्न प्रकार से है :-

''वे योग्य एच.टी. उपभोक्ता, जो पीक लोड घंटों के दौरान अनुबंध मांग का 20 प्रतिशत से ज्यादा बिजली प्राप्त करने की इच्छा रखते हैं, को विशेष अनुमति प्राप्त करने के लिए अपने इच्छा व्यक्त करने की आवश्यकता होगी। वे उपभोक्ता ,जो अनुबंध मांग के 20 प्रतिशत से अधिक बिजली प्राप्त करने के लिए लाईसैंसी को अपनी इच्छा व्यक्त कर चुके हैं, उन्हें तकनीकी संभाव्यता पर पहले आओ, पहले पाओ के आधार पर प्रबंधन द्वारा अनुमति/विशेषानुमति दी जाएगी''।

प्रबंधन द्वारा बिजली की बेहतर उपलब्धता के कारण उपरोक्त पर विचार किया गया है और यह निर्णय लिया गया है कि टी.ओ.डी. मीटरों वाले सज़ी एच.टी. औद्योगिक उपभोक्ताओं को उपरोक्त सामान्य दर के अलावा 1.90 रूपए प्रति के.वी.ए.एच. के एक अतिरिक्त शुल्क पर पीक लोड घंटों के दौरान उसकी (अनुबंध मांग) सी.डी. के सौ प्रतिशत खपत की अनुमति होगी।

उपरोक्त निर्देशों की सतर्कता और सावधानी पूर्वक अनुपालन के लिए सभी सज़्बन्धित के संज्ञान में लाए जाएं।

मुज़्य अभियंता /वाणिज्यिक,
द.ह.बि.वि.नि., हिसार।

नोट :- उपरोक्त विषय का हिन्दी अनुवाद मात्र बिजली कर्मियों को सरल भाषा में समझाने हेतु है। अन्य किसी भी उद्देश्य के लिए हिन्दी में अनुवादित संस्करण मान्य नहीं होगा और अंग्रेजी व हिन्दी संस्करण के बीच विरोधाभास में अंग्रेजी संस्करण ही अविभावी होगा।

दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम

सेल्ज निर्देश संज़्या 13/2014

प्रेषक,

मुज़्य अभियंता /वाणिज्यिक,
दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम,
हिसार।

सेवा में,

द.ह.बि.वि.नि. के सभी मुज़्य अभियंता/अधीक्षक अभियंता/कार्यकारी अभियंता/उपमंडल अधिकारी /ऑप्रेशन, उप-कार्यालय प्रभारी जे.ई.-।.

पत्र क्रमांक-चेन-13/जी.एम./सी/आर-17/332/2014
दिनांक :-23/05/2014

विषय :- **नये कनैक्शन, पुनः कनैक्शन, लोड को बढ़ाना/घटाना और नाम परिवर्तन के लिए आवेदन और अनुबंध प्रपत्र।**

नये कनैक्शन, पुनः कनैक्शन, लोड को बढ़ाना/घटाना और नाम परिवर्तन के लिए पुनः डिजाईन किए गए आवेदन और अनुबंध प्रपत्र (चार पृष्ठों) की अनुपालना के लिए प्रति संलग्न है।

यह पहले जारी किए गए ए.एण्ड ए. प्रपत्रों का स्थान लेता है

उपरोक्त निर्देशों की सतर्कता और सावधानी पूर्वक अनुपालन के लिए सभी सज़्बन्धित के संज्ञान में लाए जाएं।

मुज़्य अभियंता /वाणिज्यिक,
द.ह.बि.वि.नि., हिसार।

नोट :- उपरोक्त विषय का हिन्दी अनुवाद मात्र बिजली कर्मियों को सरल भाषा में समझाने हेतु है। अन्य किसी भी उद्देश्य के लिए हिन्दी में अनुवादित संस्करण मान्य नहीं होगा और अंग्रेजी व हिन्दी संस्करण के बीच विरोधाभास में अंग्रेजी संस्करण ही अविभावी होगा।

दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम

सेल्ज निर्देश संज़्या 14/2014

प्रेषक,

मुज़्य अभियंता /वाणिज्यिक,
दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम,
हिसार।

सेवा में,

द.ह.बि.वि.नि. के सभी मुज़्य अभियंता/अधीक्षक अभियंता/कार्यकारी अभियंता/उपमंडल अधिकारी /ऑप्रेशन, उप-कार्यालय प्रभारी जे.ई.-I.

पत्र क्रमांक-चेन-14/जी.एम./सी/आर-17/332/2014
दिनांक :-23/05/2014

विषय :- **मास्टर फाईल प्रपत्र, टैरिफ कोड, बिल स्थिति कोड और मीटर स्थिति कोड।**

मास्टर फाईल प्रपत्र, टैरिफ कोड, बिल स्थिति कोड और मीटर स्थिति कोड की अनुपालना के लिए प्रति संलग्न है।

उपरोक्त निर्देशों की सतर्कता और सावधानी पूर्वक अनुपालन के लिए सभी सज़्बन्धित के संज्ञान में लाए जाएं।

मुज़्य अभियंता /वाणिज्यिक,
द.ह.बि.वि.नि., हिसार।

नोट :- उपरोक्त विषय का हिन्दी अनुवाद मात्र बिजली कर्मियों को सरल भाषा में समझाने हेतु है। अन्य किसी भी उद्देश्य के लिए हिन्दी में अनुवादित संस्करण मान्य नहीं होगा और अंग्रेजी व हिन्दी संस्करण के बीच विरोधाभास में अंग्रेजी संस्करण ही अविभावी होगा।

दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम

सेल्ज निर्देश संज़्या 15/2014

प्रेषक,

मुज़्य अभियंता /वाणिज्यिक,
दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम,
हिसार।

सेवा में,

द.ह.बि.वि.नि. के सभी मुज़्य अभियंता/अधीक्षक अभियंता/कार्यकारी अभियंता/उपमंडल अधिकारी /ऑप्रेशन, उप-कार्यालय प्रभारी जे.ई.-।.

यादि क्रमांक-चेन-15/जी.एम./सी/आर-17/321/2005/एफ-15 दिनांक :-21/08/2014

विषय :- नलकूप कनैक्शनों के निरस्त आवेदनों का पुनः प्रवर्तन।

कृपया सेल्ज निर्देश संज़्या 14/2011 दिनांक 21/06/2011 देखें, जिसके तहत दिशा-निर्देश जारी किए गए थे कि विकल्प/सहमति प्रस्तुत न करने और कृषि श्रेणी आवेदक द्वारा डिमांड नोटिस की तीन महीने के भीतर अनुपालना (यदि कोई है) न करने के कारण आवेदन निरस्तीकरण के मामले में, 12 मास के भीतर अधीक्षक अभियंता/परिचालन द्वारा आवेदन पर पुर्नविचार और पुन: प्रवर्तन किया जाएगा।

जहां 12 महीनों से ज्यादा मांग नोटिस संकलित नहीं किए गए हैं और आवेदक द्वारा अपेक्षित देय राशि जमा नहीं करवाई गई है, के लिए निरस्त आवेदनों के पुन: प्रवर्तन के लिए भावी उपभोक्ताओं से अभी भी प्राप्त हो रही प्रार्थनाओं की संज़्या के दृष्टिगत, सज़्बन्धित मुज़्य अभियंता को निरस्तीकरण के तीन वर्ष के भीतर ऐसे मामलों के पुन: प्रवर्तन की अनुमति देने के लिए अधिकृत करने का निर्णय लिया गया है। तत्पश्चात किसी पुन: प्रवर्तन की अनुमति नहीं होगी।

सेल्ज परिपत्र संज़्या डी. 60/2013 उपरोक्त सीमा तक संशोधित है।

उपरोक्त निर्णय/निर्देश की सतर्कता और सावधानी पूर्वक अनुपालन के लिए सभी सज़्बन्धित के संज्ञान में लाए जाएं।

मुज़्य अभियंता /वाणिज्यिक,
द.ह.बि.वि.नि., हिसार।

नोट :- उपरोक्त विषय का हिन्दी अनुवाद मात्र बिजली कर्मियों को सरल भाषा में समझाने हेतु है। अन्य किसी भी उद्देश्य के लिए हिन्दी में अनुवादित संस्करण मान्य नहीं होगा और अंग्रेजी व हिन्दी संस्करण के बीच विरोधाभास में अंग्रेजी संस्करण ही अविभावी होगा।

दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम

सेल्ज निर्देश संज़्या 16/2014

प्रेषक,

मुज़्य अभियंता /वाणिज्यिक,
दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम,
हिसार।

सेवा में,

द.ह.बि.वि.नि. के सभी मुज़्य अभियंता/अधीक्षक अभियंता/कार्यकारी अभियंता/उपमंडल अधिकारी /ऑप्रेशन, उप-कार्यालय प्रभारी जे.ई.-।.

यादि क्रमांक-चेन-16/एस.ई./कमर्शियल/आर-17/डी-87/2001
दिनांक :-29/08/2014

विषय :- एच.टी./एल.टी. लाईनों का स्थानांतरण।

कृपया सेल्ज निर्देश संज़्या डी-87/2001 दिनांक 25/10/2001 देखें, जिसके तहत आवासीय इमारतों, स्कूलों इत्यादि के ऊपर से गुजरने वाली एच.टी./एल.टी. लाईनों का स्थानांतरण यदि वे लाल डोरा में पड़ती हैं तो निगम के खर्च पर किया जाना है और यदि लाल डोरा से बाहर है तो लाज़ार्थियों से लागत जमा करवाने के बाद स्थानांतरित किया जाएगा। आगे, लाल डोरा से बाहर भी तालाबों के ऊपर से गुजरने वाली एच.टी./एल.टी. लाईनों को राजस्व प्राधिकरणों से प्रमाण-पत्र लेने के बाद निगम की लागत पर स्थानांतरित करने का निर्णय लिया था।

अब हरियाणा सरकार के निर्णय दिनांक 30/06/2014 की अनुपालना में, मामले की पुन: समीक्षा की गई और निज़लिखित निर्णय लिए गए :-

1 क) आवासीय इमारतों, प्लाटो, तालाबों, स्कूलों इत्यादि, यदि वे **लाल डोरा और फिरनियों** के भीतर पड़ते हैं, के ऊपर से गुजरने वाली एच.टी./एल.टी. लाईनों को निगम के खर्च पर स्थानांतरित किया जाएगा।

ख) लाल डोरा और फिरनियों से बाहर पड़ने वाली एच.टी./एल.टी. लाईनों का स्थानांतरण लाभार्थियों की लागत पर किया जाएगा किन्तु सरकारी स्कूलों, पार्कों, जिनका रख-रखाव किसी पब्लिक/सरकारी विभागों/ग्राम पंचायतों द्वारा किया जाता है और तालाबों (राजस्व प्राधिकरणों द्वारा विधिवत प्रमाणित) के ऊपर से गुजरने वाली एच.टी./एल.टी. लाईनों का स्थानांतरण विशेष प्राक्कलन तैयार कर निगम द्वारा किया जाएगा।

2 केवल वे लोहे के खज़्भें जो खतरा बने हुए हैं या मनुष्य और पशुओं के लिए दुर्घटना का कारण हो सकते हैं, निगम के खर्च पर बदले जाने चाहिए।

सेल्ज परिपत्र संज़्या डी.-87/2001 दिनांक 25/10/2001 का स्थान लेता है।

उपरोक्त निर्णय/निर्देशों की सतर्कता और सावधानी पूर्वक अनुपालन के लिए सभी सज़्बन्धित के संज्ञान में लाए जाएं।

मुज़्य अभियंता /वाणिज्यिक,
द.ह.बि.वि.नि., हिसार।

नोट :- उपरोक्त विषय का हिन्दी अनुवाद मात्र बिजली कर्मियों को सरल भाषा में समझाने हेतु है। अन्य किसी भी उद्देश्य के लिए हिन्दी में अनुवादित संस्करण मान्य नहीं होगा और अंग्रेजी व हिन्दी संस्करण के बीच विरोधाभास में अंग्रेजी संस्करण ही अविभावी होगा।

दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम

सेल्ज निर्देश संज़्या 17/2014

प्रेषक,

मुज़्य अभियंता /वाणिज़्यिक,
दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम,
हिसार।

सेवा में,

द.ह.बि.वि.नि. के सभी मुज़्य अभियंता/अधीक्षक अभियंता/कार्यकारी अभियंता/उपमंडल अधिकारी /ऑप्रेशन, उप-कार्यालय प्रभारी जे.ई.-।.

यादि क्रमांक-चेन-17/एस.ई./कमर्शियल/334/2014
दिनांक :-03/09/2014

विषय :- पी.डी.सी.ओ. उपभोक्ताओं के बिलों नियमित रूप से बनाने से सज़्बन्धित।

निगम के मौजूदा निर्देशों के अनुसार, स्थाई रूप से कनैक्शन कट चुके (पी.डी.सी.ओ.) उपभोक्ता को छह महीने/तीन बिलिंग चक्र के बाद बिलिंग एजेंसी के उपभोक्ता डाटाबेस से हटा दिया जाता है और बकाया राशि के साथ पी.डी.सी.ओ. लेजर में स्थानांतरित किया जाता है और इन उपभोक्ताओं के आगामी बिल नहीं बनाए जाते हैं।

निदेशक मंडल द्वारा मामले की समीक्षा की गई और निर्णय लिया कि बकाया राशि वाले स्थाई रूप से कनैक्शन कट चुके (पी.डी.सी.ओ.) उपभोक्ता को बिलिंग एजेंसी के उपभोक्ता डाटाबेस से नहीं हटाया जाए और उनके बिल लाल रंग में बनाना और भेजना बकाया राशि के भुगतान तक निरन्तर जारी रहेगा। यद्यपि, मौजूदा प्रचलन अनुसार बकायादार को पी.डी.सी.ओ. लेजर में भी प्रविष्टित किया जाता रहेगा।

इस विषय पर पूर्वोक्त निर्देश इस सीमा तक संशोधित है।

उपरोक्त निर्णय/निर्देशों की सतर्कता और सावधानी पूर्वक अनुपालन के लिए सभी सज़्बन्धित के संज्ञान में लाए जाएं।

मुज़्य अभियंता /वाणिज़्यिक,
द.ह.बि.वि.नि., हिसार।

नोट :- उपरोक्त विषय का हिन्दी अनुवाद मात्र बिजली कर्मियों को सरल भाषा में समझाने हेतु है। अन्य किसी भी उद्देश्य के लिए हिन्दी में अनुवादित संस्करण मान्य नहीं होगा और अंग्रेजी व हिन्दी संस्करण के बीच विरोधाभास में अंग्रेजी संस्करण ही अविभावी होगा।

दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम

सेल्ज निर्देश संज़्या 18/2014

प्रेषक,

मुज़्य अभियंता /वाणिज्यिक,
दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम,
हिसार।

सेवा में,

द.ह.बि.वि.नि. के सभी मुज़्य अभियंता/अधीक्षक अभियंता/कार्यकारी अभियंता/उपमंडल अधिकारी /ऑप्रेशन, उप-कार्यालय प्रभारी जे.ई.-।.

यादि क्रमांक-चेन-18/एस.ई./कमर्शियल/आर-16/342/2014
दिनांक :-03/11/2014

विषय :- **दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम द्वारा शुरू की गई योजनाओं/सूत्रपात को कार्यान्वित करना।**

उपभोक्ता सेवा में सुधार, राजस्व सुरक्षा और उत्पादन बढ़ाने के लिए किए गए विभिन्न उपायों का कठोरता से अनुसरण किया जाए, जो निज़ानुसार हैं :-

1. हर हाल में सभी कनैक्टिड शहरी बकायादारों से बकाया राशि वसूली जाए या स्थायी रूप से कनैक्शन काटे जाने के आदेशों का निष्पादन किया जाए। अधीक्षक अभियंता/कार्यकारी अभिंयता (परिचालन) मासिक प्रगति की समीक्षा करेंगे और माह के दौरान प्रगति कनैक्टिड उपभोक्ताओं की ओर कुल बकाया राशि की 25 प्रतिशत से कम नहीं होनी चाहिए, अन्यथा सज़्बन्धित अधिकारी स्वयं उत्तरदायी होगा।

2. यह निर्णय लिया गया है कि नये उपभोक्ता को कनैक्शन जारी करने की फाईल तैयार करने वाले ''दस्तावेज लेखकों'' को उपमंडल के सामने से स्थानांतरित किया जाए। ए.एण्ड ए. परिपत्र जारी करने और प्रतिभूति की पावती इत्यादि के लिए दो कर्मचारियों की प्रतिनयुक्ति करके स्वयं उपमंडल अधिकारी द्वारा एक फ्रंट डेस्क या सहायता डेस्क बनाया जाए। सभी ए.एण्ड ए. परिपत्र क्रम संज़्याकिंत में सज़्बन्धित उपमंडल अधिकारी द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित होंगे। किसी अनियमतता/गैर-कानूनी गतिविधि से बचने के लिए सज़्बन्धित उपमंडल अधिकारी (परिचालन) द्वारा इस फ्रंट डेस्क के दिन प्रतिदिन के कार्य की व्यक्तिगत स्तर पर निगरानी की जाएगी।

3. ऑनलाईन या एस.एम.एस. के माध्यम से 20 किलोवाट से ऊपर के नये कनैक्शन के सज़्बन्ध में आवेदक अपना नाम, पिता का नाम, वांछित लोड, पता और समीपवर्ती उपभोक्ता का खाता संज़्या भी सूचित करें। उपभोक्ता से सभी दस्तावेज जमा करवाना और लोड की स्थिति तथा तकनीकी संभव्यताओं की तुरंत जांच के लिए जे.ई./ए.एफ.एम. प्रतिनिधि नियुक्त करने की जिज़्मेदारी सज़्बन्धित उपमंडल अधिकारी (परिचालन) की होगी। कनैक्शन जारी करने के लिए अनुज्ञप्त कुल समय की गणना ऑनलाईन सूचना प्राप्ति से की जाएगी।

4. इस दिशा में पहले से जारी निर्देशानुसार जनस्वास्थ्य विभाग की सभी लंज़्बित गतिविधियों पर अनुसूची के अनुसार संज्ञान लिया जाए, जैसे :-

   1 सभी लंबित कनैक्शन प्रतिभूति आदि बिना जमा करवाने की प्रतीक्षा किए बिना जारी कर दिए जाएं।

   2 10 किलोवाट तक लोड वाले जनस्वास्थ्य विभाग के सभी दोषणूर्ण मीटरों को बदलकर व्होल करंट मीटर लगाए जाएं और 10 किलोवाट से ऊपर सी.टी. मीटर/ अर्न्तनिहित मीटर स्थापित किए जाएं।

   3 जहां कहीं भी हुडा, एच.एस.आई.आई.डी.सी., जनस्वास्थ्य विभाग द्वारा मल-जल प्रशोधक संयंत्र के लिए स्वतंत्र फीडर प्रदान करने हेतु किए गए आवेदन के लिए प्राक्कलन तैयार किया जाए व स्वीकृत किया जाए तथा सज़्बन्धित विभाग को प्रक्कलित राशि जमा करवाने या स्वयं निष्पादन योजना अपनाने के लिए और 1.5 प्रतिशत पर्यवेक्षण प्रभार जमा करवाने के लिए सूचित किया जाए।

   4 जमा प्रक्कलित राशि प्राप्त होने के बाद ए.पी. फीडरों में जुड़े सभी जनस्वास्थ्य विभाग के कनैक्शनों को प्राथमिकता के आधार पर आर.डी.एस. फीडरों पर स्थानांतरित किया जाए।

5 नये कनैक्शन के लिए आवश्यक मीटर कवर बॉक्स (एम.सी.बी.) और केबल निगम द्वारा प्रदान की जाएंगी और उपभोक्ता से नहीं ली जाए। वितरक ट्रांसफार्मरों और स्थाई रूप से कनैक्शन कटे उपभोक्ताओं से उतारे गए सी.टी.मीटर एम.एण्ड पी. लैब में जांचने व दोबारा सील लगाने के बाद जनस्वास्थ्य या मोबाईल टावर कनैक्शनों पर लगाए जाएंगे।

5 यह निर्णय लिया गया है कि एच.टी. कनैक्शनों के मामले में, एल.टी. व एच.टी. उपकरणों के लिए जांच रिपोर्ट अलग से प्राप्त करनी होगी। मुज़्य विद्युत निरीक्षक (सी.ई.आई.) के कार्यालय को ऑनलाईन सूचित किया जाएगा और सी.ई.आई. कार्यालय द्वारा सात दिनों के भीतर अनुमोदन देना होगा।

सतर्कता और सावधानी पूर्वक अनुपालना के लिए उपरोक्त निर्देश सभी सज़्बन्धित के संज्ञान में लाए जाएं।

मुज़्य अभियंता /वाणिज्यिक,
द.ह.बि.वि.नि., हिसार।

नोट :- उपरोक्त विषय का हिन्दी अनुवाद मात्र बिजली कर्मियों को सरल भाषा में समझाने हेतु है। अन्य किसी भी उद्देश्य के लिए हिन्दी में अनुवादित संस्करण मान्य नहीं होगा और अंग्रेजी व हिन्दी संस्करण के बीच विरोधाभास में अंग्रेजी संस्करण ही अविभावी होगा।

दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम

सेल्ज निर्देश संज़्या 19/2014

प्रेषक,

मुज़्य अभियंता /वाणिज्यिक,
दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम,
हिसार।

सेवा में,

द.ह.बि.वि.नि. के सभी मुज़्य अभियंता/अधीक्षक अभियंता/कार्यकारी अभियंता/उपमंडल अधिकारी /ऑप्रेशन, उप-कार्यालय प्रभारी जे.ई.-।.

यादि क्रमांक-चेन-19/एस.ई./कमर्शियल/आर-17/757/एफ.-32 दिनांक :-11/11/2014

विषय :- उपभोक्ताओं के खाते का ओवरहॉलिंग और चैक मीटर की स्थापना।

प्रबन्धन के संज्ञान में आया है कि चैक मीटर लगाने के लिए उचित प्रक्रिया अपनाए बगैर उपमंडल स्टॉफ द्वारा तेज मीटर रिपोर्ट किए जाने के आधार पर उपभोक्ताओं के खाते ओवरहॉल किए जान रहे हैं जो उपभोक्ताओं को बड़ी राशि वापसी का कारण बनता है। प्रबन्धन द्वारा इस परिपाटी को बहुत गज़्भीरता से लिया है है और अब यह निर्णय लिया गया है कि भविष्य में जब कभी भी उपभोक्ता द्वारा मीटर सटीकता को चुनौती दी जाती है, तो आवश्यक शुल्क जमा करवाया जाएगा और निगम के मौजूदा निर्देशानुसार एम.एण्ड टी. प्रयोगशाला द्वारा विधिवत जांचे परखे गए मानक चैक मीटर उपमंडल अधिकारी/एम.एण्ड पी. की उपस्थिति में स्थापित किया जाएगा। दोनों मीटरों की प्रारज़्भिक और अंतिम रीडिंग को अंतिम दशमलव बिंदु तक दर्ज किया जाएगा और संयुक्त रूप से हस्ताक्षरित किया जाएगा। ऐसे सभी मामलों का एक मासिक विवरण नियमित आधार पर अधीक्षण अभियंता/एम.एण्ड पी. द्वारा मुज़्य अभियंता/वाणिज्यिक को भेजा जाएगा।

उपभोक्ताओं को अनुज्ञात की जाने वाली धन वापसी यदि कोई है तो एम.एण्ड पी. रिपोर्ट के आधार पर सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति पर अदा की जाएगी।

एस.एम.आई. निर्देश संज़्या 4.12 और 4.13 इस सीमा तक संशोधित हैं।

सतर्कता और सावधानी पूर्वक अनुपालन के लिए उपरोक्त निर्देश सभी सज़्बन्धित के संज्ञान में लाए जाएं।

मुज़्य अभियंता /वाणिज्यिक,
द.ह.बि.वि.नि., हिसार।

नोट :- उपरोक्त विषय का हिन्दी अनुवाद मात्र बिजली कर्मियों को सरल भाषा में समझाने हेतु है। अन्य किसी भी उद्देश्य के लिए हिन्दी में अनुवादित संस्करण मान्य नहीं होगा और अंग्रेजी व हिन्दी संस्करण के बीच विरोधाभास में अंग्रेजी संस्करण ही अविभावी होगा।

दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम

सेल्ज निर्देश संज़्या 20/2014

प्रेषक,

मुज़्य अभियंता /वाणिज्यिक,
दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम,
हिसार।

सेवा में,

द.ह.बि.वि.नि. के सभी मुज़्य अभियंता/अधीक्षक अभियंता/कार्यकारी अभियंता/उपमंडल अधिकारी /ऑप्रेशन, उप-कार्यालय प्रभारी जे.ई.-।.

यादि क्रमांक-चेन-20/एस.ई./कमर्शियल/आर-17/9/2007/एफ-26 दिनांक :-11/11/2014

विषय :- अधिकतम लोड छूट प्रभार (पी.एल.ई.सी.)।

सेल्ज परिपत्र संज़्या डी-25/2014, डी-32/2014 और डी-39/2014 के तहत अधिसूचित पी.एल.ई.सी. की प्रयोज्यता की तिथि के सज़्बन्ध में फील्ड अधिकारियों से प्राप्त हुई प्रतिपुष्टि के दृष्टिगत, यह सूचित किया जाता है कि हरियाणा बिजली विनियामक आयोग (एच.ई.आर.सी.) द्वारा शुद्धि पत्र दिनांक 24/07/2014 के तहत पहले ही स्पष्ट किया जा चुका है कि **''संशोधित अधिकतम लोड छूट प्रभार (पी.एल.ई.सी.), टैरिफ का एक भाग होने के कारण 01/04/2014 से लागू होंगे यानि उस तिथि से , जिससे संशोधित टैरिफ दरें लागू की गई हैं''**

इस प्रकार, सेल्ज परिपत्र संज़्या डी-25/2014, डी-32/2014 और डी-39/2014 के तहत जारी पी.एल.ई.सी. प्रभारों पर निर्देश 01/04/2014 से प्रभावी माने जाएं।

उपरोक्त भेजे गए सेल्ज परिपत्र केवल इस सीमा तक संशोधित हैं।

सतर्कता और सावधानी पूर्वक अनुपालन के लिए उपरोक्त निर्देश सभी सज़्बन्धित के संज्ञान में लाए जाएं।

मुज़्य अभियंता /वाणिज्यिक,
द.ह.बि.वि.नि., हिसार।

नोट :- उपरोक्त विषय का हिन्दी अनुवाद मात्र बिजली कर्मियों को सरल भाषा में समझाने हेतु है। अन्य किसी भी उद्देश्य के लिए हिन्दी में अनुवादित संस्करण मान्य नहीं होगा और अंग्रेजी व हिन्दी संस्करण के बीच विरोधाभास में अंग्रेजी संस्करण ही अविभावी होगा।

दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम

सेल्ज निर्देश संज़्या 21/2014

प्रेषक,

मुज़्य अभियंता /वाणिज्यिक,
दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम,
हिसार।

सेवा में,

द.ह.बि.वि.नि. के सभी मुज़्य अभियंता/अधीक्षक अभियंता/कार्यकारी अभियंता/उपमंडल अधिकारी /ऑप्रेशन, उप-कार्यालय प्रभारी जे.ई.-।.

यादि क्रमांक-चेन-21/एस.ई./कमर्शियल/आर-17/356/2005/एफ-18
दिनांक :-13/11/2014

विषय :- **कम खपत वाली अवधि में लंबित एच.टी. कनैक्शन जारी करना।**

प्रणाली बाध्यताओं के कारण बड़ी संज़्या में लज़्बमानता होने के दृष्टिगत, निगम ने वर्तमान कम खपत की अवधि के दौरान जहां कहीं भी क्षमता उपलब्ध है, 500 के.वी.ए. तक लोड वाले सभी श्रेणियों के लंबित एच.टी. कनैक्शन जारी करने का निर्णय लिया है। अधिकतम खपत वाली अवधि के दौरान ओवर लोडिंग की किसी आशंका से बचने के दृष्टिगत ऐसे उपभोक्ता से वचनबद्धता के रूप में एक शपथ-पत्र लिया जाएगा कि यदि आपेक्षित हुआ, तो प्रणाली को ओवर लोडिंग से बचाने के लिए उसके आंशिक या संपूर्ण लोड को प्रतिबंधित किया जाएगा। ऐसे कनैक्शन जारी करने की अनुमति के लिए सज़्बन्धित उपमंडल अधिकारी/परिचालन सक्षम है। यद्यपि, यह सुनिश्चित किया जाए कि बिजली ट्रांसफार्मर पर लोड किन्ही भी परिस्थितियों में निगम द्वारा स्वीकार्य सीमा से अधिक न हो।

आगे यह निर्णय लिया कि सज़्बन्धित उपमंडल अधिकारी द्वारा सब-स्टेशन वार एच.टी. कनैक्शनों की वरीष्ठता बनाकर रखी जाएगी। मंदी अवधि के दौरान 500 के.वी.ए. लोड तक कनैक्शन जारी करने की उपरोक्त सुविधा 31/03/2015 तक लागू रहेगी।

सतर्कता और सावधानी पूर्वक अनुपालन के लिए उपरोक्त निर्देश सभी सज़्बन्धित के संज्ञान में लाए जाएं।

मुज़्य अभियंता /वाणिज्यिक,
द.ह.बि.वि.नि., हिसार।

नोट :- उपरोक्त विषय का हिन्दी अनुवाद मात्र बिजली कर्मियों को सरल भाषा में समझाने हेतु है। अन्य किसी भी उद्देश्य के लिए हिन्दी में अनुवादित संस्करण मान्य नहीं होगा और अंग्रेजी व हिन्दी संस्करण के बीच विरोधाभास में अंग्रेजी संस्करण ही अविभावी होगा।